अध्याय 3

शासकीय विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

3.1 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

3.2 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

अध्याय 3

शासकीय विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

3.1 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

कार्यपालिक सारांश

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए एवं नवीन किस्मों के बीज के उपयोग से फल, सब्जियों, मसाले, फूल, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की उत्पादकता एवं रोपण क्षेत्र विस्तार में वृद्वि के लिए उत्तरदायी है।

विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता की जांच हेतु अवधि 2007-12 के लिए विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा की गई। प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा नीचे की गई हैः

- महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में 28 से 55 फीसदी के बीच कमी।

 विभाग की गतिविधियों की निगरानी के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की पदस्थापना की जानी चाहिए।

 (कंडिका 3.1.6.2)

- आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नही की गई।

 आंतरिक जाँचों को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा *की स्थापना की जानी चाहिए।*

 (कंडिका 3.1.6.3(क))

- बारहमासी फलों एवं तटीय बागवानी फसलों के अत्याधिक मृत्यु दर के कारण राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत क्षेत्र विस्तार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

 (कंडिका 3.1.6.4 (क))

- जिला और राज्य स्तर पर उद्यानिकी उत्पादन के आंकलन के लिए विश्वसनीय और वास्तविक आंकड़ो को एकत्रित करने का कोई तंत्र विकसित नही किया गया।

 वास्तविक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.1.8.2)

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के धीमें क्रियान्वयन से राशि ₹ 63.85 करोड़ का अनुपयोगी रहना।

योजना राशि का उपयोग नियत उद्देश्यों के लिए करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(कंडिका 3.1.9.1 (क))

- मॉडल नर्सरियों में न्यूनतम उत्पादन क्षमता प्राप्त नही होने के कारण ₹ 6.41 करोड़ की कुल लागत राशि से स्थापित अघोसंरचना का पूर्णतः उपयोग नही होना।

सरकारी रोपणियों के कार्यकलापों की निगरानी एवं आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

(कंडिका 3.1.9.1(झ))

- गैप-फिलिंग (₹19.26 लाख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत प्याज का पौधा रोपण (₹ 43.06 लाख) शेड-नेट क्रय (₹2.98 करोड़) एवं पावर स्पेयर (₹ 67 लाख) के क्रय पर अविवेपूर्ण व्यय ।

(कंडिका 3.1.9.1(ज), 3.1.9.1(ड.), 3.1.9.1(ट)(ii) एवं 3.1.9.1(ड))

- एकीकृत कटाई-पश्च प्रबंधन और विपणन अघोसंरचना के सृजन के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति नही होना।

किसानों के उत्पादों के मूल्य-वर्धन हेतु कटाई - पश्च प्रबंधन किया जाना चाहिए एवं उत्पादो का बिक्री के लिए पर्याप्त अघोसंरचना का सृजन किया जाना चाहिए।

(कंडिका 3.1.9.1(ढ))

3.1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ राज्य को विभिन्न जलवायु विशेषताओं के साथ अद्वितीय क्षमता, कमजोरियॉं, अवसर और चुनौतियाँ जो किसी क्षेत्र एवं राज्य के सम्पूर्ण उद्यानिकी के विकास को प्रभावित करेगा, के आधार पर तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों छत्तीसगढ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उद्यानिकी उत्पादों का मूल्य कृषि फसलों की तुलना में अधिक होने के कारण उद्यानिकी की लोकप्रियता बढ़ रही है।

3.1.2 विभाग का अधिदेश (मेनडेट) और संगठनात्मक ढांचा

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग का अधिदेश कृषकों को पारंपरिक कृषि के स्थान पर उद्यानिकी अपनाने के लिए प्रेरित करना, विभिन्न प्रकार की उद्यानिकी फसलों को अपनाने के लिए कृषकों को तकनीकी से परिचित कराना, कृषकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करना, जैविक खेती का प्रचार करना, अच्छी किस्म के

बीज और पौध सामग्री का वितरण करना, मसालों और औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास करना, नवीन तकनीक का प्रदर्शन करना, कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उद्यानिकी उत्पादनों के भण्डारण, विपणन और प्रसंस्करण की सुविधाओं का समन्वय करना है।

छत्तीसगढ़ राज्य में शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, कृषि के अंतर्गत उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग संचालित है। प्रमुख सचिव के अधीन राज्य स्तर पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, तीन संयुक्त संचालक एवं जिला स्तर पर 11 उप संचालक/सहायक संचालक कार्यरत है।

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी विभाग का मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा यह मुल्यांकन करने के लिए किया किः

- विभाग में योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त अधोसंरचना, कार्ययोजना, जनशक्ति, निगरानी इत्यादि विद्यमान है,
- योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्राप्त निधि का मितव्ययीतापूर्ण, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी रूप में उपयोग किया गया; और
- विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्यों /लक्ष्यों का क्रियान्वयन दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी रूप से हुआ और लक्ष्यों की प्राप्ति हुई।

3.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित स्रोतों से संकलित लेखापरीक्षा मापदण्ड के संदर्भ में किया गया:

- विभागीय नियमावली।
- परिप्रेक्ष्य योजना (2010-11 से 2014-15) एवं 2007-08 से 2011-12 की अवधि की वार्षिक कार्य-योजना।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वि वाई),सूक्ष्म सिचांई योजना के दिशा-निर्देश, एवं भारत सरकार, राज्य सरकार और विभाग द्वारा उद्यानिकी के विभिन्न योजनाओं के लिए जारी आदेश।
- विभागीय नियमावली, छत्तीसगढ कोषालय संहिता (2000), छत्तीसगढ वित्तीय संहिता और वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

3.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के अभिलेखों की जांच कर संपन्न की गई। प्रारंभ में सात जिले जहाँ पहले से ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) क्रियान्वित था के साथ दो गैर-एन एच एम जिलों का चयन किया गया। आगम बैठक (24 मई 2012) के दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्यों/ मापदण्डों और लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली के चर्चा में, कृषि उत्पादन आयुक्त-सह-प्रमुख सचिव (ए पी सी) ने सभी 11 एन एच एम जिलों की लेखापरीक्षा करने का सुझाव दिया। इस तरह, राज्य के सभी 11 एन एच एम[1] जिलों एवं दो गैर-एन एच एम[2] जिलों को लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, संचालनालय, उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी (डी एच एफ एफ), सहायक संचालक उद्यानिकी (ए डी एच), बीज प्रगुणन केन्द्र बाना, ए डी एच, प्रमुख उद्यान, रायपुर, और ए डी एच, फल परिरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर को भी मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के कुल 22 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी डी ओ) में से 17 को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा अवधि 2007-08 से 2011-12 पाँच वर्षों का था।

संचालनालय, उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी एवं चयनित जिलों में प्रत्येक योजनाओं/परियोजनाओं की प्रतिवेदन और विवरणियों की जाँच को लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में शामिल किया गया। शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर दिया (नवम्बर 2012) जिसे जहाँ भी आवश्यक है, शामिल किया गया। 20 फरवरी 2013 को हुई निर्गम बैठक में ए पी सी से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

3.1.6 संस्थागत कमजोरियाँ

एक संगठन के मुख्य क्षेत्रों की गतिविधियों की आंतरिक प्रणालियों एवं नियंत्रण की सुदृढ़ता एवं योग्यता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ अधोसंरचना, पर्याप्त मानव शक्ति एवं समुचित निधियाँ होनी चाहिए जो संगठन को प्रबंधित एवं अधिदेश को मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावकारी ढंग से प्राप्त करने में मददगार होता है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान विभाग में पायी गई कमजोरियों के बारे में आगे कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.1.6.1 योजना

वार्षिक और नीतिगत कार्य योजना तैयार करना

एन एच एम और आर के वि वाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के साथ-साथ वार्षिक कार्ययोजना (ए पी पी) जिलो के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों मे व्यय की सीमा के आधार पर नियत किया जाना था एवं राज्य योजनाओं के लिए लक्ष्यों का निर्धारण राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर नियत किया जाना था।

1 बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, जशपुर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, रायगढ, रायपुर, राजनांदगांव, और सरगुजा

2 धमतरी और कांकेर,

एन एच एम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को राज्य और जिला स्तर पर मिशन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत राज्य उद्यानिकी मिशन (एस एच एम) के रूप में स्वायत्त संस्था का सृजन करना चाहिए। एस एच एम का सृजन जून 2005 में हुआ। मिशन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के सामंजस्य में नीतिगत/परिपेक्ष्य एवं वार्षिक राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार किया जाना चाहिए था। यद्यपि एस एच एम द्वारा अवधि 2010-15 के लिए विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन की नीति के लिए नीतिगत योजना बनाई गई, 2005-06 से 2009-10 की अवधि के लिए नितिगत योजना/परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई।

इसे इंगित (सितम्बर 2012) किए जाने पर शासन द्वारा बताया गया (नवंबर 2012) कि वर्ष 2005-06 की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार के द्वारा बनायी गयी। वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए वार्षिक कार्य योजना राज्य स्तर पर बनाई गई जिसमे 2014-15 तक की कार्य-योजना सम्मिलित थी।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, कृषि उत्पादन आयुक्त-सह प्रमुख सचिव (ए पी सी) ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को मानते हुए कहा कि 2010-15 की अवधि के लिए रोड-मैप तैयार किया गया है।

3.1.6.2 मानव संसाधन प्रबंधन

विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं निगरानी के निए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता अति आवश्यक है।

संचालनालय के अभिलेखों एवं जिलों के नमूना जांच (मई-अगस्त 2012) में पाया गया की प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नीचे दर्शाये अनुसार कमियाँ थीः

तालिका 1: मार्च 2012 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

पद	राज्य स्तर						नमूना जांच किए गए जिले					
	मार्च 2008 की स्थिति में (संशोधन के पूर्व सेटअप)			मार्च 2012 की स्थिति में (संशोधित सेटअप)			मार्च 2008 की स्थिति में (संशोधन के पूर्व सेटअप)			मार्च 2012 की स्थिति में (संशोधित सेटअप)		
	स्वीकृत	पदस्थापित संख्या	पदस्थापना प्रतिशत	स्वीकृत	पदस्थापित संख्या	पदस्थापना प्रतिशत	स्वीकृत	पदस्थापित संख्या	पदस्थापना प्रतिशत	स्वीकृत	पदस्थापित संख्या	पदस्थापना प्रतिशत
उप/ सहा. सं. उ.	21	11	52	21	11	52	13	08	62	13	09	69
व.उ. वि. अ.	70	49	70	70	39	56	58	38	66	58	30	52
उ.वि.अ.	92	61	66	92	66	72	68	48	71	67	50	75
ग्रा.उ.वि.अ.	427	218	51	427	193	45	335	187	56	330	161	49

उप/सहा.सं.उ.-उप/सहायक संचालक उद्यान, व.उ. वि.अ.-वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उ.वि.अ.-उद्यान विकास अधिकारी, ग्रा.उ.वि.अ.- ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

राज्य स्तर पर, मार्च 2012 की स्थिति में उप/सहा सं उ[3], वरि उ वि अ, उ वि अ, एवं ग्रा उ वि अ में क्रमशः 48, 44, 28 एवं 55 प्रतिशत की कमियाँ थी। चयनित जिलों में

[3] आगे से जिला उद्यान अधिकारी (जि.उ.अधि.) कहा जाएगा।

महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की कमियाँ 28 से 55 प्रतिशत के मध्य थी

नए सेटअप[4] के विरूद्ध मार्च 2012 के अंत में जि उ अ एवं उ वि अ की संख्या में क्रमशः 62 से 69 एवं 71 से 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वरि उ वि अ एवं ग्रा उ वि अ की संख्या में क्रमशः 66 से 52 एवं 56 से 49 प्रतिशत की कमियाँ हुई। इस अवधि के दौरान राज्य स्तर में मार्च 2012 कि स्थिति में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में कुल कमियाँ 28 एवं 55 प्रतिशत होने के बावजूद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वि वाई)[5] एवं वेजिटबल इंनिश्एटीव फोर पेरी-अरबन ऐरियास (विपुआ)[6] जैसी कई नई योजनाओं का प्रारंभ किया गया। मानव संसाधन में कमी के कारण योजना गतिविधियों की निगरानी प्रभावकारी रूप से नहीं किया गया फलस्वरूप उद्यानिकी फसलों मे अत्याधिक मृत्यु-दर रहा जिसकी चर्चा आगे कण्डिकाओं में की गई है।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (नवंबर 2012) बताया कि उद्यानिकी मे बजट प्रावधानों (1734 प्रतिशत) एवं क्षेत्र विस्तार (271) प्रतिशत में वृद्वि की तुलना में वर्तमान कर्मचारी संख्या अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप योजना गतिविधियों के क्रियान्वयन का नियंत्रण अप्रभावकारी था। निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013), ए पी सी ने भी तथ्यों को स्वीकारा और बताया कि नए भर्ती नियम तैयार किये गये है, तदानुसार नियुक्तियाँ की जाएगी।

3.1.6.3 निगरानी

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति

इंटोसाई[7] के आंतरिक नियंत्रण के मानक अनुसार, आंतरिक नियंत्रण किसी संगठन के प्रबंधन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जिसे संचालन द्वारा कार्य को प्रभावकारी एवं कुशलतापूर्वक वहन करने हेतु यथोचित आश्वासन देने के लिए स्थापित किया जाता है। योजनाओं के उचित क्रियान्वयन एवं नियमों, प्रक्रियाओं, दिशा-निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन के पास विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी साधन है।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक अनिवार्य अंग है।

संचालनालय में अभिलेखों के नमूना जाँच (अगस्त 2012) के दौरान, यह देखा गया कि कर्मचारी स्वीकृति में, विभाग द्वारा 2007-12 के दौरान, आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को उपलब्ध एवं स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं होने से, विभाग के कार्यो में कमियों का क्षेत्र पता नहीं लग सकता है।

इसे इंगित (सितम्बर 2012) किये जाने पर शासन ने (नवम्बर 2012) कि अतिरिक्त पदों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है एवं शासन से स्वीकृति अपेक्षित है। शासन से नए सेट अप का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात भविष्य में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा

4 पुराना सेटअप अक्टुबर 2006 में अनुमोदित किया गया था जिसे जून 2011 (नया सेटअप) में संशोधित किया गया।

5 राज्य में 2007-08 के दौरान प्रारंभ किया गया

6 आर के वि वाई की उप-योजना जिसे 2010-11 के दौरान प्रारंभ किया गया

7 इन्टरनेशनल ऑरगनाईजेशन ऑफ सुप्रीम आडिट इन्सटिटयुशन

संस्थापित किया जाएगा। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने भी लेखापरीक्षा आपत्ति को मान्य किया एवं बताया कि लेखापरीक्षा के सुझाव अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थापना की जावेगी।

3.1.6.4 निगरानी गतिविधियाँ

दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन एवं प्रभाव के मूल्यांकन के लिए क्रमबद्ध, परिणाम-प्रतिकूल एवं तीव्र निगरानी आवश्यक है। विभाग द्वारा निगरानी के अभाव को दर्शाने वाले कुछ आपत्तियाँ नीचे चर्चा की गई है:

(क) बाहरमासी फलों एवं तटीय उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्य-दर के कारण एन एच एम के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के उद्धेश्यों की पूर्ति न होना

बारहमासी फलों एवं तटीय फसलों में अत्यधिक मृत्यू दर होने के कारण एन एच एम के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के उद्देश्यों की पूर्ति न होना

एन एच एम दिशा-निर्देशों के पैरा 8.16 के अनुसार उन्नत किस्मों के उद्यानिकी फसलों का विस्तार अधिकतम क्षेत्रों में होना चाहिए। योजना के अंतर्गत कृषक को क्षेत्र विस्तार के लिए सहयोग की पात्रता होगी। बाहरमासी फसलों के संबंध में सहयोग को पहले, दूसरे एवं तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों की अवधि के लिए विभाजित किया गया जिसे दूसरे एवं तीसरे वर्षों में क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत फसलों के जीवित रहने पर देय होगा। उद्यानिकी फसलों में क्षेत्र विस्तार की प्रगति के उचित निगरानी के लिए, मिशन संचालक राज्य बागवानी मिशन को मैदानी अधिकारीयों से जीवितता दर्शाने वाली क्रोप मोनिटरिंग रिपोर्ट (सी एम आर) प्राप्त किया जाना था।

11 एन एच एम जिलों के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई-अगस्त 2012) के दौरान पाया गया कि 2005-06 से 2011-12 की अवधि के दौरान बारहमासी फलों एवं तटीय उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार पर राशि ₹ 50.48 करोड़ का व्यय हुआ। आगे, सी एम आर जाँच मे पाया गया कि राज्य में स्थापित 803 में से 398 क्लस्टरों में बारहमासी एवं तटीय उद्यनिकी फसलों की जीवितता दर बहुत कम थी। शेष 405 क्लस्टरों पर आधारित डाटा हमें उपलब्ध नही कराया गया।

तालिका 2: उद्यानिकी फसलों की जीवितता की सीमा दर्शाती तालिका

पौधे रोपित प्रकरणों के उपलब्ध आंकड़े	प्रकरणों की संख्या जहाँ जीविवता की सीमा निम्न थी					
	0-10	11-20	21-30	31-50	51-80	81 एवं उससे अधिक
758	67 (09)	84 (11)	63 (08)	304 (40)	210 (28)	30 (04)

(कोष्ठक में दर्शाये आंकड़े कुल प्रकरणों का प्रतिशत है)

बाहरमासी एवं तटीय उद्यानिकी फसलों के 398 क्लस्टर जिनके सी एम आर उपलब्ध कराए गये थे, में से उपलब्ध 758 रोपित प्रकरणों में पाया गया की 68 प्रतिशत प्रकरणों में फसलों की जीवितता 50 प्रतिशत से नीचे था, जिनमें से 20 प्रतिशत फसलों की जीवितता 0-20 प्रतिशत के बीच रही। बचे हुए में से लगभग 28 प्रतिशत प्रकरणों मे जीवितता 51 और 80 प्रतिशत के बीच रही और केवल चार प्रतिशत प्रकरणों मे जीवितता प्रतिशत 80 से उपर थी। इस तरह उपरोक्त से यह स्पष्ट है की बारहमासी एवं तटीय उद्यानिकी फसलों की जीवितता निम्नतर के तरफ थी।

हमने पाया की स्मरण पत्रों के जारी होने के बावजूद भी मैदानी कार्यालयों द्वारा संचालनालय को सी एम आर प्रस्तुत नहीं किया गया। बारहमासी एवं तटीय उद्यानिकी फसलों के जीवितता में कमी के कारण इन फसलों के संबंध में परम्परागत फसल से वृक्षारोपण में परिवर्तन की नीति फलदायी नही रही।

इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने (नवंबर 2012) बताया कि व्यापारिक प्रयोजन के लिए वृक्षों में उनके वृक्षारोपण के चार-पॉच वर्षो के बाद ही फल उपलब्ध होता है, तब तक कृषक उनकी अनुरक्षण में रूचि खो देते है। यह भी सूचित किया गया की उद्यानिकी फसलों के प्रथम वर्ष में सफल वृक्षारोपण के बावजूद, मवेशी द्वारा खुली चराई, घेराबंदी के लिए अपर्याप्त प्रावधान इत्यादि होने के कारण फल वृक्षारोपण को व्यापक क्षति पहुँची।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषकों की गतिविधियों की निगरानी विभाग की जिम्मेदारी थी। आगे, सहायता के अंतर्गत घेराबंदी के लिए प्रावधान तकनीकि सहयता समूह[8] (टी एस जी) द्वारा निर्धारित किया गया था।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने सूचित किया की मृत्यु-दर के आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए जिला कार्यालयों से जानकारी मंगाई जाएगी।

(ख) अधोसंरचना पर ₹ 2.34 करोड़ का निष्क्रिय व्यय

₹ 2.34 करोड़ के लागत के अधोसंरचना का छः से 49 माह की अवधि तक निष्क्रिय रहना

एन एच एम दिशा-निर्देशों के पैरा 8.4 के अनुसार उद्यानिकी का विकास अच्छी गुणवत्ता के पौधा-रोपण सामग्रियों की उपलब्धता पर केन्द्रित है और नर्सरियों में जरूरी अधोसंरचना के सृजन करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच किये गए जिलों के नर्सरियों के अभिलेखों के जाँच (मई-अगस्त 2012) में पाया गया है कि वर्ष 2007-12 के दौरान, विभिन्न नर्सरियों में मिस्ट एवं हार्डनिंग चेम्बर्स[9], पोली हाऊसेस, ग्रीन हाऊसेस, स्क्रीन हाऊसेस इत्यादि को नर्सरियों के अधोसंरचना के रूप के स्थापित किया गया है। आगे, इस अवधि में, औषधियों एवं सुगंधित पौधों के लिए आसवन ईकाइयाँ भी स्थापित की गई। हमने पाया की नौ नर्सरियों में ₹ 2.34 करोड़ **(परिशिष्ट 3.1.1)** की लागत से अधोसंरचना की स्थापना (2008-11) की गई, जिसे औषधियों एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार में कमी के कारण सुगंधित पौधों (कच्ची सामग्री) की अनुपलब्धता एवं विद्युतीकरण नहीं होने के कारण आज दिनांक (फरवरी 2013) तक उपयोग नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप छः से 49 महीने की अवधि के लिए निष्क्रिय रही।

इसे इंगित (सितम्बर 2012) किए जाने पर शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि कुछ प्रौद्योगिकी को आयात करने के कारण मिस्ट एवं हार्डनिंग चेम्बर्स के संस्थापन में विलम्ब

[8] तकनिकी सहयता समूह एक समूह है जिसे राज्य को तकनिकी समर्थन प्रदाय करने के लिए एन.एच.एम. के अंतर्गत सृजन किया गया है। इसमें मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु परामर्श, सूत्रबद्ध, मूल्यांकन एवं निगरानी करने के लिए विशेषज्ञ और तकनिकी कर्मचारीगण होते हैं।

[9] मिस्ट चेम्बर एक ऐसा कक्ष है जिसमें कुहरा संस्थापित करते हुए तुलनात्मक नमी को कृत्रिम रूप से उच्च स्तर पर बनाया रखा जाता है और हार्डनिंग यार्ड (प्रांगण) के माध्म से प्रवर्धित पौधों को ताकत प्रदाय की जाती है।

हुआ। तथापि, वर्तमान में अस्थायी बिजली कनेक्शन द्वारा मिस्ट एवं हारडनिंग चेम्बरस का उपयोग किया जा रहा है एवं उत्पादित पौधों का वितरण विभागीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा है।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संबंधित डी डी एच/ए डी एच द्वारा प्रदाय सूचना अनुसार **परिशिष्ट 3.1.1** में दर्शित मिस्ट एवं हार्डनिंग चेम्बर्स चालू नहीं थे। आगे, शासन के दावे के समर्थन में मिस्ट एवं हारडनिंग चेम्बरस के उपयोग होने के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में लेखापरीक्षा आक्षेपों को मान्य करते हुए ए पी सी ने बताया कि बिजली कनेक्शन प्रदाय करने हेतु विद्युत विभाग से संपर्क किया जाएगा। कच्चे सामग्री के अनुपलब्धता के बारे में ए पी सी ने बताया कि कृषकों में औषधियाँ एवं सुगंधित पौधों में रूचि की कमी के कारण आसवन एवं उद्धरण ईकाइयों के लिए कच्ची सामग्री के उत्पादन में अनुवर्ती रूप में कमी रही। यह भी बताया गया कि अंतर विभागीय समन्वय के अभाव में, खास कर विद्युत विभाग के साथ, के कारण नर्सरियों में बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

(ग) विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति

डी एच एफ एफ के 2007-12 की अवधि के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि कर्मचारियों के विरूद्ध 33 अनुशासनात्मक जांच के प्रकरण निपटान हेतु लंबित थे (मार्च 2012)। मार्च 2012 की स्थिति में अनुशासनात्मक जांचों की स्थिति निम्नानुसार थीः

तालिका 3: निपटान हेतु शेष जांच प्रकरणों का विवरण

वर्ष	प्रारंभिक शेष	विभागीय प्रकरणों की संख्या	कुल विभागीय प्रकरण	निर्णीत विभागीय प्रकरण	लंबित विभागीय प्रकरण	वसूलियों की जानकारी यदि कोई हो
2007-08	03	02	05	02	03	--
2008-09	03	04	07	0	07	--
2009-10	07	06	13	03	10	--
2010-11	10	02	12	07	05	(अ) श्री डी.आर.हुरमाडे सेवानिवृत्त, उप स.उ. से ₹5000 की वसूली हेतु आदेश जारी। (ब) श्री पी.एन.तिवारी, व.उ.वि.अ. से ₹ 3.28 लाख की वसूली हेतु आदेश जारी।
2011-12	05	03	08	0	08[10]	--

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

अनुशासनिक जांच प्रकरणों का निरंतर शेष रहना (**परिशिष्ट 3.1.2**) विभाग द्वारा निगरानी का अभाव एवं प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु समयबद्ध कार्यवाही की कमी दर्शाता है।

[10] अप्रैल-सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान अब तक दो प्रकरणों का निपटान हो चुका है

इसे इंगित किए जाने पर, शासन (नवम्बर 2012) ने बताया कि दो प्रकरणों में वसूली प्रस्तावित है और शेष प्रकरणों के संबंध में विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में तथ्यों को मान्य करते हुए ए पी सी ने बताया कि लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटान कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा।

3.1.7 अनुपालन मुद्दे

सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए, यह आवश्यक है की व्यय न केवल वित्तीय नियमों एवं विनियम के अनुसार ही बल्कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के सामंजस्य में होना चाहिए। इससे वित्तीय अनियमित्ताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकने के अलावा उत्तम वित्तीय अनुशासन कायम रखने में मददगार होता है। नियमों एवं विनियमों के अनुपालन नहीं होने के कुछ लेखापरीक्षा आक्षेप के बारे में आगे कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

3.1.7.1 वित्तीय प्रबंधन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन, एक केन्द्र प्रवर्तित योजना को राज्य में उद्यानिकी के विकास को प्रतिबल प्रदाय करने के लिए लागू (2005-06) किया गया। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई योजना (2005-06), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007-08) और बेजिटेबल इंनिश्येटी इन पेरी-अरबन ऐरियास 2011-12 में शुरू किया हुआ आर के वि वाई का एक उप-योजना) को भी राज्य मे उद्यानिकी को प्रोत्साहन के लिए क्रियान्वयन किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के लिए निधि व्यवस्था नीचे वर्णित है:

केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	
राष्ट्रीय बागवानी मिशन *एन एच एम अंतर्गत घटक-रोपण सामग्री का उत्पादन, नये बगीचों की स्थापना, जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रतिस्थापना, जल स्त्रोतों का सृजन, संरक्षित खेती, एकीकृत पोषक प्रबंधक एवं कीट प्रबधन, जैविक खेती, उद्यानिकी मशीनीकरण, प्रदर्शनियों के माध्यम से तकनीकी का प्रसार, मानव संसाधन विकास, एकीकृत कटाई- पश्च प्रबंधन, विपणन आधारभूत संरचना की स्थापना।*	भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 85:15
सुक्ष्म सिचाई योजना	भारत सरकार, राज्य शासन एवं हितग्राहियों द्वारा 50:30:20 (छोटे एवं सीमांत कृषकों) भारत सरकार, राज्य शासन एवं हितग्राहियों द्वारा 40:10:50 (अन्य कृषकों)
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना *आर के वि वाई अंतर्गत घटक-नए बगीचों की स्थापना, उन्नत बीज उत्पादन, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला उत्पादन, फल क्षेत्र विस्तार, औषधिय एवं सुगंधित पौधे क्षेत्र विसतार, प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना, उद्यानिकी मशीनीकरण पुराने बगीचों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन संरक्षित खेती,जैविक खेती को बढ़ावा देना एवं मानव संसाधन विकास*	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत

राज्य योजना/कार्यक्रम	
1. केला उत्पादन का सघन कार्यक्रम	राज्य शासन द्वारा 100 प्रतिशत
2. मेला, प्रदर्शनी एवं प्रचार	
3. बड़े शहरों के आस पास सब्जी उत्पादन	
4. आलू विकास योजना	
5. फल पौधा रोपण योजना	
6. मसाला विकास योजना	
7. पुष्प विकास योजना	
8. औषधि एवं सुगंधित फसलों की खेती	
9. घरेलू बागवानी की आदर्श योजना	
10. सघन फलोध्यान विकास योजना	
11. नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन	

(क) आबंटन एवं व्यय

वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य बजट के माध्यम से जारी आर के वि वाई योजना (केन्द्रीय) की केन्द्रीय निधि एवं एन एच एम और एम आई एस योजनाओं (राज्य) के अंतर्गत राज्य का समानुपातिक अंश (राज्य) से संबंधित बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः

तालिका 4: आवंटन एवं व्यय विवरण

(₹ लाखों में)

वर्ष		बजट प्रावधान	बजट विमुक्ति	विमुक्ति में कमी (प्रतिशत)	वास्तविक व्यय	उपयोगिता में कमी (प्रतिशत)
2007-08	केन्द्र[11]	1043.00	1043.00	0.00	1043.00	0.00
	राज्य[12]	2705.40	1726.55	36.18	1710.12	0.95
2008-09	केन्द्र	2368.86	2017.07	14.85	2017.07	0.00
	राज्य	3139.20	2008.24	36.03	1997.25	0.55
2009-10	केन्द्र	5187.41	2527.74	51.27	2527.74	0.00
	राज्य	3309.80	2319.76	29.91	2313.46	0.27
2010-11	केन्द्र	9472.37	9472.37	0.00	9472.37	0.00
	राज्य	4950.41	2838.80	42.66	2824.51	0.50
2011-12	केन्द्र	11000.00	4237.67	61.48	4227.57	0.24
	राज्य	5119.55	3966.46	22.52	3956.93	0.24
योग	**केन्द्र**	**29071.64**	**19297.85**	**33.62**	**19287.75**	
	राज्य	**19224.36**	**12859.81**	**33.11**	**12802.27**	

(स्रोतःसंचालक उद्यान एवं प्रक्षेत्र बानिकी द्वारा तैयार जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान के विरूद्ध निधियों की विमुक्तता कम रही एवं यह गिरावट 2007-12 की अवधि के दौरान 23 एवं 43 प्रतिशत के मध्य थी। केन्द्रांश के संबंध में यह गिरावट शून्य मे 61 प्रतिशत के मध्य थी। तथापि, केन्द्रांश एवं राज्यांश के संबंध में निधियों की उपयोगिता 99 एवं 100 प्रतिशत के मध्य रही।

[11] केन्द्रीय अंश आर.के.व्ही.वाय.के लिए राज्य बजट के माध्यम से जारी केन्द्रीय निधि को अधिसूचित करता है

[12] राज्य अंश एन.एच.एम. एवं एम.आई.एस. योजना के लिए राज्य शासन द्वारा जारी निधि को अधिसूचित करता है

आगे विभाग के एन एच एम (85 प्रतिशत) एवं एम आई एस योजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश नीचे वर्णित अनुसार एस एच एम एवं डी एच एफ एफ को भारत शासन से सीधे प्राप्त हुए हैः

तालिका 5: सीधे भारत सरकार से प्राप्त निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्रावधान	स्वीकृत	विमुक्तियॉ	विमुक्तियॉ में कमीं (प्रतिशत)	उपलब्ध निधियॉ	व्यय	उपयोगिता में कमी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7=2+5	8	9
2007-08	4228.03	14194.32	9484.52	6633.98	30.05	10862.01	3239.64	70.17
2008-09	7622.37	14861.15	11138.87	3390.15	69.56	11012.52	8791.30	20.17
2009-10	2221.22	10839.10	7822.32	6976.21	10.82	9197.43	7631.32	17.03
2010-11	1566.11	10164.00	10164.00	10046.00	1.16	11612.11	9163.46	21.09
2011-12	2448.65	11650.00	11650.00	10800.00	7.30	13248.65	12284.88	7.27
योग		**61708.57**	**50259.71**	**37846.34**			**41110.60**	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय एवं लेखा-परीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि निधियों की विमुक्ति में कमी एक एवं 70 प्रतिशत के मध्य थी। भारत सरकार से विमुक्तियों में कमी के बावजूद, उपलब्ध निधि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। निधियों की उपयोगिता में कमी का मुख्य कारण कृषकों मे रूचि का अभाव रहा जिसके कारण एन एच एम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लक्ष्य अप्राप्त रहे। उपयोगिता में कमी का प्रतिशत सात एवं 70 के मध्य होना योजना एवं वित्तीय प्रबंधन में अदक्षता को दर्शाता है।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने बताया (नवंबर 2012) कि विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत निधियों को प्राप्त कर पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास किया जावेगा ।

(ख) मसाले एवं गैर बारहमासी फलों की खेती में अनियमित व्यय ₹ 6.47 करोड़

आर के वि वाई के परियोजनाओं/योजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2008 में, कृषि मंत्रालय, भारत शासन द्वारा वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान करते समय निर्देशित किया कि योजनाओं का क्रियान्वयन उन्ही जिलों में किया जाए जहां एन एच एम योजना संचालित नहीं है। एस एल एस सी द्वारा लिये गये निर्णयों/निर्देशों के अनुसार ऐसे जिलों जहां पहले से ही एन एच एम की योजनायें क्रियान्वित है वहां आर के वि वाई के अधीन स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधि नहीं करना है।

आर के वि वाई के अंतर्गत एन एच एम जिलों में क्षेत्र विस्तार पर ₹ 6.47 करोड़ का अनियमित व्यय

चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2010-11 के दौरान आर के वि वाई के तहत चार जिलों कोरबा, रायगढ़, सरगुजा एवं रायपुर में 850 हेक्टेयर में ₹ 3.53 करोड़ गैर बारहमासी फल (टी सी)[13] लगाये गये थे। आगे, उसी वर्ष इन्ही चार

[13] टिशू कल्चर

जिलों में 2350 हेक्टेयर में मसालों का क्षेत्र विस्तार जैसे मिर्च, धनिया, हल्दी आदि पर भी ₹ 2.94 करोड़ आर के वि वाई के तहत खर्च किए गए (**परिशिष्ट 3.1.3**)।

एस एल एस सी के निर्णयानुसार एन एच एम के तहत क्रियान्वित घटक को आर के वि वाई के तहत नहीं लिया जाना था। अतः गैर बारहमासी फल एवं मसाले पर क्षेत्र विस्तार पर आर के वि वाई के तहत ₹ 6.47 करोड़ का खर्च अनियमित था।

इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि मिर्च एवं पपीता के फसल की मांग जिलों में बढ़ जाने के कारण एन एच एम के तहत अनुमोदित लक्ष्य पूर्ण नहीं किया जा सका। इस अतिरिक्त मांग को एस एल एस सी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आर के वि वाई निधियों से पुरा किया गया। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए ए पी सी ने बताया कि मिर्च एवं केला के फसल के मांग में वृद्धि के कारण इसे आर के वि वाई के निधि से पूरा किया गया।

यद्यपि अनुमोदित योजना 2010-11 में गैर-बारहमासी फलों एवं मसालों के लिए प्रावधानित था, इसे विशेष रूप से एन एच एम जिलों के लिए स्वीकृत नहीं किया गया था। आगे एन एच एम जिलों में क्षेत्र विस्तार हेतु पृथक से अनुमति एस एल एस सी के बैठक (अप्रैल 2011) की कार्यवाही विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(ग) एन एच एम के तहत निधियों का प्रत्यावर्तन

एन एच एम के दिशा निर्देशों के कंडिका 4.4 के अनुसार सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति (ई सी) को राज्य में घटक एवं अनुमोदित परियोजनाओं को सब्सिडी के आधार पर पुनः आवंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रदाय है।

उप संचालक, उद्यानिकी, दूर्ग के अभिलेखों की समीक्षा (जून 2012) के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 में किसानों द्वारा केले के पैदावार हेतु स्वंय व्यय किया गया एवं बाद में सब्सिडी के लिए आवेदन किया गया था। डी एच एफ एफ रायपुर के आदेशानुसार (अक्टुबर 2007) निधियों के अनुपलब्धता के कारण इस घटक से ₹ 7.53 लाख की सहायता राशि प्रथम किश्त के तौर पर जैविक खाद के लिए आवंटित राशि से भुगतान किया गया था (सितम्बर 2008)। प्रारंभ में द्वितीय किश्त इसलिए स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2007-08 की सब्सिडी को वर्ष 2008-09 में भुगतान नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अध्यक्ष जिला मिशन समिति द्वारा मानव संसाधन विकास के बजट से द्वितीय किश्त के तौर पर ₹ 7.53 लाख की राशि स्वीकृत किया गया था। निधि प्रत्यावर्तन हेतु उपयुक्त प्राधिकार (ई सी) से वांछित स्वीकृति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। अतः केले के पैदावार पर कुल व्यय 15.06 लाख को एन एच एम के विभिन्न घटकों से बिना ई सी के स्वीकृति के निधियों का प्रत्यावर्तन अनियमित था।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) शासन ने बताया कि मिशन संचालक एस एच एम को एन एच एम के तहत योजना क्रियान्वयन का अधिकार है। यह भी कहना था

कि किसी घटक पर उपलब्ध आवंटन का तात्कालिक जरूरत नहीं होने पर दूसरे घटक जिसका वित्तीय आवंटन प्रतीक्षित है, के भौतिक लक्ष्य हेतु उपयोग किया जा सकता है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन एच एम के दिशा निर्देशानुसार राज्यवार एवं घटकवार सब्सिडी का अधिकार ई सी में निहित है। ए पी सी ने निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया एवं व्यय को नियमित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की बात कही। उपयुक्त प्राधिकार के अनुमोदन के बिना निधियों को प्रत्यावर्तित करने वाले जिम्मेदार कर्मचारी पर कार्यवाही भी की जावेगी।

(घ) विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत निधियों का उपयोग नहीं किया जाना

₹ 4.62 करोड़ के अनुपयोगी निधि को के-डिपोजिट में जमा या शासकीय खाते में समर्पण किया गया

छत्तीसगढ़ राज्य कोषालय संहिता के नियम 284 (1) में प्रावधान है कि जब तक तुरंत भुगतान के लिए राशि आवश्यक न हो कोषालय से कोई धन राशि आहरित नहीं किया जाना चाहिए। व्यय की प्रत्याशा अथवा बजट व्यपगत होने से बचाने के लिए धन का आहरण करना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है और इस तरह के मामलों में कोषालय से धन का आहरण करने वाले व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग ने जून 2011 को सभी विभागों को निर्देशित किया कि संचित निधि से राज्य योजना हेतु आहरित धन जो उपयोग नहीं होने के कारण बैंक खाते में जमा है और जो मार्च 2012 तक अनुपयोगी रही, ऐसे राशि को राज्य शासन के लेखे में ब्याज सहित जमा किया जाना था। यह भी निर्देशित किया गया था कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना से दिये गये धन को यथाशीध्र व्यय किया जाना और अनुपयोगी रकम मुख्य शीर्ष 8443 सिविल डिपोजिट में ब्याज सहित जमा किया जाना था। उक्त आदेशों का अनुपालन जून 2012 तक किया जाना था।

डी एच एफ एफ के कार्यालय के अभिलखों की जांच (अगस्त 2012) के दौरान देखने में आया है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिलों में आबंटित निधियों को कई कारणों से पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे, संचालक से अनुमति प्राप्त नही होने के कारण जगदलपुर में काजू के वृक्षारोपण के संधारण हेतु आबंटित राशि, रायपुर में टेस्टिंग प्रयोगशाला के निर्माण कार्य को आरंभ नही किया जाना, आदर्श कृषि ग्राम योजना में निधियों का अनुपयोगी रहना आदि। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के परिपालन में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 4.62 करोड़ की राशि राज्य शासन के मुख्य शीर्ष-0401 एवं मुख्य शीर्ष-8443 (सिविल डिपोजिट) में जमा किये गये है जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.1.4** में दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत एवं आहरित राशि का उपयोग नहीं होने के फलस्वरूप शासन के खाते में निधियों को समर्पित (₹ 90.55 लाख) किया गया अथवा के-डिपोजिट (₹ 3.71 करोड़) में हस्तांतरण किया गया। यह इंगित करता है कि योजना एवं वित्तीय प्रबंधन प्रभावशाली नहीं था।

इंगित किये जाने (सितम्बर 2012) पर शासन द्वारा बताया गया (नबंवर 2012) कि यद्यपि योजना की गतिविधियाँ प्रगति में थीं किन्तु वित्त विभाग के आदेश पर शासन के खाते में निधियों को जमा किया गया था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के निधियों का समुचित समय में विभाग द्वारा उपयोग नही किया गया था जिसके कारण निधि अवरूद्ध रहा। वित्त विभाग के आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात उसे शासन के खाते में जमा किया गया था। निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013) ए पी सी ने उपयुक्त तथ्य को स्वीकार किया था।

(ङ) अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के कंडिका 53 (iv) में प्रावधान है कि अस्थाई अग्रिमों का समायोजन भुगतान तिथि से तीन माह के भीतर किया जाना चाहिये । 15[14] आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अभिलेखों के समीक्षा से प्रकट हुआ कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों को किसान मेला संगठन, उद्यानिकी प्रर्दशनी, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं मजदूरों को वेतन हेतु खर्च करने के लिए अग्रिम दिए गये थे। यद्यपि देखने में आया कि ₹ 9.61 करोड़ (**परिशिष्ट 3.1.5**) की राशि समायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत में लंबित था। इसके अलावा ₹ 9.21 करोड़ की राशि तीन माह से पॉच वर्ष तक लंबित था जबकि ₹ 39.80 लाख पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित था। अतः प्रभावी नियंत्रण में कमी के कारण अग्रिम का समय पर समायोजन न होना विभाग द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012) शासन द्वारा बताया गया कि (नबंवर 2012) लंबित अग्रिमों के समायोजन हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं तथा निर्धारित अवधि में अग्रिम का समायोजन नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी।

निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013) ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के विरूद्ध लंबे समय से अग्रिमों का समायोजन लंबित है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह भी कहा गया कि अग्रिमों की वसूली अतिशीघ्र की जाएगी। पूर्व अग्रिमों के असमायोजित रहते हुए कर्मचारियों को अग्रिम दिये जाने के संबंध में ए पी सी ने बताया कि उन दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी जिन्होनें अग्रिमों के लंबित रहने के बावजूद पुनः अग्रिमों को स्वीकृत किया।

(च) नगदी प्रबंधन

छत्तीसगढ़ राज्य कोषालय संहिता के नियम 284(1) में प्रावधान है कि जब तक कि तुरंत भुगतान के लिए राशि आवश्यक न हो कोषालय से कोई राशि आहरित नहीं की जानी चाहिए, नियम 282 के साथ नियम 441 तथा 618 में प्रावधान है कि केवल स्थायी अग्रिम, पटेली कमीशन और कर्ज एवं अग्रिम का आहरण सिपंल रिसीप्ट देयक (सी जी टी सी-76) से ही किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के विपरीत चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नौ[15] जिलों में (**परिशिष्ट 3.1.6**) कोषालय से 2007-12 के दौरान राशि ₹ 12.83 करोड़ सिंपल

[14] डी डी एच बस्तर, डी डी एच बिलासपुर, ए डी एच धमतरी, डी डी एच दुर्ग, ए डी एच जशपुर, ए डी एच कबीरधाम, ए डी एच कांकेर, ए डी एच कोरबा, ए डी एच कोरिया, ए डी एच प्रमुख उद्यान रायपुर, ए डी एच रायगढ़, डी डी एच रायपुर, ए डी एच राजनांदगांव, डी डी एच सरगुजा एवं ए डी एच, एस एम एफ बाना रायपुर

[15] बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर, कोरिया, रायगढ़, रायपुर एवं सरगुजा

रिसीप्ट देयक (एस आर बिल) पर सी जी टी सी-76 के प्रारूप पर तैयार कर आहरित किया गया था। तत्पश्चात, राशि अधीनस्थ अधिकारियों को किसानों को सहायता, प्रशिक्षण आयोजन, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज निगम से बीज क्रय करने हेतु एवं विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदाय की गयी। अपनायी गयी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ कोषालय नियम का उल्लंघन था। आगे, एस आर बिल से आहरित राशि रोकड़ बही में अंतिम व्यय के रूप में दर्शायी गयी, कोषालय में समायोजन प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि डी एच एफ एफ के द्वारा सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एस आर बिल से निधियों का आधिक्य आहरण को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ निर्देशित भी किया गया कि एस आर बिल से आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक तुरंत संवितरण हेतु निधियों की आवश्यकता न हो।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए, ए पी सी ने बताया कि अधीनस्थ अधिकारियों को संहिता के प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाएगे।

(छ) भंडार का सत्यापन नहीं किया जाना

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 133 में प्रावधान है कि संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा नियत तरीके से प्रति वर्ष एक बार सभी भंडार का नियमानुसार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। जहाँ कही भी ऐसा भौतिक सत्यापन किया जाए, भण्डार सत्यापन का परिणाम, सूची, सामग्री-सूची अथवा लेखा, जैसा उपयुक्त हो, में अभिलेखित कर प्रमाणित किया जाना चाहिए।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया कि अवधि 2007-12 में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और न ही किसी तरह का सत्यापन का प्रमाण पत्र भंडार पंजी में पाया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि डी एच एफ एफ द्वारा जिला कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों द्वारा आवधिक भंडार सत्यापन के लिए निर्देशित किया जा चुका है। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकारा एवं बताया कि भण्डार सत्यापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किया जायेगें।

3.1.8 सेवा प्रदाय

3.1.8.1 उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार

उद्यानिकी फसलों के पौधारोपण के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार हेतु विभाग विभिन्न योजनाओं जैसे एन एच एम, आर के वि वाई[16] एवं राज्य क्षेत्र योजनाओं[17] का क्रियान्वयन करती है। संचालक द्वारा उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु 2007-12 के दौरान वर्ष वार लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार है:

तालिका 6: सभी योजनाओं के क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य एवं पूर्ति

(हेक्टेयर में)

फसलों के प्रकार	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	*प्रतिशत*
फल	17708	9302	17738	21582	15218	13045	15874	15719	9065	9790	75603	69438	92
सब्जी	4823	4685	4953	4935	8988	8611	38900	38554	30061	29878	87725	86663	99
मसाले	17455	12547	15900	15327	14780	14074	35045	33406	27126	31674	110306	107028	97
सुगंधित एवं औषधिय	7031	100	7615	6956	24980	25184	4120	3967	1950	2450	45696	38657	85
पुष्प	2244	14	1470	976	2397	2421	6600	4555	4713	6704	17424	14670	84

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा तैयार एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

फल, सब्जी और मसाले का क्षेत्र विस्तार की पूर्ति, लक्ष्य के 90 प्रतिशत से अधिक थी।

तालिका से स्पष्ट है कि 2007-12 की अवधि में लक्ष्यपूर्ति उत्साहवर्धक थी, फल, सब्जी और मसालों का क्षेत्र विस्तार की कुल लक्ष्यपूर्ति 90 प्रतिशत से अधिक थी। जबकि औषधीय एवं सुंगधित और फूलों की पूर्ति अपने लक्ष्य का क्रमशः 85 एवं 84 प्रतिशत था।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि राज्य के किसानों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों और फूलों के रोपण के संदर्भ में लोकप्रियता और जागरूकता की कमी के कारण इन फसलों के लक्ष्यों की पूर्ति तुलनात्मक रूप से कम थी। यह भी कहना था कि लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में प्रशिक्षण और विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाएगा।

निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013), ए पी सी ने बताया कि जिला कार्यालयों के माँग के आधार पर लक्ष्य तैयार किये गये हैं । लक्ष्य में अचानक गिरावट/नीचे जाने के संबंध में बताया गया कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा लक्ष्यों को संकलित और निश्चित किया जाता है, इसे भारत सरकार को भेजा जाता है जहाँ लक्ष्य अंतिम रूप प्राप्त करने के पूर्व परिवर्तित हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतिम लक्ष्य को राज्य द्वारा संकलित किया जाता है।

[16] बाहरमासी एवं गैर-बारहमासी फलों के नए उद्यानों की स्थापना, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार और औषधीय एवं सुगंधित पौधों का क्षेत्र विस्तार

[17] केला उत्पादन का सघन कार्यक्रम, बड़े शहरों के आसपास सब्जी उत्पादन, आलू विकास योजना, फल पौध रोपण योजना, पुष्प विकास योजना, औषधिय एवं सुगंधित फसलों की खेती और सघन फलोउद्यान योजना

3.1.8.2 विभिन्न उद्यानिकी फसलों का उत्पादन

2007-08 से 2011-12 के दौरान मुख्य फसलों का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:-

तालिका 7: उद्यानिकी फसलो का कुल उत्पादन को दर्शाने वाली तालिका

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

फसलों का प्रकार	पूर्ति					योग	
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	*लक्ष्य*	*पूर्ति*
सब्जी	46850	48807	98596	477684	389609	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	1061546
मसाले	67628	104683	86696	210792	207465		677264
सुगंधित एवं औषधिय	570	39580	145312	28919	18473		232854
पुष्प	41	2840	8014	12435	19442		42771

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा तैयार एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

फूलों के अलावा सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन में गिरावट थी।

उपरोक्त, तालिका से स्पष्ट है कि 2011-12 के दौरान, फूलों के अतिरिक्त सभी प्रकार के पौधों के उत्पादन में गिरावट थी, बावजूद इस तथ्य के कि फूलों के क्षेत्र विस्तार की उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम थी। अन्य प्रकार के पौधों के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा दो प्रतिशत (मसाले) तथा 36 प्रतिशत (औषधीय एवं सुगंधित) तक कमी पायी गयी।

चयनित जिलों के अभिलेखों के जांच (मई-अगस्त 2012) में देखा गया कि उद्यानिकी उत्पादों के प्रति हेक्टर उत्पादन गणना हेतु कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं था। डी एच ओ ने सुचित किया (मई-अगस्त 2012) कि उत्पादन के संबंध में आंकड़े कृषकों द्वारा प्रदाय जानकारी, मैदानी अमलों द्वारा प्राप्त अनुसार है। कृषकों द्वारा उत्पादन के विश्वसनीयता के सत्यापन हेतु किसी भी तरह का अभिलेख संधारित नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार तयशुदा प्रक्रिया न होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन निश्चित नहीं किया जा सकता है, उत्पादन का उपरोक्त आंकड़ा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने स्वीकार किया कि उद्यानिकी उत्पादकों के अभिलेखन हेतु कोई निर्धारित तंत्र अस्तित्व में नहीं है तथा उत्पादकता के आंकडे किसानों द्वारा बिना किसी दस्तावेज के मुहैया कराया गया है। यह भी बताया गया कि भारत सरकार तथा अन्य राज्यों द्वारा उत्पादों के गणना हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

3.1.8.3 छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों की उत्पादक क्षमता की तुलना में राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन

एन एच एम दिशा निर्देशों के कंडिका 8.4 में परिकल्पित अनुसार उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों को, उन्नत एवं उपयुक्त तकनीकों से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के द्वारा बढ़ायी जानी चाहिए।

डी एच एफ एफ के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2012) में पाया गया कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के वृद्धि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न उद्यानिकी फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन **परिशिष्ट 3.1.7** में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ में अधिकांश उद्यानिकी फसलों के संबंध में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वास्तविक उत्पादन क्षमता से कम थी। आगे, कई उद्यानिकी फसलों की औसत उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से भी नीचे थी।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान के अतिरिक्त, अच्छी किस्मों के उन्नत एवं प्रमाणित बीजों की आपूर्ति और मिट्टी की उर्वरता के उन्नयन हेतु जैविक- उर्वरक की आपूर्ति के द्वारा वर्तमान उत्पादन एवं राज्य की उत्पादक क्षमता के अंतर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013) ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि उत्पादकता स्तर को राज्य के उत्पादन क्षमता तक प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जायेगें।

3.1.9 योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में निम्नलिखित योजनाओं एवं घटकों की हमारे द्वारा समीक्षा की गई:

योजना का नाम	शामिल घटकों का नाम
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पौध रोपण सामग्री का उत्पादन, नये बगीचों की स्थापना, जल स्रोतों का सृजन, जैविक खेती, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, बागवानी मशीनीकरण, मानव संसाधन विकास, एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन एवं मार्केटिंग अद्योसंरचना की स्थापना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	नये फल के बगीचों की स्थापना, सब्जी क्षेत्र विस्तार मसाला उत्पादन क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का क्षेत्र विस्तार, शंकर बीज उत्पादन, पुराने बगीचों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, बागवानी मशीनीकरण एवं मानव संसाधन विकास।
राज्य योजनागत कार्यक्रम	*फल पौध रोपण योजना*

हमारे द्वारा योजना/कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान पाये गये आपत्तियों के बारे में निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई:

3.1.9.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा (जून 2005) एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जो प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ एवं उसके विविध जलवायु विशेषताओं से उद्यानिकी उत्पादों को बढ़ाने, पौष्टिक सुरक्षा को बढ़ाने एवं खेतीहर परिवारों को आय समर्थन के सामंजस्य से क्षेत्र के आधार पर अंतरीय कार्यनीति जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, प्रोत्साहन विस्तारिकरण, कटाई-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन शामिल है द्वारा उद्यानिकी के समग्र विकास के लिए प्रारंभ किया गया है।

(क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के धीमे क्रियान्वयन के कारण ₹ 63.85 करोड़ का अनुपयोगी रहना

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत भारत सरकार का योगदान 85 प्रतिशत और शेष 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं (ए ए पी) के अनुसार निधियाँ विमुक्त की जाती है। स्वीकृत ए ए पी के अनुरूप व्यय को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य बागवानी मिशन (एस एच एम) का है।

वर्ष 2005-12 के दौरान एस एच एम योजना गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आबंटित ₹ 471.73 करोड़ में से, ₹ 149.86 करोड़ का भुगतान जिला मिशन समितियों (डी एम सी) को किया गया एवं उसके विरूद्ध ₹ 86.01 करोड़ (42.60 प्रतिशत) का व्यय डी एम सी द्वारा किया गया **(परिशिष्ट 3.1.8)**। इसके कारण मुख्य घटक जैसे कटाई पश्च प्रबंधन (पी एच एम), फल क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, सामुदायिक पानी टंकीयाँ, काजू, मॉडल नर्सरी, वर्मी कम्पोस्ट आदि योजना गतिविधियों में धीमें कार्यान्वयन के कारण ₹ 63.85 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया। निधियों का अनुपयोगी रहने का कारण, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति बैठक (अक्टूबर 2010) में चर्चा के दौरान एवं शासन द्वारा सूचित अनुसार किसानों द्वारा रूचि नहीं लेने, पी एच एम के तहत कम सहायता, जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने इत्यादि के कारण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

शासन (नवम्बर 2012) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि डी एम सी और डी एच ओ को उपलब्ध निधियों को चालु वित्तीय वर्ष में ही इस्तेमाल करने को निर्देशित किया गया है। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अनुपयोगी निधियों को उपयोग में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा संचालक को यथाशीघ्र मामले को जाँच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(ख) उद्यानिकी क्षेत्र विस्तार के तहत उद्यानिकी फसलों का लक्ष्य और पूर्ति

2007-12 के अवधि के दौरान एन एच एम के तहत उद्यानिकी पैदावार के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैः-

तालिका 8: उद्यानिकी फसलो के क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य एवं पूर्ति

(हेक्टेयर में)

फसलों के प्रकार	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल लक्ष्य	कुल पूर्ति
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति		
फल	14176	5774	15530	19467	13010	10791	8300	8109	5519	6273	56535	50414
पुष्प	2230	0	1455	960	2250	2279	5523	3478	3680	5671	15138	12388
मसाले	11020	6112	11000	10407	6720	6369	16045	14406	11770	16318	56555	53612
सुगंधित एवं औषधीय	6856	0	7200	6649	24080	24339	3020	2880	850	1350	42006	35218
योग	**34282**	**11886**	**35185**	**37483**	**46060**	**43778**	**32888**	**28873**	**21819**	**29612**	**170234**	**151632**

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा तैयार एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2007-08 से 2011-12 में फल, फुल, मसाले तथा औषधीय और सुगंधित फसलों के क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ति क्रमशः 89, 82, 95 तथा 84 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है की उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु तय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शासन का प्रयास उत्साहवर्धक है।

(ग) औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार पर निष्फल व्यय

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.16 में उद्यानिकी फसलों की उन्नत किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का आवरण परिकल्पित है। उद्यानिकी फसलों जैसे फल, फूल, मसाले, सुगंधित पौधे और वृक्षारोपण फसलें जैसे काजु, कोको और सुपारी के नए क्षेत्रों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए लागत के 75 प्रतिशत तक अधिकतम ₹ 11,250 प्रति हैक्टेयर की दर से जो प्रति लाभार्थी चार हैक्टयेर तक सीमित हो, सहायता प्रदान की जाएगी।

11 एन एच एम जिलों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया (मई-अगस्त, 2012) कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान इन जिलों के औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार के तहत उपलब्धि का विवरण नीचे दिया अनुसार है :

तालिका 9: औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार के गिरावट के रूख को दर्शाने वाली तालिका

(हेक्टेयर में)

वर्ष	युकेलिप्टस सिट्रीडोरा	लेमन ग्रास	एलोवेरा	पचौली	खस	पामारोजा	जामारोजा	व्यय (लाख में)
2007-08	4200	1500	800	400	900	2500	612	1187.297
2008-09	1788	1900	900	213	550	1350	0	698.552
2009-10	1700	600	0	0	200	0	0	220.236
2010-11	800	750	0	0	200	200	0	277.272
2011-12	200	450	0	0	50	100	0	97.01
योग	**8688**	**5200**	**1700**	**613**	**1900**	**4150**	**612**	**2480.367**

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

अधोसंरचना एवं विपणन सुविधाओं के अभाव में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार में गिरावट

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्षेत्र विस्तार में लगातार गिरावट था। ऐलोवेरा और पचौली के सम्बन्ध में वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान क्षेत्र विस्तार शून्य था जबकि जामारोजा[18] के सम्बन्ध में वर्ष 2008-09 के पश्चात कोई क्षेत्र विस्तार नहीं किया गया था। उपर वर्णित औषधीय और सुगंधित पौधे के क्षेत्र विस्तार पर कुल व्यय ₹ 24.80 करोड़ था जिसे **परिशिष्ट 3.1.9** में दर्शाया गया है।

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक (24 जनवरी 2006) के दौरान कटाई पश्च प्रबंधन योजना के तहत 80 तेल-उद्धरण इकाईयाँ तथा सात एलोवेरा जेल इकाई की स्थापना राज्य में किए जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि आज तक (नवम्बर 2012) केवल 15[19] उद्धरण इकाईयों की स्थापना की गई। आगे, कांकेर में एक एलोवेरा उद्धरण इकाई तथा कबीरधाम जिले में दो आसवन और एक गैर-वाष्पीकरण ब्रॉयलर क्रमशः अक्टूबर 2009 तथा मार्च 2008 से विद्युतीकरण के अभाव और सुगंधित पौधे

[18] जामारोजा एक औषधीय नगदी फसल है

[19] 12 लेमन ग्रास एवं ई-सिट्रीडोरा प्रसंस्करण/उद्धरण इकाई एवं तीन एलोवेरा जूस/जेल उद्धरण इकाईयाँ

(कच्चे माल) की अनुपलब्धता के कारण क्रियाशील नहीं है।

औषधीय और सुगंधित उत्पादों के विपणन के लिए तीन एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (2006-07) हुआ जो कि वर्ष 2008-09 के दौरान व्यपगत हो गया। तब से औषधीय और सुगंधित कृषि उपज की खरीदी एजेंसियों द्वारा नहीं की गई। इस तरह औषधीय एवं सुगंधित फसल के प्रसंस्करण हेतु उचित बुनियादी सुविधा के अभाव के कारण किसानों के रूचि में गिरावट हुई जिसके फलस्वरूप औषधीय और सुगंधित पौधों का उत्पादन, क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सका। इसके, अलावा पारंपरिक फसल से वृक्षारोपण विविधिकरण की रणनीति भी विफल रही।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) की प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों से विचार विमर्श उपरांत लक्ष्य निर्धारित किया गया। बाद के वर्षों में किसानों द्वारा रूचि में कमी के कारण लक्ष्य में आनुपातिक कमी की गई थी। आगे, किसानों द्वारा फसलों के रख-रखाव में कमी के कारण वांछित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

तथ्य यह है कि औषधीय और सुगंधित पौधों के उद्यानों की स्थापना में योजना का अभाव था क्योंकि जिलों में उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु पर्याप्त अधोसंरचना नहीं थी, जैसा कि कुछ जि.उ.अधि. द्वारा सूचित किया गया। यह दर्शाता है कि औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में उद्यम करने के पूर्व बाजार का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया गया और बताया गया कि क्षेत्र विस्तार में गिरावट मुख्य रूप से किसानों के रूचि में कमी की वजह से था और भविष्य के लक्ष्य का निर्धारण मांग के साथ ही साथ अधोसंरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(घ) उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्यु दर के कारण निरर्थक व्यय ₹ 8.33 करोड़

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.15 (2005-06) और 8.16 (संशोधित वर्ष 2011-12 से प्रभावी) के अनुसार बारहमासी और गैर बारहमासी नए बागानों की स्थापना के लिए प्रति हैक्टेयर ₹ 22,500 (वर्ष 2010-11 से ₹ 30,000) और मसाले एवं सुगंधित पौधों के लिए ₹ 11,250 प्रति हैक्टेयर (वर्ष 2010-11 से ₹ 12,500) की सहायता प्रदान की जाती है। बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों के लिए सहायता 50: 20: 30 (वर्ष 2010-11 से 60: 20: 20) की तीन किश्तों में प्रदाय की जाती है बशर्ते जीवितता दर दूसरे एवं तीसरे वर्ष में क्रमशः 75 एवं 90 प्रतिशत होनी चाहिए। योजना गतिविधियों की निगरानी के प्रावधान अनुसार आर एच ई ओ द्वारा 100 प्रतिशत, एस एच डी ओ द्वारा 75 प्रतिशत, डी डी एच/ए डी एच द्वारा 25 प्रतिशत, सी ई ओ, जनपद पंचायत द्वारा 10 प्रतिशत तथा सी ई ओ जिला पंचायत द्वारा 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

डी डी एच, बस्तर और ए डी एच राजनांदगांव के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान

उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्यू दर से ₹ 8.33 करोड़ का निरर्थक व्यय

फसल निगरानी रिपोर्ट (सी एम आर) से हमने पाया कि फसलों की मृत्यू दर अत्यधिक थी। बस्तर जिले के विभिन्न क्लस्टरों में लगाए गए फसलों के उपलब्ध सी एम आर आंकडें के 99 प्रतिशत मामलों में जीवितता दर 60 प्रतिशत से कम थी। इसके अलावा राजनांदगांव के उपलब्ध सी एम आर से ज्ञात होता है कि जीवितता दर 20 से 70 प्रतिशत के बीच था। बारहमासी फसलों के अंतर्गत वृक्षरोपण के प्रथम वर्ष के बाद मृत्यू दर की स्वीकार्य सीमा केवल 25 प्रतिशत है और फसलों के जीवितता दर 75 प्रतिशत से कम होना फसलीकरण योजना की विफलता को दर्शाता है। परिणामतः ऐसे मामले स्वतः ही योजना गतिविधियों से बाहर हो जाते हैं और इस योजनांतर्गत आगे सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। इस प्रकरण को आगे कण्डिका 3.1.9.1 (च) में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार मसाले और औषधीय फसलों में समस्त फसल विफल रही क्योंकि इनके लिए मृत्यु दर का कोई प्रावधान नही था। आगे हमने देखा कि राजनांदगांव जिले मे पौधों के रोपण आदर्श अवधि[20] में नहीं किए गए जैसे कि विभागीय दिशा निर्देश (सफल बागवानी के उपाय) में परिकल्पित है। इस प्रकार बस्तर और राजनांदगांव जिलों में उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्यू दर के कारण क्षेत्र विस्तार में ₹ 8.33 करोड़ **(परिशिष्ट 3.1.10)** का व्यय निरर्थक रहा।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अत्याधिक मृत्यू दर किसानों में फसलों के रख-रखाव में रूचि की कमी के साथ ही साथ पशुओं द्वारा खुली चराई के कारण था। आगे यह भी बताया गया कि अधिकांश क्षेत्र दीमक से प्रभावित थे जिसके लिए किसानों द्वारा पौध संरक्षण सुविधाओं का उपयोग नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप फसलों के मृत्यु दर में वृद्धि हूई।

शासन का उत्तर, क्षेत्र विस्तार योजना के गतिविधियों की निगरानी में कमी दर्शाता है। निर्गम बैठक (20 फरवरी 2013) में ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि किसानों के सहयोग से बेहतर बाड़ी लगाने की सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी और इस प्रकार मृत्यु दर को कम किया जाएगा।

(ड.) मसाला विकास के अंतर्गत प्याज रोपण पर ₹ 43.06 लाख का अनियमित व्यय

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.16 के अनूसार उद्यानिकी फसलों के तहत जैसे फल, फूल, मसाले, सुगंधित पौधों और रोपण फसलें जैसे काजू, कोको और सुपारी के लिए नये क्षेत्र लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2010 में जारी पुनरीक्षित दिशा-निर्देश कहता है कि मसाला विकास के तहत कंदीय मसाले एवं राईझोमैटिक मसालों के साथ-साथ बारहमासी मसालों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। योजना दिशा-निर्देशों में प्याज के लिए सहायता का कहीं प्रावधान नहीं है।

डी एच ओ बस्तर, दुर्ग, कबीरधाम और राजनांदगांव के अभिलेखों के जॉच (मई-अगस्त 2012) के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2008-09 में मसाला विकास के अंतर्गत प्याज की खेती की गई और ₹ 43.06 लाख का व्यय किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.1.11** में दिया गया है।

[20] आदर्श बागवानी अवधि, आम- मई, जूनः अमरूद एवं नीबू- जुलाई अगस्तः अदरक- मई, धनिया- अक्टुबर, नवंबर रजनीगंधा- फरवरी, अप्रैल, सिट्रीडोरा- जून, जुलाई

चूंकि एन एच एम के अंतर्गत मसाले की खेती के अंतर्गत प्याज की खेती के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इस तरह प्याज रोपण पर किया गया संपूर्ण व्यय ₹ 43.06 लाख अनियमित था।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने बताया कि (नवम्बर 2012), किसानों से प्याज के बीज की मांग थी इसलिए बीज प्रदान किए गए तथा राज्य स्तरीय कार्यपालिक समिति (एस एल ई सी) से आवश्यक अनुमति भी (जुलाई 2009) प्राप्त कर ली गई है। आगे, प्याज के क्षेत्र विस्तार को भारत सरकार को प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

तथ्य यह है कि एन एच एम दिशा निर्देशों के अनुसार केवल राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिक समिति को ऐसे परियोजनाओं के अनुमोदन का विवेकाधीन अधिकार है जिनका मानक निर्धारित नहीं किया गया है। एन एच एम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मसाला उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्याज के लिए सहायता का प्रावधान नहीं है। निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013) ए पी सी ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार करते हुये बताया कि व्यय को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

तथापि, राष्ट्रीय स्तर से अनुमोदन मार्च 2013 तक अपेक्षित था। आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उचित मांग के आकलन की भी आवश्यकता है।

(च) उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्यु दर के कारण किसानों को ₹ 2.37 करोड़ की सहायता राशि जारी नहीं किया जाना

एन एच एम दिशा-निर्देशों की कंडिका 8.16 में उद्यानिकी फसलों के उन्नत किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का आवरण परिकल्पित है। बारहमासी फसलों की खेती के लिए सहायता अधिकतम क्षेत्र चार हैक्टेयर प्रति लाभार्थी होगी और तीन वर्षो में, 60:20:20 के अनुपात में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में विस्तृत होगी। द्वितीय वर्ष की सहायता नए बागानों के 75 प्रतिशत जीवितता पर और तृतीय वर्ष की सहायता पौधों के 90 प्रतिशत जीवितता की शर्त पर प्रदान की जावेगी।

एन एच एम जिलों और डी एच एफ एफ रायपुर के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बारहमासी फलों के नए उद्यान की स्थापना के लिए निम्नलिखित खर्च किए गयेः-

तालिका 10: द्वितीय और तृतीय वर्षों में सहायता विमुक्त न किये जाने को दर्शाने वाला तालिका

(₹ लाख में)

वर्ष	सम्मिलित क्षेत्र (हे.में)	क्षेत्र विस्तार पर व्यय राशि	प्रथम वर्ष के बाद सहायता का आवंटन	प्रथम वर्ष के बाद प्रदाय सहायता	द्वितीय वर्ष के बाद सहायता का आवंटन	द्वितीय वर्ष के बाद प्रदाय सहायता	कुल अवितरित सहायता
2007-08	2708	304.67	0	0	123.59	0	123.59
2008-09	12970	1453.55	95.47	2.38	28.35	28.35	93.09
2009-10	9105	1024.35	113.36	113.36	60.83	40.55	20.28
2010-11	4890	470.58	84.69	84.69	**	**	—
		3253.15	**293.52**	**200.43**	**212.77**	**68.9**	**236.96**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2007-08 के दौरान की गई रोपण सम्बन्ध में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के बाद कोई भी सहायता जारी नही की गई। इसी तरह वर्ष 2008-09 में ₹ 95.47 लाख आबंटन के विरूद्ध केवल ₹ 2.38 लाख ही सहायता के रूप में प्रदान की गई। आगे, वर्ष 2009-10 के दौरान की गई रोपण के लिए आबंटित सहायता ₹60.83 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 40.55 लाख जारी की गई। इस प्रकार अवधि 2007-08 से 2010-11 के दौरान कुल ₹2.37 करोड़ की सहायता किसानों को प्रदान नहीं की जा सकी। विभाग के अनुसार अनुवर्ती सहायता विमुक्त नहीं करना, फसलों का मृत्यु दर निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण है।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में मृत्यु दर को कम करने की आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिससे कि मानकों के अनुसार पूर्ण सहायता प्रदाय की जा सके।

(छ) पुराने और जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार /प्रतिस्थापन

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.19 में प्रावधान है कि जीर्ण बागानों को हटाने, आदानों के उचित तथा समेकित संयोजन से समर्थित नये स्टाक को पुनः लगाये जाने, छंटाई तथा ग्राफ्टिंग तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता सुधार कार्यक्रमों को किया जाना अपेक्षित है। कार्यक्रम को पृथक किसानों,किसानों के सहकारी समूह, स्व सहायता समूहों (एन जी ओ) उत्पादक संघ तथा वस्तु-संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। जीर्ण बागानों के पुनरूद्धार/ पुनः पौधे लगाये जाने हेतु सहायता लागत की 50 प्रतिशत होगी जो कि ₹ 15,000/- प्रति हैक्टेयर की अधिकतम सीमा के अधीन 2 हेक्टेयर प्रति हितग्राही तक सीमित होगा।

डी एच ओ, बस्तर के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2012) में प्रकट हआ कि वर्ष 2006-07 और 2008-09 में पुराने और जीर्ण पौधों के प्रतिस्थापन /पुनरूद्धार के लिए क्रमशः लक्ष्य 200 और 100 हैक्टेयर के विरूद्ध वर्ष 2006-07 में ₹ 30 लाख और वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 15 लाख प्राप्त हुआ। इसके अलावा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹7.50 लाख प्राप्त हुआ। इस घटक के तहत प्राप्त कुल राशि ₹ 60 लाख के विरूद्ध ₹11.16 लाख का व्यय बीज निगम से 30 विद्युत चलित चैन सॉ प्रुनर की खरीदी (फरवरी 2009) की गई। इन 30 चैन सॉ प्रुनर में से, केवल एक प्रुनर एक किसान समूह को जारी किया गया था (जून 2010)। शेष 29 प्रुनर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर को जारी (जून 2011) किये गये थे।

जिला मिशन समिति, बस्तर, जगदलपुर, की बैठक (फरवरी 2011) में यह निर्णय लिया गया कि पुराने और जीर्ण पौधों का पुनरूद्धार कार्य कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर के माध्यम से कराया जायेगा। कार्य के लिए एक प्राक्कलन बनाया गया और कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत (मई 2011) किया गया साथ ही साथ पुनरूद्धार कार्य किये जाने के लिए राशि ₹ 33.08 लाख का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। जबकि 300 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध केवल छः हैक्टेयर में जुलाई 2012 तक पुनरूद्धार कार्य विभाग द्वारा किया जा सका। इस प्रकार वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान

स्वीकृत राशि का जीर्ण पौधों के पुनरूद्धार के वांछित उद्देश्य के लिए आज तक (फरवरी 2013) उपयोग नहीं किया जा सका जिससे ₹ 48.08 लाख (₹ 33.08 + ₹ 7.5 + ₹ 7.5) अवरूद्ध रही एवं ₹10.79 लाख मुल्य के प्रुनर निष्क्रीय रही।

शासन ने सुचित किया कि पुनरूद्धार के लिए एक विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है और इसी वित्तीय वर्ष में इसे पूर्ण किया जाएगा। निर्गम बैठक (20 फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर सहमति प्रदान करते हुए बताया कि कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर द्वारा ली गई पुर्नस्थापना कार्य के वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

शासन का उत्तर प्रुनरों के निष्क्रिय रहने और राशि अवरूद्ध रहने के लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि करता है।

(ज) काजू पौधों की अत्यधिक मृत्यु दर के कारण गैप फिलिंग पर अनियमित व्यय राशि ₹ 19.26 लाख

एन एच एम दिशानिर्देश की कंडिका 8.16 में उद्यानिकी फसलों की उन्नत किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का आवरण परिकल्पित है। एक कृषक को खेती के लिए सहायता पाने की पात्रता तीन वर्षो में 50:30:20 के अनुपात में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में विस्तृत होगी। द्वितीय वर्ष की सहायता नए बागानों के 75 प्रतिशत जीवितता पर और तृतीय वर्ष की सहायता पौधों के 90 प्रतिशत जीवितता की शर्त पर प्रदान की जावेगी।

जिलो के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि बस्तर जिले में वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान काजू रोपण के संदर्भ में लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्न हैः

तालिका 11 :- बस्तर जिले में काजू रोपण के लक्ष्य तथा पूर्ति दर्शाने वाली तालिका

वर्ष	लक्ष्य (हे.)	पूर्ति (हे.)	टिप्पणी
2006-07	500	500#	# 2005-06 का लक्ष्य
2007-08	2000	1883	--
2008-09	2000	853+117*	* 2007-08 का शेष लक्ष्य

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी)

वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के दौरान लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्षेत्र विस्तार तथा गैप फिलिंग के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों से काजू कलम (ग्राफ्ट) का क्रय निम्नानुसार किया गया:

तालिका 12: गैप फिलिंग हेतु खरीदी एवं उपयोगित काजू पौधों को दर्शाता तालिका

वर्ष	कलमों की संख्या	एजेंसी	प्रति पौधे कीमत	कुल लागत (₹)	उपयोग की गई पौधों की संख्या			योग	टिप्पणी
					क्षेत्र विस्तार	गैप फिलिंग के पश्चात			
						प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
2006-07	50,000	हिरवई नर्सरी	19.10	9,55,000	50,000 (06-07)	--	--	50,000	—
2006-07	1,00,000	हिरवई नर्सरी	19.10	19,10,000	1,88,300	27,070	--	2,15,370	20,000 मृत पौधे
2007-08	1,22,870	उड़ीसा राज्य विकास निगम	18.80	20,99,960					
2007-08	10,450	कृषि विश्व विश्वविद्यालय	14.00	1,46,300					
2007-08	3,050	शासकीय नर्सरी	16.00	48,800					
2008-09	1,78,418	बाना फर्म	18.90	33,72,100	85,300 (08-09) 11,700 (07-08)	77,800 (द्वितीय वर्ष 2006-07 के गैप फिलिंग हेतु पौध रोपण शामिल)	--	1,63,100	3,618 मृत पौधे
गैप फिलिंग हेतु उपयोग किए गए कुल पौधे						**1,04,870**			

(स्रोतः- विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

दूसरे वर्ष की सहायता, पौधों की जीवितता 75 प्रतिशत होने पर तथा तीसरे वर्ष सहायता पौधों के 90 प्रतिशत जीवितता होने पर देय थी। तकनीकी सहायता समूह (टी एस जी) की सिफारिशों (जून 2006) के अनुसार प्रति हेक्टेयर 100 कलम लगाये जाने थे।

वर्ष 2006-07 के दौरान काजू वृक्षारोपण के तहत 500 हेक्टेयर पर 50,000 काजू कलम लगाये गये थे। 500 हेक्टेयर के रोपण के लिए 25 हेक्टेयर गैप-फिलिंग अनुमत्य था अर्थात 2,500 कलम है। आगे, द्वितीय वर्ष के अंत में पौधों की जीवितता 90 प्रतिशत होने पर तीसरे वर्ष की गैप-फिलिंग अनुमत्य थी। इस प्रकार, द्वितीय वर्ष के बाद केवल 5,000 कलम का उपयोग गैप-फिलिंग के लिए किया जा सका था। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में 1883 हेक्टेयर वृक्षारोपण के सापेक्ष्य में, प्रथम वर्ष के पूरा होने के बाद गैप-फिलिंग हेतु अनुमत्य काजू कलम 47,075 था जो कुल रोपित काजू कलमों अर्थात 1,88,300 का 25 प्रतिशत था।

डी डी एच बस्तर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान लगाये गये काजू के पौधों की अत्यधिक मृत्यू दर के कारण स्वीकार्य सीमा से अधिक गैप-फिलिंग किया गया जो नीचे विस्तृत हैः

तालिका 13: क्षेत्र विस्तार अंतर्गत काजू वृक्षारोपण तथा गैप-फिलिंग का विवरण

वर्ष	क्षेत्र विस्तार	कुल उपयोगित काजू कलम	प्रथम वर्ष के बाद गैप-फिलिंग की अनुमत्य सीमा (क्षेत्र विस्तार का 25 प्रतिशत)	एक वर्ष बाद की गई गैप-फिलिंग	दूसरे वर्ष के बाद गैप-फिलिंग की अनुमत्य सीमा (क्षेत्र विस्तार का 10 प्रतिशत)	दूसरे वर्ष के पश्चात की गई गैप-फिलिंग
2006-07	500	50,000	12,500	27,070	5,000	16,515
2007-08	1,883	1,88,300	47,075	61,285	--	--

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान किया गया काजू वृक्षारोपण का गैप-फिलिंग कार्य अनुमत्य नहीं था चूंकि गैप-फिलिंग के लिए पौधों की आवश्यक न्यूनतम जीवितता प्राप्त नहीं की जा सकी। इस प्रकार, गैप-फिलिंग पर कुल 1,04,870 काजू कलम पर किया गया व्यय ₹19.26 लाख *(जैसा कि नीचे वर्णित)* अमान्य था।

तालिका 14: गैप-फिलिंग के लिए काजू कलम क्रय की कुल लागत दर्शाने वाली तालिका

वर्ष के दौरान की गई गैप फिलिंग	काजू कलम का स्रोत	कलम की संख्या	लागत	कुल लागत (कालम 04 का योग)	इकाई लागत	गैप-फिलिंग के लिए उपयोगित कलमों की संख्या	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
2007-08	उड़ीसा राज्य	1,22,870	20,99,960	22,95,060	16.83	27,070	4,55,588
	स्वंय की नर्सरी	3,050	48,800				
	कृषि महाविद्यालय	10,450	1,46,300				
2008-09	बाना नर्सरी	1,78,418	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	18.90	77,800	14,70,420
योग							**19,26,008**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अपर्याप्त मैदानी अमलों के कारण निगरानी में कमी के अलावा खुली चराई, दीमक का प्रकोप और किसानों द्वारा अनुचित देखभाल के कारण मृत्यु दर अत्यधिक रहा। यह भी बताया गया कि जीवितता दर शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए अनुमत्य सीमा से अधिक गैप-फिलिंग किया गया। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) ए पी सी द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया कि पौधों की जीवितता सुनिश्चित रखने के लिए गैप-फिलिंग अनुमत्य सीमा से अधिक किया गया था ताकि योजना की गतिविधियाँ निरंतर रह सके।

यद्यपि तथ्य यह है कि बिना वांछित जीवितता सुनिश्चित किए गैप-फिलिंग करने के कारण ₹19.26 लाख का अमान्य व्यय किया गया।

(झ) रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री जैसे पौधे, प्लांटलेट्स तथा किसानों को विभिन्न प्रकार के बीज प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा राज्य में 117 नर्सरियों की स्थापना की गई।

इन नर्सरियों के लिए पोली हाउस, नेट हाउस, प्रोपेगेश्न हाउस और सिचांई सुविधाएं प्रदाय की गई। यद्यपि, नमूना जांच किए गए जिलों में शासकीय नर्सरियों के अदक्षतापूर्ण प्रदर्शन से वांछनीय मात्रा में पौध रोपण सामग्रीयों का उत्पादन नहीं हुआ, जिसकी चर्चा आगे कंडिकाओं में की गई हैः

शासकीय उद्यानों का प्रदर्शन

अच्छी गुणवत्ता के बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण एन एच एम का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। उन्नत किस्म के उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को लाने के लिए रोपण सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति एवं पुराने तथा जीर्ण वृक्षारोपणों के जीर्णोधार कार्यक्रम हेतु निजी तथा शासकीय क्षेत्रों के अन्तर्गत नवीन नर्सरियों कि स्थापना के लिए सहायता प्रादन की जाती हैं।

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.6 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित मॉडल नर्सरी को 100 प्रतिशत सहायता की पात्रता थी जो कि अधिकतम प्रति इकाई ₹18 लाख (संशोधित राशि ₹ 25 लाख प्रति इकाई वर्ष 2010-2011 से प्रभावी) अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए थी। स्थापित नर्सरियों को प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष एक लाख पौधों का उत्पादन करना था (प्रति हेक्टेयर 50,000 पौधे वर्ष 2010-11 से प्रभावी)।

11 एन एच एम जिलों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि एन एच एम के अन्तर्गत मॉडल नर्सरी की पौध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान ₹ 6.41 करोड़ की राशि नर्सरियों को सहायता के रूप में प्रदान की गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.1.12** में हैं। तथापि हमने पाया कि कुछ नर्सरियों में बिजली कि अनुपलब्धता के कारण मिस्ट चेंम्बर, हार्डेनिंग यार्ड, पॉलीहाउसेस इत्यादि कार्यशील नहीं थे। कुल मिलाकर उत्पादन क्षमता में वृध्दि के बावजूद नर्सरियाँ न्यूनतम पौध उत्पादन नहीं कर पाईं जो कि निम्न तालिका में दर्शित है:

तालिका 15: वर्ष 2007-12 के दौरान नर्सरियों की उपयोगिता सामर्थ्य में कमी

जिले का नाम	मॉडल नर्सरी के अंतर्गत ली गयी नर्सरीयों की संख्या	अधोसंरचना पर व्यय	कुल पौध उत्पादन क्षमता	*वास्तविक पौध उत्पादन*	कमी (प्रतिशत)
बस्तर	07	65,45,291	92,00,000	4,09,804	**87,90,196 (*96*)**
बिलासपुर	10	84,02,737	1,30,00,000	21,49,689	**1,08,50,311 (*83*)**
दुर्ग	08	63,82,388	1,08,00,000	23,74,253	**84,25,747 (*78*)**
जशपुर	06	62,93,236	58,00,000	5,74,751	**52,25,249 (*90*)**
कबीरधाम	04	38,02,888	60,00,000	5,33,876	**54,66,124 (*91*)**
कोरबा	05	44,47,763	72,00,000	11,40,377	**60,59,623 (*84*)**
कोरिया	05	47,80,708	50,00,000	4,67,701	**45,32,299 (*91*)**
राजनांदगांव	04	33,61,601	50,00,000	6,13,086	**43,86,914 (*88*)**
रायगढ़	08	72,32,737	98,00,000	9,40,195	**88,59,805 (90)**
रायपुर	07	69,96,924	68,00,000	5,15,539	**62,84,461 (*92*)**
सरगुजा	06	58,84,174	74,00,000	6,76,321	**67,23,679 (*91*)**
योग	**70**	**6,41,30,447**	**8,60,00,000**	**1,03,95,592**	**7,56,04,408 (*88*)**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

प्रत्येक वर्ष चार/दो लाख पौधे उत्पादन क्षमता के विरूद्ध पौधे उत्पादन में कमी, दुर्ग में 78 प्रतिशत और बस्तर जिले में 96 प्रतिशत तक थी। कुल मिलाकर, समस्त एन एच एम जिलों में नर्सरियों की उपयोगिता में सामर्थ्य से 88 प्रतिशत की कमी थी। हमने यह भी पाया कि कुल नौ स्थापित ग्रीन हाउस, स्क्रीन हाउस, मिस्ट चेम्बर और हार्डनिंग चेम्बर में बिजली की अनुपलब्धता के कारण इन नर्सरियों में कार्यशील नहीं थे (कंडिका 3.1.6.4 (ख) में वर्णित) जिसके कारण कुल लागत ₹ 6.41 करोड़ से स्थापित क्षमता का उपयोग नही हुआ।

मॉडल नर्सरियों के अंतर्गत ₹ 6.41 करोड़ के लागत की अधोसंरचना अनुपयोगी रहना

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन द्वारा बताया (नवम्बर 2012) गया कि वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान नर्सरियों में पौधा उत्पादन की वृद्वी हुई जो कि मॉडल नर्सरियों की स्थापना से बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को इंगित करता है। तथापि, विभिन्न कारणों जैसे अंतर-विभागीय समन्वय में कमी के वजह से बिजली आपूर्ति में व्यवधान साथ ही साथ बिजली की अनुपलब्ध्ता थी, जिसे सचिव उर्जा विभाग से चर्चा हेतु लिया जा रहा है।

तथ्य यह है कि भले ही नर्सरी से पौधे उत्पादन मे वृद्धि हुई है, नर्सरी क्षमता का उपयोग संताषजनक नही था। निर्गम बैठक (20 फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर सहमति व्यक्त की तथा बताया कि क्षमता से कम उपयोग के कारणों की जाँच की जावेगी तथा आगे बताया कि बिजली आपूर्ति कि कमी से अधिकतम क्षमता से कार्य नहीं कर रहे नर्सरियो में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उर्जा विभाग से विचार-विमर्श किया जायेगा।

(ञ) जल स्त्रोतों का सृजन

नलकूप खनन पर निष्फल व्यय ₹ 3.81 करोड़

एन एच एम दिशा निर्देशानुसार उद्यानिकी फसलो की जीवन-रक्षक सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक टैंकों, प्लास्टिक/रिइनफोर्सड सीमेंट कांक्रीट के साथ खेत वाले तालाब/जलाशयों को बनाने हेतु सहायता दी जायेगी। एन एच एम दिशा निर्देशों की कंडिका 8.17 के अनुसार प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹ 10[21] लाख प्रति इकाई की सहायता समुदायिक आधार पर दी जानी थी। सृजित जल स्त्रोतो के रख-रखाव कि जिम्मेदारी कृषक समूह की थी। छत्तीसगढ़ शासन के सामुदायिक वाटर हार्वेस्टिंग ढांचों की जगह सामुदायिक नलकूप खनन के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा (अगस्त 2008) स्वीकृत किया गया।

विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता न होने के कारण नलकूप खनन एवं पम्पों पर निष्फल व्यय ₹ 3.81 करोड़

चयनित जिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2007-2012 की अवधि में नौ जिलों में 1747 सफल नलकूप खनन किये गये। इसमें से 688 खनित नलकूपों, जिसकी लागत ₹3.20 करोड़ थी में पंप स्थापित नही थे। आगे, यह भी देखा गया कि यद्यपि 70 नलकूपों में पंप स्थापित थे किन्तु विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे नलकूपों पर राशि ₹ 61[22] लाख (पंप की लागत सहित) की सहायता दी गई थी। पंप स्थापना एवं बिजली कनेक्शन की अनुपलब्धता से 758 नलकूपों पर ₹ 3.81 करोड

[21] ₹15 लाख 2010-11 से प्रभावी (संशोधित दिशा निर्देशों की कंडिका 8.20)

[22] नलकूप खनन पर व्यय ₹ 41,25,805 एव पंप स्थापना पर व्यय ₹ 19,62,676

(परिशिष्ट 3.1.13) का निष्फल व्यय हुआ।

हमने जब इसे इंगित किया (सितम्बर 2012) तो शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि सामुदायिक नलकूप के अन्तर्गत किसान समूहों को सहायता प्रदान करने के पहले किसान समूहों के साथ एक अनुबंध किया जाता है कि वे उनमे विद्युतीकरण के लिए जिम्मेदार होगे। आगे यह भी कहा गया कि किसानों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण विद्युतीकरण की व्यवस्था नही करायी जा सकी जिसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा लागू अन्य योजनाओं के तहत बिजली की व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर से स्पष्ट है कि किसानों के लाभ के लिए नलकूप खनन के संचालन हेतु योजना, समन्वय एवं निगरानी गतिविधियों में कमी थी। विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु सहायता प्रदान करने के पूर्व स्थल पर बिजली कनेक्शन की उपलब्धता को सुनिश्चित नही किया गया जिसके परिणामस्वरूप नलकूपों के खनन पर राशि ₹ 3.91 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। निर्गम बैठक (20 फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में बिजली कनेक्शन की उपलब्धता के आंकलन के पश्चात ही नलकूप खनन किए जायेगें।

(ट) जैविक खेती

(i) एच डी पी ई[23] वर्मी वेड एव शेडनेट आपूर्ति पर राशि ₹ 9.31 करोड़ का निष्फल व्यय

उद्यानिकी में जैविक खेती तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जैविक उत्पादन का बुनियादी नियम है कि इसमें प्राकृतिक सामग्रियों (इनपुट) का उपयोग किया जाना है तथा संश्लेषित सामग्रियाँ पूर्णतः निषेधित हैं।

एन एच एम दिशा निर्देशों की कंडिका 8.29 के अनुसार, वर्मी खाद इकाईयों/जैविक उत्पादन इकाईयों हेतु सहायता, लागत राशि का 50 प्रतिशत की दर से देय होगी, जो प्रति हितग्राही अधिकतम ₹30,000 होगी। छोटी इकाईयों हेतु सहायता अनुपात के आधार पर दी जायेगी। एच डी पी ई वर्मी-वेड हेतु लागत ₹10,000/ प्रति वेड होगी।

वर्मी कल्चर प्रदाय नहीं किए जाने से वर्मी वेड एवं शेडनेट पर ₹ 9.31 करोड़ का निष्फल व्यय

टी एस जी की अनुशंसा (22 जुन 2006) के अनुसार वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिए सामग्री सहायता के रूप में एच डी पी ई टेट्रा पैक, शेडनेट एवं वर्मीकल्चर (केचुऐं) प्रदाय किया जाना था। प्रति इकाई सहायता रू 5,000/ तक सीमित थी।

चयनित एन एच एम जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान जैविक खेती के अंतर्गत वर्मी वेड, शेड नेट और वर्मी कल्चर हितग्राहियों को वितरित किये गये। तथापि, हमने पाया कि **परिशिष्ट 3.1.14** में विस्तृत प्रकरणों में, यद्यपि वर्मी वेड एवं शेडनेट हितग्राहियों को वितरित किए गए किन्तु वर्मी कल्चर की आपूर्ति नहीं की गई। विभाग ने भी वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों को क्रियात्मक करने के लिए वर्मी कल्चर की बची हुई मात्रा की आपूर्ति के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। वर्मी कल्चर के अभाव में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन सम्भव नही था। इस तरह

[23] हाई डेनसिटी पॉली इथलीन

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान ₹ 8.87 करोड़ के लागत की 28,843 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों और राशि ₹ 43.56 लाख की लागत का 1,23,061 वर्गमीटर शेड नेट वितरित किया गया जिसका उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामतः वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का वांछित उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकी। इस प्रकार वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रय किये गये वर्मी वेड ओर शेड-नेट पर समस्त व्यय ₹ 9.31 करोड़ सितम्बर 2012 तक निष्फल साबित हुआ।

अनुपयोगी वर्मी वेड को दर्शाता छायाचित्र



तोकापाल ब्लाक के ग्राम रनसर्गीपाल, बस्तर (29 जुलाई 2012) पोर्टेबल एच.डी.पी.ई वर्मी कम्पोस्ट इकाई में रेत भरी हुई।



ग्राम जोरातराई, जिला राजनांदगांव (16 मई 2012) अनुपयोगी पोर्टेबल एच.डी.पी.ई वर्मी कम्पोस्ट इकाई।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अक्रियाशील वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयों को क्रियाशील बनाने हेतु एक प्रस्ताव बनाया जा रहा हैं।

वर्मी-कल्चर की आपूर्ति सुनिश्चित किये बिना एच डी पी ई वर्मी वेड की आपूर्ति करना वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों के क्रियान्वयन में योजना और निगरानी की कमी को इंगित करता हैं परिणामस्वरूप ₹ 9.31 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने भी लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया कि योजना असफल होने के कारण इसके बाद उक्त योजना को बंद कर दिया हैं।

(ii) कम घनत्व के शेड-नेट (75 प्रतिशत) की खरीदी

एन एच एम के तहत गठित टी एस जी की बैठक (फरवरी 2009 एवं मई 2010) के कार्यवाही विवरण के अनुसार जैविक खेती के तहत किसानों के खेतों में वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को सहायता के रूप में एच डी पी ई बेड, केचुऑ और हरें रंग की शेड-नेट (90 प्रतिशत घनत्व) प्रदान किये जाने थे।

11 एन एच एम जिलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान टी एस जी के सिफारिशों के विरूद्ध 90 प्रतिशत घनत्व के बजाय 75 प्रतिशत घनत्व के कुल 9,53,725 वर्ग मी शेड-नेट संचालनालय स्तर पर क्रय किये गये तथा आगे लाभार्थियों को वितरित करने के लिए क्षेत्रिय कार्यालयों को प्रदाय किये गये। छत्तीसगढ़ कृषि एवं राज्य बीज निगम (नोडल एजेन्सी) से क्रय किए गए कुल शेड-नेट (75 प्रतिशत) की लागत ₹ 2.98 करोड़ थी **(परिशिष्ट 3.1.15)** ।

इस तरह टी एस जी द्वारा सिफारिश किए गए 90 प्रतिशत घनत्व के बजाय 75 प्रतिशत घनत्व के शेड-नेट की खरीदी एवं वितरण अनियमित था और विभाग द्वारा शेड नेट की खरीदी पर ₹ 2.98 करोड़ का व्यय टी एस जी द्वारा निर्धारित मापदण्डो का उल्लंघन था।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012) शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि पूर्व मे विनिर्दिष्ट शेड-नेट के उपयोग के उपरान्त क्षेत्र स्तर पर अनुभव किया गया कि आंशिक छाया केचुओ को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक थी। जिला अधिकारियों के व्यवहारिक अनुभवों और माँग के आधार पर 75 प्रतिशत शेड-नेट की आपूर्ति की गई। यह भी बताया गया कि 75 प्रतिशत शेड-नेट के उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शेड-नेट का क्रय टी एस जी सिफारिशों के अनुरूप नहीं किया गया जिसका की गठन विशेष रूप से तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किया गया था। इस प्रकार खरीदी पर व्यय अनियमित था।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा।

(ड) उद्यानिकी मशीनीकरण

पॉवर स्प्रेयरों का अविवेकपूर्ण क्रय

एन एच एम दिशा निर्देशों में उद्यानिकी मशीनीकरण के तहत (एन एच एम 2010 में संशोधित दिशा निर्देश के कंडिका 8.53) विद्युत चलित मशीनों और औजारों सहित विद्युत आरी तथा पौध संरक्षण उपकरण के लिए सहायता प्रदान करना था। बागवानी मशीनीकरण हेतु सहायता ऐसे उत्पादक संघों, किसान समूह, स्वसहायता समूहों, कम से कम 10 सदस्यों वाली महिला किसान समूहों को जो बागवानी फसलों की खेती मे कार्यरत हो एवं जिला मिशन समिति द्वारा मान्यता/पंजीकृत हों, बशर्ते मशीनों तथा उपकरणों की लागत के शेष 50 प्रतिशत उनके द्वारा वहन किया जाए।

नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि डी एच एफ एफ द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 6815 पावर स्प्रेयर के लिए क्रय आदेश (मार्च 2008) बीज निगम को जारी किया गया। क्रय आदेश को बाद में (अप्रैल 2008) निरस्त कर दिया गया था। क्रय आदेश निरस्त करने का कारण विभाग से अपेक्षित है यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी चाही गई थी (जनवरी 2013)। तथापि आपूर्ति आदेश के निरस्तीकरण जारी होने के पूर्व बीज निगम द्वारा सरगुजा एवं दुर्ग में क्रमशः 650 और 800 पावर स्प्रेयर की आपूर्ति (मार्च 2008) की जा चुकी थी। डी एच एफ एफ/ मिशन संचालक, एस एच एम, के निर्देशों (अगस्त 2008) के अनुसार आपूर्ति किये गये पावर स्प्रेयरों का वितरण वर्ष 2006-07 और 2007-08 में सरगुजा, दुर्ग, कबीरधाम, कोरबा, जगदलपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में सामुदायिक नलकूप योजना के तहत सृजित किसान समूहों को किये जाने थे और इस राशि को क्षेत्र विस्तार के घटक में उपलब्ध

निधि से समायोजित किया जायेगा जिसके लिए एन एच एम के तहत किसानों को सहायता प्रदान की जाती हैं। 1450 पॉवर स्प्रेयर कि कुल लागत ₹ 66.99 लाख[24] थी।

आगे हमने पाया कि पॉवर सप्रेयरों का वितरण सात जिलों में, जहाँ आपूर्ति की गई थी, असामान्य थी। वितरण की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया हैं:

तालिका 16: पावर स्प्रेयर के वितरण की स्थिति दर्शाता तालिका

जिला	प्रदाय मात्रा	वितरित मात्रा	निष्क्रिय मात्रा	अवितरित पावर स्प्रेयरों का मूल्य (₹)
बस्तर	150	42	108	4,98,960
बिलासपुर	200	40	160	7,39,200
दुर्ग	75	75	0	0
कबीरधाम	75	0	75	3,46,500
कोरबा	100	100	0	0
रायगढ़	200	200	0	0
सरगुजा	650	0	650	30,03,000
योग	**1,450**	**457**	**993**	**45,87,660**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

तालिका से स्पष्ट हैं कि पावर स्प्रेयर का क्रय बिना किसी योजना के प्रारंभ किया गया। क्रय आदेश के निरस्त किये जाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है। पावर स्प्रेयर का वितरण भी सामान्य नहीं था, जैसे कि कुछ जिलो में आपुर्ति की सम्पूर्ण मात्रा वितरित की गई तथा कुछ जिलो मे वितरण आंशिक या शुन्य था। इस तरह पावर स्प्रेयर का सम्पूर्ण क्रय विवेकहीन तथा अनावश्यक था। इसके अलावा वितरण नही किये जाने के कारण 993 पावर स्प्रेयर जिनकी लागत ₹ 45.88 लाख थी मार्च 2008 से आज तक (फरवरी 2013) निष्क्रिय पड़े थे।

हमारे द्वारा इसे इंगित करने के बाद (सितम्बर 2012) शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि पावर स्प्रेयर का क्रय जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर की गई थी। पौध संरक्षण उपकरण के तहत पावर स्प्रेयरो को किसान समूहो को वितरित किये जाने थे। आगे यह भी बताया गया कि कुछ डी एच ओ ने किसान समूहो को पावर स्प्रेयर वितरित किये थे।

शासन ने अवितरित पावर स्प्रेयर के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। पावर स्प्रेयर की खरीदी बिना किसी योजना के की गई जिसे कि क्रय आदेश को बाद में निरस्त किया गया और पूर्व में ही आपूर्ति की गई पावर स्प्रेयरों को आज तक (फरवरी 2013) लक्षित लाभार्थियों को पूरी तरह से वितरित नहीं किया गया। आगे, पौध संरक्षण उपकरण के तहत पावर स्प्रेयरों की लागत को समायोजित करने का फैसला बाद का विचार था क्योंकि इस संबंध में निर्देश आपूर्ति आदेश के निरस्त होने के उपरान्त जारी किया गया था।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए ए पी सी ने कहा कि मामले की आगे जाँच की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सुचित किया जाएगा।

[24] ₹ 4620 प्रति पावर स्प्रेयर की दर से

(ढ) एकीकृत कटाई-पश्च प्रबंधन तथा बाजार अधोसंरचना के सृजन के लक्ष्यों की उपलब्धि न होना

एन एच एम दिशा निर्देशों की कंडिका 8.54 के अनुसार कटाई पश्च प्रबंधन (पी एच एम) में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, उपचार एवं पकाना और भण्डारण शामिल होता हैं। ये सुविधायें उद्यानिकी उत्पादकों के बेचने की योग्यता में वृद्धि करने, उत्पादन का मूल्यवर्धन, लाभप्रदत्ता में वृध्दि करने तथा हानियों को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

इसी तरह, एन एच एम दिशा निर्देशों की कंडिका 8.61 के अनुसार बाजार अधोसंरचना का सृजन के अंतर्गत बागवनी उत्पादो के विपणन अधोसंरचना के विकास में निजी तथा सहकारी क्षेत्रो से निवेश को प्रेरित करने, विद्यमान उद्यानिकी बाजारों को सुदृढ़ करना इत्यादि, जिससे कि बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु कृषकों को सक्षम बनाने, और किसानो, उपभोक्ताओ, उद्यमियो तथा बाजार पदाधिकारियों में बाजार संबंधी कृषि प्रथाओं के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनुदान दिया जाता है।

संचालनालय तथा एन एच एम जिलों के अभिलेखो के जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान विभाग ने कटाई-पश्च क्रिया कलापो के 12 में से सात घटकों में ₹ 33.25 करोड़ का प्रावधान किया। विभिन्न घटकों के संबंध में लक्ष्य के विरूध्द भौतिक उपलब्धि शुन्य से 17 प्रतिशत तक रही। जाँच में आगे, पाया गया कि विभाग ने बाजार अधोसंरचना गतिविधियों के आठ घटको में से चार के लिए ₹ 22.20 करोड़ का प्रावधान किया। इन घटको के तहत लक्ष्यों के विरूद्ध भौतिक उपलब्धि शून्य से 40 प्रतिशत के बीच रहा।

यद्यपि प्रावधान किया गया था और निधि उपलब्ध थी, परन्तु भौतिक लक्ष्य प्राप्त न होने से पी एच एम के तहत ₹ 16.62 करोड़ (लगभग 50 प्रतिशत) **(परिशिष्ट 3.1.16)** तथा बाजार अधोसंरचना सृजन के तहत ₹ 9.68 करोड़ (लगभग 44 प्रतिशत) **(परिशिष्ट 3.1.17)** निधि का उपयोग नहीं हुआ। पी एच एम के तहत लक्ष्य के पूर्ति न होने के कारण जैसा कि एस एल एस सी की बैठक (अक्टुबर 2010) के दौरान विश्लेषण किया गया, किसानो/व्यवसायियों में सहायता राशि परियोजना लागत के केवल 40 प्रतिशत तक सीमित होने के कारण रूची में कमी रहा, इसी प्रकार बाजार अधोसंरचना के संबंध में किसानों/व्यवसायियों में रूची में कमी के कारण परियोजना प्रस्ताव जिलो से प्राप्त नहीं हुए।

यह इंगित करता हैं कि क्षेत्र स्तर की आवश्यकताओ के आकलन किये बिना वार्षिक कार्य योजना (ए पी पी) में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये जिससे किसान उत्पादो के मूल्य वृद्धि तंत्र और उनके उद्यानिकी उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्ति हेतु विपणन अघोसंरचना के विकास में समर्थन की कमी साबित हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2007-08 तक उद्यानिकी उपज राज्य स्तर पर ही वितरित किया जाता था। तथापि, बाद के वर्षो में पी एच एम के तहत अधोसंरचना निर्माण के लिए निजी उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रचार किया गया था। जिसके फलस्वरूप सात

शीत भण्डार गृह, 275 पैक हाउस, 570 शून्य उर्जाशीत कक्ष साथ ही साथ दो थोक बाजारों की स्थापना आज तक (नवम्बर 2012) राज्य में हुई।

शासन ने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि दो थोक बाजार बिलासपुर में तथा रायपुर में स्थापित किये जा चुके हैं जबकि ग्राम हाट के संबंध में जिलों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र मे एक रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि लक्ष्यों की पूर्ति और निधियों के उपयोग हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

3.1.9.2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् विभिन्न योजनाओं जैसे, नये उद्यानों का स्थापना, सामुदायिक ऑर्किड विकास, संकर बीज उत्पादन, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला उत्पादन, फूल क्षेत्र विस्तार, पुराने उद्यानों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, संरक्षित खेती आदि का क्रियान्वयन करता है।

चयनित जिलों के वर्ष 2007-12 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 से 2011-12 के दौरान उद्यानिकी फसलों[25] के क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य के विरूद्ध शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई। तथापि, वर्ष 2008-09 में क्षेत्र विस्तार हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया एवं इसके विरूद्ध कोई उपलब्धि भी प्राप्त नहीं हुई।

तालिका 17: आर के वि वाई के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

फसल	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
फल	1932	1932	-	-	-	-	5000	5000	500	500
सब्जी	1003	1003	-	-	3135	3135	28000	28000	17014	17014
मसाले	2135	2135	-	-	2460	2460	8000	8000	2156	2156
सुगंधित एवं औषधीय पौधे	—	—	--	—	400	400	400	400	250	250
फूल	—	—	--	—	131	131	1050	1050	1000	1000

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित है)

इसके अलावा, वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान आर के वि वाई के अंतर्गत प्राप्त बजट एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

[25] फल, सब्जी, मसाले, फूलों, सुगंधित एवं औषधीय फसल

तालिका 18 : बजट प्रावधान एवं व्यय को दर्शाने वाला तालिका

(राशि लाख में)

वर्ष	बजट		व्यय
	प्रावधान	विमुक्त	
2007-08	1043.00	1043.00	1043.00
2008-09	2368.86	2017.07	2017.07
2009-10	5187.41	2527.74	2527.74
2010-11	9472.37	9472.37	9472.37
2011-12	11000.0	4237.67	4227.57
योग	**29071.64**	**19297.85**	**19287.75**

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित है)

तालिका से यह प्रदर्शित है कि भारत शासन द्वारा अवधि 2007-12 के दौरान राशि ₹ 290.72 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध प्रावधानित राशि के केवल 66 प्रतिशत की राशि ₹192.98 करोड़ ही जारी की गई। तथापि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान लगभग संपूर्ण आबंटित राशि का उपयोग कर लिया गया।

(क) शासकीय बीज प्रगुणन फॉर्म, बाना, रायपुर का प्रदर्शन

शासकीय बीज प्रगुणन फॉर्म, बाना में 70 लाख पादप प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का एक प्लग टाईप उत्पादन इकाई ₹ 5 करोड़ लागत से स्थापित की गई (मार्च 2010)।

सहायक संचालक उद्यान, बाना के अभिलेखों के जांच में देखा गया कि हालांकि इकाई मार्च 2010 में स्थापित कर दी गई थी किन्तु विद्युतीकरण की समस्या के कारण पादपों का उत्पादन माह अप्रेल 2011 से प्रारंभ किया गया। आगे यह भी देखा गया कि प्रतिवर्ष 70 लाख पादपों के उत्पादन क्षमता के विरूद्ध माह मई 2012 (13 माह) तक केवल 49.23 लाख पादपों **(परिशिष्ट 3.1.18)** का ही उत्पादन किया गया । इस तरह वास्तविक मासिक पादप उत्पादन क्षमता 5,83,333[26] के विरूद्ध औसत मासिक पादप उत्पादन 3,78,703[27] था ।

विद्युतीकरण के अनुपलब्धता के कारण प्लग प्रकार के इकाई की स्थापना के एक वर्ष बाद उत्पादन का प्रारंभ होना कार्ययोजना के अभाव को दर्शाता है।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012) शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि प्रारंभ में स्थापित मिस्ट चेंबर एवं हाईनिंग चेम्बर पादप उत्पादन इकाई की क्षमता के अनुपात में नहीं था तथापि वर्तमान में आर के वि वाई के माध्यम से एक नये मिस्ट चेम्बर का निर्माण किया जा रहा है, भविष्य में पूर्ण इकाई अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगी।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त मिस्ट चेम्बर के निर्माण उपरांत इकाई द्वारा पूरी क्षमता से कार्य किया जावेगा। यह भी बताया गया कि उक्त इकाई एक श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है एवं इसके कार्य की

[26] 7000000 पादप प्रतिवर्ष के अनुसार औसत 583333 पादप प्रतिमाह।

[27] 4923135 पादपों का उत्पादन 13 माह में ।

समीक्षा अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है।

(ख) संकर बीज उत्पादन पर राशि ₹ 25 लाख का निष्फल व्यय

संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये सहायक संचालक उद्यान, बीज प्रगुणन फॉर्म बाना, रायपुर (एस एम एफ) एवं मेसर्स निर्मल सीड प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते के ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किये गए (जून 2011) जहाँ, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) के तहत कार्यक्रम के निष्पादन हेतु सहायक संचालक उद्यान को क्रियान्वयन एवं निधि प्रदाय एजेंसी के रूप में नामित किया गया। सहायक संचालक उद्यान सिंचाई सुविधाओं, ग्रीन/पॉली हाऊस, शेड नेट, कृषि उपकरण, खाद, उर्वरक, कुशल और अकुशल मजदूरों को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अन्य संवर्द्धन लागत प्रदान करने के लिये जिम्मेदार थे! एजेंसी की यह भी जिम्मेदारी थी कि वह मूल संकर बीजों को प्रदाय करे, संकर बीज उत्पादन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन दे एवं पूर्व निर्धारित नीति के तहत संवर्द्धन उपरांत बीजों को क्रय करे। समझौता ज्ञापन की वैधता वित्तीय वर्ष 2011-12 में योजना के समाप्त होने तक थी। संकर बीज उत्पादन हेतु वर्ष 2010-11 के दौरान आर के वि वाई के तहत ₹ 25 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी।

सहायक संचालक उद्यान, बीज प्रगुणन फॉर्म बाना, रायपुर के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि एजेंसी द्वारा समझौता ज्ञापन के तहत निम्नानुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था:

स. क्रं.	पौध का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में
1	संकर भिंडी	2.00
2	संकर मिर्च	0.50
3	संकर बैंगन	0.50
4	संकर करेला	1.50
5	संकर शिमला मिर्च	0.50
	योग	**5.00**

तथापि, हमने यह देखा कि एजेंसी द्वारा बीजों की वास्तविक बुवाई माह जूलाई-सितम्बर 2011 के दौरान की गयी अर्थात् उपयुक्त अवधि माह मई-जून (जैसा कि विभागीय दिशानिर्देशों में निर्धारित है) के बाद, जिसके लिये सहायक संचालक उद्यान,बाना द्वारा भी इस मुद्दे पर संबंधित एजेंसी से संपर्क कर (अगस्त 2011) बीज की बुवाई का कार्यक्रम समझौता ज्ञापन के अनुसार कराने हेतु स्मरण कराया गया। सहायक संचालक उद्यान, बाना द्वारा संकर बीजों के उत्पादन की लागत के रूप में ₹ 25 लाख का व्यय कुशल/अकुशल मजदूर, ईंधन, स्क्रीन हाउस एवं अन्य खर्चों के रूप में किया गया।

तथापि, संकर बीजों के संवर्धन हेतू कुल बीजों की बुआई के विरूद्ध माह फरवरी 2012 तक निम्नानुसार मात्रा में संकर बीजों का उत्पादन किया गया:

तालिका 19: हाइब्रीड बीजों के वास्तविक उत्पादन को दर्शाती तालिका

1 हेक्टेयर=2.41 एकड़ उत्पादन क्विंटल में

संकर बीज का प्रकार	उत्पादन क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रस्तावित औसत उत्पादन (क्विंटल/हेक्टेयर)	प्रस्तावित कुल उत्पादन	वास्तविक उत्पादन (प्रतिशत)	उत्पादन में कमी (क्विंटल)
भिंडी	2.00	18.075	36.15	0.165 (0.46)	35.985
मिर्च	0.50	3.615	1.8075	उत्पादन नहीं	1.8075
बैंगन	0.50	10.845	5.4225	0.32 (6)	5.1025
करेला	1.50	13.255	19.8825	0.483 (2)	19.3995
शिमला मिर्च	0.50	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उत्पादन नहीं	--

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

वांछित उपज की पूर्ति न होने से संकर बीज उत्पादन पर ₹ 25 लाख का निष्फल व्यय

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि प्रस्तावित उपज के विरूद्ध वास्तविक उपज अत्यंत कम था तथा उपज प्रतिशत शून्य से छः के बीच रहा। समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्पादित संकर बीजों को एजेंसी द्वारा आवश्यक रूप से क्रय किया जाना था, तथापि, लेखापरीक्षा दिनांक (फरवरी 2013) तक एजेंसी द्वारा उपरोक्त कार्य नहीं किया गया था।

इससे यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत पूरा संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा एवं सहायक संचालक उद्यान द्वारा किया गया ₹ 25 लाख का व्यय निष्फल रहा।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013), में ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम पहली बार लिया गया था। संकर बीजों का वांछित उत्पादन, अनुभव की कमी एवं तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। तथापि, पी पी पी के अनुबंध में दिये शर्तों के अनुसार उत्पादित बीजों के मूल्य की वसूली एजेंसी से करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

शासन का उत्तर यह इंगित करता है कि, सब्जी संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम को लिये जाने में कार्ययोजना एवं विशेषज्ञता का अभाव था जिसके फलस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

(ग) बाना स्थित प्लग टाईप के पादप उत्पादन इकाई में प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे का अनुचित क्रय लागत ₹ 48.80 लाख तथा खरीदी पर ₹ 43.68 लाख का अतिरिक्त व्यय

वानस्पतिक प्रवर्धन के माध्यम से सब्जी पादप (सीडलिंग) उत्पादन हेतु डी एच एफ एफ द्वारा "नेरामेक[28]" को बाना में प्लग प्रकार के सब्जी पादप उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु क्रय आदेश जारी किया गया (नवम्बर 2009)। क्रय आदेश प्लग टाईप के पादप उत्पादन इकाई के उपयोग हेतु ₹ 3.98 प्रति ट्रे मूल्य के 75,000 प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे के साथ-साथ प्लास्टिक ट्रे की पैकिंग के लिये ₹ 8.98 प्रति बॉक्स की दर से बराबर मात्रा में नालीदार कागज (कोरूगेटेड) बॉक्स की आपूर्ति शामिल थी। प्रत्येक प्लग टाईप प्लास्टिक ट्रे की क्षमता 99 पादप थी।

उप संचालक उद्यान, बाना के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2011 (परिचालन दिनांक) से मई 2012 के दौरान प्लग टाईप के पादप उत्पादन इकाई में कुल

[28] नोर्थ ईस्टर्न रीजिनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कार्पेशन लिमिटेड

49,23,135 पादप उत्पादित हुए, जो इंगित करता है कि लगभग 49,729[29] ट्रे ही उत्पादन में उपयोग हो पाये। इस प्रकार 75,000 ट्रे में से 25,271 ट्रे संवर्धन स्थान में अप्रयुक्त पड़े रहे। प्लग टाईप के पादप उत्पादन इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता 70,00,000 पादप है।

तथापि यह देखा गया कि 25,271 ट्रे उपलब्ध होने के बावजूद भी, विभाग द्वारा ₹ 48.80 लाख की लागत से 1,15,303 प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे (99 कैविटी वाली) का अतिरिक्त क्रय किया गया (फरवरी 2011)। प्लग प्रकार उत्पादन इकाई से उपलब्ध प्लास्टिक ट्रे की इकाई लागत दर ₹ 4.47 (3.98 + 12.5 प्रतिशत वेट) थी, जबकि अतिरिक्त प्लास्टिक ट्रे ₹ 42.75 एवं ₹ 39.75 प्रति ट्रे की दर से खरीदे गए। इस प्रकार 1,15,303 प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे की अतिरिक्त खरीदी न केवल अनियमित थी बल्कि इसके परिणाम स्वरूप ₹ 43.68 लाख[30] की राशि का अधिक व्यय भी हुआ।



बीज प्रजनन प्रक्षेत्र, बाना में रखे प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे का ढेर (2 जून 2012)

इसे इंगित किये जाने (सितम्बर 2012) पर, शासन द्वारा बताया गया कि आर के वि वाई के अंतर्गत ₹ 1.69 की स्वीकृति एस एल एस सी द्वारा प्लग टाईप पादप उत्पादन इकाई के भविष्य के विस्तार को देखते हुए दी गई थी तथा भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ही प्लास्टिक ट्रे की खरीदी सरकारी संस्थान से की गई थी।

शासन का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि, संग्रह किये गए कुल ट्रे, प्लग टाईप पादप उत्पादन इकाई के उत्पादन क्षमता के अनुसार लगभग दो वर्षों[31] के लिये पर्याप्त थे। इस प्रकार, तत्काल आवश्यकता से अधिक प्लग टाईप ट्रे की खरीदी वर्तमान वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। प्लास्टिक ट्रे की खरीदी पर हुए अधिक व्यय पर शासन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में तथ्यों को स्वीकारते हुए ए पी सी ने बताया कि उच्च कीमत पर अधिक खरीदी के कारणों का पता लगाने हेतु जाँच की जावेगी।

29 4923135 पादप ÷ 99 = 49729 ट्रे

30 42.75 - 4.47 = 38.28 X 100000 = 38,28,000 एवं 39.75 - 4.47 = 35.28 X 15303 = 5,39,889
कुल अतिरिक्त लागत = 38,28,000 + 5,39,889 = 43,67,889

31 प्लग टाईप के इकाई की कुल पादप उत्पादन क्षमता = 7000000 वार्षिक अर्थात् 70707 ट्रे उपयोग होंगे। इस तरह 140574 ट्रे 140574/70707 = 1.98 वर्ष में उपयोग किये जा पायेंगे।

3.1.9.3 पेरी अरबन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन योजना

पेरी अरबन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन प्रारंभ करने की योजना के अतंर्गत ₹ 10.19 करोड़ का निष्फल व्यय।

एफ पी ओ के सृजन एवं विपणन समूहों से गठबंधन के बिना सब्जी उत्पादनों पर किया गया व्यय ₹ 10.19 करोड़ निष्फल रहा

"पेरी अरबन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन" का कार्यक्रम आर के वि वाई का एक उप-योजना है जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2011-12 में चिन्हित शहर में सब्जी की पूर्ति हेतु परियोजना का विकास करना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा परिप्रेक्ष्य/कार्यनीति योजना तैयार किया जाना था जो चिन्हित शहर को सब्जी की वर्तमान आपूर्ति का आंकलन एवं आपूर्ति में हो रही बाधाओं की पहचान तथा उत्पादन एवं आपूर्ति की संभावना हेतु आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित होगी। इसके लिए उत्पादक कृषकों को संघ/समूह के रूप में संगठित करना, विपणन हेतु एग्रीगेटर्स (संग्राहकों) का चयन करना एवं कृषक समूहों/संघों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना था।

इस योजना को विकसित करने के लिये प्रथम वर्ष में रायपुर शहर को चिन्हित किया गया जिसके लिए आसपास आठ जिले- महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव एवं कांकेर में सब्जी उत्पादकों के श्रंखला का विकास किया जाना था। डी एच एफ एफ द्वारा बेस लाइन सर्वेक्षण हेतु एक एजेंसी एवं किसान उत्पादन संगठनों (एफ पी ओ) के सृजन हेतु स्माल फार्मस एग्रोबिसनस कंसोर्टियम (एस एफ ए सी) के माध्यम से दो निजी एजेंसियों को कार्य सौपा गया।

आठ में से सात[32] जिलों के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2012) में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में सब्जी उत्पादन हेतु 5,760 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्य एवं ₹ 7.20 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त किया गया। तथापि, जिन ऐजेंसियों द्वारा किसान संगठनों की संस्थापना की जानी थी, आठ में से छः[33] जिलों में उनके द्वारा ना तो कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया एवं ना ही एफ पी ओ सृजन संबंधी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और अन्य दो जिलों के संबंध में विपणन संग्राहकों से गठबंधन का कोई विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया।

तथापि, डी एच ओ ने सर्वेक्षण कार्य, किसान संघों अथवा उनके एफ पी ओ की संस्थापना एवं एजेंसियों द्वारा विपणन समूहों का चयन का कार्य पूर्ण कराए बिना, पौध एवं आदान सामग्रियों का वितरण कर निम्नलिखित अनुसार व्यय किया गयाः

मद	व्यय (₹ लाख में)
सब्जी बीज उत्पादन	104.00
सब्जी खेती	720.00
संरक्षित खेती	60.35
आई एन एम/आई पी एम का प्रोत्साहन	10.00
जैविक खेती	114.00
कृषकों का प्रशिक्षण	10.50
योग	**1,018.85**

[32] बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम, कांकेर, रायपुर और राजनांदगांव

[33] बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम, कांकेर, रायपुर और राजनांदगांव

एफ पी ओ के तैयार होने के बाद विपणन समूहों के साथ गठबंधन इस तरह सुनिश्चित किया जाना था कि किसानों द्वारा उत्पाद चिन्हित शहर पर पहुँचे जिससे कि सब्जी की मांग की पूर्ति हो सके। एफ पी ओ, विपणन समूहों से गठबंधन एवं कृषक बाजारों की स्थापना इत्यादि के बिना यह सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं था कि योजना के तहत उत्पादित सब्जी अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुँची है। इस तरह योजना का मुख्य उद्देश्य विफल रहा एवं व्यय की गई राशि निष्फल रही।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में ए पी सी ने बताया गया कि दो में से एक एजेंसी द्वारा एफ पी ओ सृजन एवं बाजार चयन हेतु आवंटित कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

3.1.9.4 राज्य प्रवर्तित योजनाएँ

कृषकों को अपने सीमित भूमि से अधिक आमदनी सुनिश्चित करने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु राज्य सरकार द्वारा फल, सब्जी एवं मसाले वाली फसलों की खेती हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे कि फल विकास, सब्जी विकास, केला विकास कार्यक्रम, फूल विकास योजना आदि को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।

2007-12 की अवधि में, राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न उद्यानिकी फसलों का लक्ष्य एवं पूर्ति निम्न प्रकार रहीः

तालिका 20: राज्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं पूर्ति

फसल का प्रकार	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		उपलब्धि प्रतिशत में
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
फल	1600	1596	2208	2115	2208	2254	2574	2610	3046	3017	11636	11592	99.62
सब्जी	3820	3682	4953	4935	5853	5476	10900	10554	13047	12864	38573	37511	97
मसाले	4300	4300	4900	4920	5600	5245	11000	11000	13200	13200	39000	38665	99
औषधि एवं सुगंधित फल	175	100	415	307	500	445	700	687	850	850	2640	2389	90
फूल	14	14	15	16	16	11	27	27	33	33	105	101	96

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित है)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि में सभी उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के संबंध में, निर्धारित अधिकतर लक्ष्यों की पूर्ति की गई।

(अ) राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत आम के पौधरोपण हेतु हितग्राहियों को की गई सहायता राशि ₹ 54.55 लाख का निष्फल व्यय

राज्य पोषित योजना फल रोपण हेतु "फल पौधरोपण योजना" के दिशा निर्देश के अनुसार कृषकों को फल रोपण हेतु सहायता देय है। आम के रोपण के लिये कुल सहायता ₹10,938 प्रति हेक्टेयर (पूर्ण लागत का 25 प्रतिशत) हितग्राही को पाँच सालों में दिया जाना है जो कि अनुवर्ती वर्षों के 80 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर ही देय होगा।

डी एफ ओ बस्तर, बिलासपुर और रायपुर के अभिलेखों में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक कुल 1547 हेक्टेयर आम क्षेत्र विस्तार के अन्तर्गत लिया गया था। तथापि, आम के पौधों की अत्यधिक मृत्यु दर के कारण, प्रथम एवं कुछ प्रकरणों में द्वितीय या तृतीय किश्तों के बाद सहायता जारी नहीं किया गया। अतः आम के पौधों की

अत्यधिक मृत्यु दर होने के कारण, योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय ₹ 54.55 लाख **(परिशिष्ट 3.1.19)** क्षेत्र विस्तार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी जिससे पूर्ण व्यय निष्फल रहा।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में ए पी सी द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार्य करते हुये बताया कि बाद की वर्षों की सहायता इसलिये नहीं प्रदाय किया गया क्योंकि आगामी सहायता देने हेतु पौधों में जरूरी जीवितता प्रतिशत नहीं थी। शासन ने अत्यधिक मृत्यु दर का कारण किसानों द्वारा उपयुक्त देखभाल नहीं करना बताया।

3.1.10 निष्कर्ष

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की स्थापना परम्परागत कृषि, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों एवं पौध सामग्री के वितरण, अद्यतन तकनीक अपनाने, किसानों को प्रशिक्षण देने आदि के स्थान पर किसानों को उद्यानिकी अपनाने के लिए प्रेरित कर उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने तथा केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी। यद्यपि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए रणनीतिक योजना तैयार की गई थी किन्तु राज्य बागवानी मिशन ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के लिए इस तरह की कोई योजना तैयार नहीं की थी। विभाग विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी से जूझ रहा था जिसके कारण योजना क्रियाकलापों पर निरीक्षण निष्प्रभावी रहा। आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक, आंतरिक लेखापरीक्षा अनुपस्थित थी। औषधिय तथा सुगंधित पौधों एवं फूलों के अतिरिक्त अन्य उद्यानिकी फसलों के संबंध में क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य की उपलब्धियाँ अच्छी रही थीं। उचित विभागीय निरीक्षण के अभाव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों की मृत्यु दर अत्यधिक रही। विभागीय प्राधिकारियों के द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का पालन न किये जाने के परिणाम स्वरूप मसालों एवं गैर-बारहमासी फलों की कृषि पर अनियमित व्यय, निधियों का प्रत्यावर्तन, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होना तथा सिम्पल रिसीप्ट देयकों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक आहरण के मामले हुए।

हमने पाया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत निधियों का उपयोग न हो सका एवं सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए परिसंरचनाओं की अनुपलब्धता के कारण निष्फल व्यय रहा तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमने प्लग टाईप प्लास्टिक ट्रे का अनावश्यक क्रय, संकर बीज उत्पादन एवं पेरी अरबन एरियाज में वेजिटेबल इनेशिएटिव पर निष्फल व्यय पाया। राज्य पोषित योजनाओं के संबंध में हमने पाया कि पौधों के उच्च मृत्यु दर के कारण आम उत्पादन के लिए लाभान्वितों को दिया गया अनुदान निष्फल रहा था।

3.1.11 अनुसंशाएं

विभाग के लिए हम अनुसंशा करते हैं कि

- *विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुगम क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त जनशक्ति का विनियोजन सुनिश्चित करें।*
- *उद्यानिकी उत्पादन के मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय एवं वास्तविक आंकड़ों के एकत्रिकरण हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाए।*
- *नर्सरियों के पौध उत्पादन क्षमता की उपलब्धियों को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठावें।*
- *कृषक उत्पादों के मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करने तथा उत्पाद के विपणन हेतु समुचित परिसंरचना का निर्माण किये जाने के लिए कटाई पश्च प्रबंधन को सुदृढ़ करें।*

3.2 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यपालिक सारांश

राज्य की शहरी/ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल सुविधा पहुँचाने हेतु विभिन्न जल संसाधनों का अनुश्रवण एवं प्रबंधन तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, भूजल संवर्धन/जल संरक्षण एवं पर्यावरण के सुधार के उद्देश्य हेतु विभिन्न केंद्र एवं राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संधारण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का उत्तरदायित्व है।

विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता की जांच हेतु अवधि 2007-12 के लिए विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखा परीक्षा की गयी। प्रमुख लेखा परीक्षा आपत्तियों की नीचे चर्चा की गई है:

- विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण नही किया गया।

 डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.6.1[ब])

- मुख्य पदों में कमी 29 से 50 प्रतिशत के मध्य रही।

 विभाग की गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

 (कंडिका 3.2.6.2)

- आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु कोई आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं थी। *आंतरिक जाँच सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा का गठन किया जाना चाहिए।*

 (कंडिका 3.2.6.4[अ])

- निधि के अनुपयोगी रहने के कारण 14 से 21 प्रतिशत निरन्तर बचत रही।

 वास्तविक बजट अनुमान बजटीय और वित्तीय नियंत्रण के माध्यन से तैयार किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.7.1[अ] [i])

- ₹ 133.39 करोड़ का व्यय करने के बाद भी परियोजनाएं एवं योजनाएं अपूर्ण रहीं।

 निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.2 [अ])

- संयुक्त अनुसूची दर एवं अनुंबध के प्रावधानों का पालन न किये जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 12.99 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

 संयुक्त अनुसूची दर एवं अनुबंध के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.2 [ब] एवं [द])

- राज्य एवं उपसम्भागीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना नही की गयी थी तथा जल स्त्रोतों की गुणवत्ता जाँच में कमी थी।

 राज्य एवं उपसम्भागीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी चाहिए तथा सभी जल स्त्रोंतों का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.4 [अ] एवं [ब])

- अवितरित फील्ड टेस्ट किट एवं रीएजेन्ट कालातीत हो जाने से ₹ 23.21 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

 फील्ड टेस्ट किट एवं रीएजेन्ट का उपयोग कालातीत होने के पूर्व किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.4[ई])

- ₹ 2.77 करोड़ राशि का अत्यधिक भण्डार क्रय किया गया।

 भण्डार की आवश्यकता के आकलन के पश्चात क्रय किया जानी चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.5 [ब] एवं 3.2.8.6 [ब])

3.2.1 प्रस्तावना

राज्य की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जल स्त्रोतों के निरीक्षण तथा प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी एच ई डी) प्रमुख संस्था है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जल आपूर्ति, स्वच्छता, भूजल संवर्धन/जल के सरंक्षण एवं पर्यावरण के सुधार हेतु प्रदाय की गयी निधि से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण विभाग को सौंपा गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत और छत्तीसगढ़ में पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 1:भारत एवं छत्तीसगढ़ में परिवारों को उपलब्ध पेयजल सुविधा का विवरण

(संख्या करोड़ में)

श्रेणी	भारत		छत्तीसगढ़	
	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
परिवारों की कुल संख्या	24.67	-	0.56	-
परिसर में पेयजल सुविधा वाले परिवारों की संख्या	11.49	46.57	0.11	19.64
परिसर के समीप पेयजल सुविधा वाले परिवारों की संख्या	8.84	35.83	0.31	55.36
परिसर से दूर पेयजल सुविधा वाले परिवारों की संख्या	4.33	17.55	0.15	26.79

(स्रोतः रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना कमिश्नर, भारत की वेबसाइट)

उपरोक्त तालिका से दर्शित है कि छत्तीसगढ़ में परिसर में पेयजल सुविधा वालें परिवारों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से अत्यन्त नीचे था। यद्यपि पेयजल सुविधा परिसर के समीप/दूर वाले परिवारों का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से ऊपर था ।

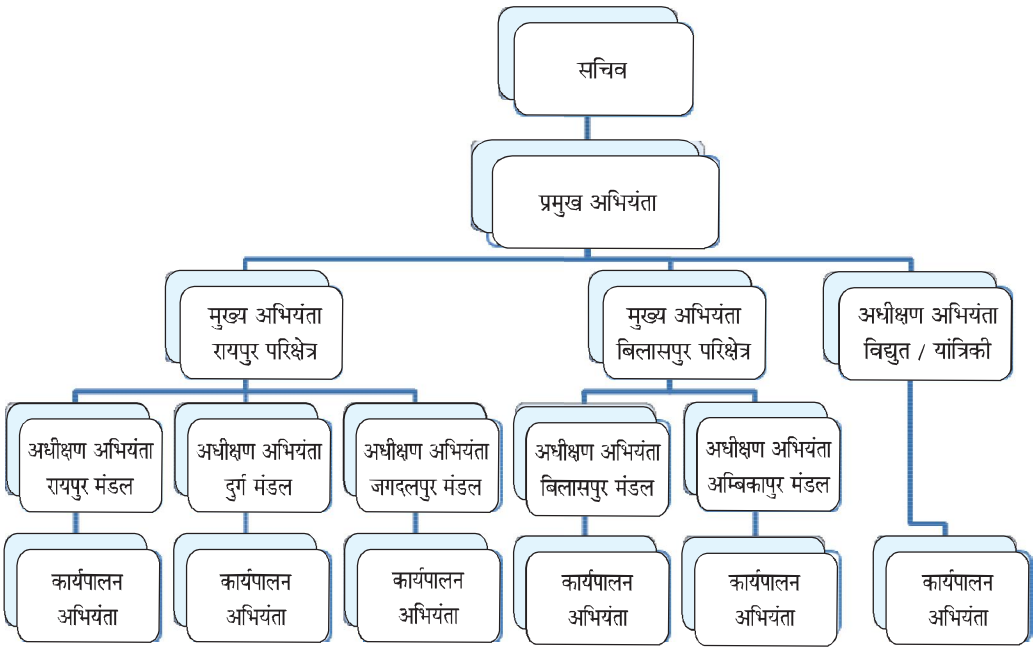
पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ चार योजनाएं जैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्लू पी), शहरी जल आपूर्ति योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (आर डब्लू एस एस) तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) का क्रियान्वयन कर रहा है।

3.2.2 अधिशासन एवं विभाग की संगठनात्मक संरचना

पीएचई विभाग, सरकार की प्रमुख एजेंसी है तथा राज्य में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं को तैयार करने एवं निष्पादन स्वयं के द्वारा अथवा स्थानीय संस्था द्वारा इन परियोजनाओं का संधारण तथा कमान क्षेत्र विकास के लिए दिये कार्य हेतु उत्तरदायी है।

सचिव, पीएचई विभाग के प्रमुख हैं जबकी प्रमुख अभियन्ता (ई एन सी) विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। विभाग के दो परिक्षेत्र, छः मंडल, 22 सिविल खण्ड एवं पाँच यांत्रिकी खण्ड है। प्रमुख अभियंता को सहायता देने के लिए परिक्षेत्र स्तर पर दो मुख्य अभियंता (सी ई), मंडल स्तर पर छः अधीक्षण अभियंता (एस ई), खंड स्तर पर 27 कार्यपालन अभियंता (ई ई)हैं । विभाग की संगठनात्मक संरचना को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 1: पी एच ई विभाग की संगठनात्मक संरचना



3.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:

- योजना उचित और पर्याप्त थी;
- पर्याप्त मानव शक्ति उपलब्ध थी;
- आंतरिक लेखा परीक्षा थी तथा अनुश्रवण प्रभावी था;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल व प्रभावी था;
- कार्यक्रम प्रबंधन कुशल, प्रभावी व मितव्ययी था, एवं
- भंडार प्रबंधन कुशल व प्रभावी था।

3.2.4 लेखा परीक्षा मापदण्ड

पीएचई विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी सी ओ) आधारित लेखा परीक्षा में अपनाए गये लेखा परीक्षा मापदंडों के स्त्रोत निम्नानुसार थे:

- निर्माण विभाग मैन्युअल (1983)।
- वार्षिक कार्ययोजना।
- भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यक्रम दिशानिर्देश व प्रशासनिक आदेश।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता (2000)।
- अनूसूची दर (2002)।

3.2.5 लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र व कार्यप्रणाली

मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी सी ओ) आधारित लेखा परीक्षा करने हेतु 16 में से नौ[1] जिलों का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय (दोनों रायपुर एवं बिलासपुर परिक्षेत्र) तथा अधीक्षण अभियंता (प्रत्येक रायपुर एवं बिलासपुर मंडल से) को सम्मिलित किया गया। आवृत अवधि 2007-08 से 2011-12 पाँच साल तक थी। लेखा परीक्षा अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 तक की गयी। पीएचई विभाग के सी सी ओ आधारित लेखा परीक्षा में योजना, वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रम प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण आदि विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया था। सचिव, पीएचई विभाग के साथ एक आगम बैठक (21 मई 2012) की गई जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गयी थी। सचिव, पीएचई विभाग के साथ निर्गम बैठक (21 फरवरी 2013) की गयी एवं विभागीय अधिकारियों के विचारों को सम्बन्धित टिप्पणियों में सम्मलित किया गया।

3.2.6 संस्थागत कमियाँ

एक संगठन के मुख्य क्षेत्रों की गतिविधियों की आंतरिक प्रक्रियाओं एवं नियंत्रण की सुदृढ़ता एवं योग्यता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ अधोसंरचना, पर्याप्त मानव शक्ति एवं समुचित निधियां होनी चाहिए जो संगठन को प्रबंधित एवं उद्देश्यों को मितव्ययिता,

[1] अम्बिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुन्द, रायपुर

कुशलता एवं प्रभावकारी ढ़ंग से प्राप्त करने में मददगार होता है। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कमजोरियों के बारे में आगे कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

3.2.6.1 योजना

एन आर डी डब्लू पी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पीने, खाना पकाने एवं अन्य बुनियादी घरेलू आवश्यकतों हेतु स्थायी आधार पर पर्याप्त जल प्रदान किया जाना चाहिए । योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया की विलेज एक्शन प्लान (वी ए पी), डिस्ट्रिक्ट वाटर सिक्योरिटी प्लान (डी डब्लू एस पी) तैयार नही किये गये थे तथा पर्याप्त सर्वेक्षण नही किया था जिसकी चर्चा निम्नानुसार है:

(अ) योजना में कमियाँ

एन आर डी डब्लू पी दिशानिर्देशानुसार (2009-12) पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जनसांख्यिकीय, भौतिक सुविधाएं, जल स्त्रोत एवं ग्राम के अन्य विवरण जैसे आधारभूत पेयजल संरचना एंव जल स्त्रोतों की उपलब्धता तथा वर्तमान आधारभूत पेयजल संरचना एवं जल स्त्रोतों के आवर्धन के प्रस्तावित कार्य को सम्मिलित करते हुए विलेज एक्शन प्लान (वी ए पी) तैयार किया जाना चाहिए था। जिलों के सभी वी ए पी के आधार पर सम्बन्धित ई ई द्वारा डिस्ट्रिक्टवाटर सिक्योरिटी प्लान (डी डब्लू एस पी) तैयार किया जाना था। आगे, दिशानिर्देशों में दिया गया है कि राज्यों को प्रत्येक वर्ष योजना बनाते समय वर्तमान में संचालित योजनाओं एवं नवीन योजनाओं के साथ-साथ वे योजनाएं जिनमें आवर्धन की आवश्यकता है, उन्हें बसाहटों जिन्हें योजनांतर्गत सम्मिलित किया जाना है, से जोड़कर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की समीक्षा में हमने पाया कि वर्ष 2009-12 की अवधि के लिये कोई वी ए पी तैयार नहीं किए गये थे जबकि वर्ष 2009-12 अवधि के लिए एन आर डी डब्लू पी के लिए ए ए पी तैयार किया गया था।

वी ए पी एवं डी डब्लू एस पी के अभाव में ए ए पी में जो भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे प्राप्त नही किए जा सके जिनकी चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई है तथा लक्षित व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य केवल आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सका।

निर्गम बैठक में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि वी ए पी में सतही जल व भूजल स्त्रोतों की उपलब्धता को सम्मलित किया जाना था जो कि एक कठिन कार्य है एवं जिसमें उच्च लागत शामिल होगी। यद्यपि यूनिसेफ के सहयोग से राजनांदगांव के 10 ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया है।

तथ्य यथावत है कि ग्राम स्तर की मांग का आकलन किये बिना राज्य स्तरीय ए ए पी के लिए उचित आकलन नही किया जा सक्ता है।

(ब) विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण नही किया जाना

एन आर डी डब्लू पी दिशानिर्देशानुसार (2009) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट[2] पर केन्द्रीय डेटाबेस में प्रविष्ट की गयी बसाहटों की सूची को राज्यों द्वारा पुनः सत्यापित करते हुए विस्तार की स्थिति, कवर या नहीं कवर की गयी बसाहटों को दर्शाते हुए किया जाना था। यदि कवर नही किया गया है, जल गुणवता अथवा जल की मात्रा के रूप में विशिष्ट कारण दर्शाया जाना चाहिए। मार्च 2009 तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना आवश्यक था।

विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण 2003 से नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2003 में विभाग द्वारा विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वे के अनुसार राज्य में 5021 जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से 4932 बसाहट (98.20 प्रतिशत) आयरन प्रभावित थीं, जबकि फ्लोराईड, आर्सेनिक, हार्डनेस प्रभावित बसाहटे 17(0.34 प्रतिशत), 11(0.22 प्रतिशत), 61(1.22 प्रतिशत) थीं। यद्यपि, विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण वर्ष 2003 से नही किया गया था। विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण के अभाव में, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, डीफीकल्ट एवं वाटर स्ट्रेस एरीया, डार्क एवं ग्रे एरीया, योजना की आवश्यकता हेतु, विभाग द्वारा चिन्हित नही किये गये एवं ए ए पी का भाग नही बन सके।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण हेतु कई अन्य विभागों की सहभागिता की आवश्यकता है जो कि एक कठिन कार्य है। आगे कहा गया कि सर्वेक्षण प्रत्येक दस वर्ष में किया जाता है एवं अगले सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार से निर्देश अपेक्षित है।

तथ्य यथावत है कि विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण न करने के कारण जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, डीफीकल्ट एवं वाटर स्ट्रेस एरीया डार्क एवं ग्रे एरीया, जिनकी ए ए पी में आवश्यकता थी, का भाग न बन सके।

3.2.6.2 मानव संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या होना

मुख्य पदों में कमी 29 से 47 प्रतिशत के मध्य थी।

विभाग को प्रभावी ढंग से कार्य करने, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की आवश्यक होती है।

विभाग में मार्च 2012 में कर्मचारियों को स्वीकृत संस्था, पदों पर पदस्थापना की स्थिति निम्न प्रकार थी।

[2] www.ddws.nic.in

तालिका 2: 31 मार्च 2012 को मानव शक्ति की स्थिति

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	पदों पर पदस्थापना	कमी	कमी प्रतिशत
1	मुख्य अभियंता	4	2	2	50
2	अधीक्षण अभियंता	11	12	--	--
3	कार्यपालन अभियंता	42	27	15	36
4	सहायक अभियंता	146	94	42	29
5	उपयंत्री	476	334	142	30
6	मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार	92	49	43	47
7	वरिष्ठ/लिपिक/वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक एवं अन्य	307	159	148	48

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से ये स्पष्ट है कि सहायक अभियंता/उप अभियंता/मानचित्राकार एवं सहायक मानचित्रकार आदि मुख्य पदों में रिक्तता अधिक थी, जो 29 से 47 प्रतिशत रही ।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (2013 फरवरी) कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

3.2.6.3 अनुश्रवण

वाटर क्वालिटी मानिटरिंग एण्ड सर्विलेंस का अनुश्रवण

डब्लू क्यू एम एण्ड एस के अंतर्गत अनुश्रवण अपर्याप्त था।

पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (2008) वाटर क्वालिटी मानिटरिंग एण्ड सर्विलेंस (डब्लू क्यू एम एण्ड एस) के दिशानिर्देशानुसार डब्लू क्यू एम एण्ड एस के प्रभावी क्रियान्वन हेतु डिस्ट्रीक्ट वाटर एण्ड सेनिटेशन मिशन (डी डब्लू एस एम) एवं स्टेट वाटर एण्ड सेनिटेशन मिशन (एस डब्लू एस एम) द्वारा स्थल निरीक्षण क्रमशः कम से कम तिमाही व छःमाही में एक बार किया जाना था ।

नमूना जाँच जिलों में पिछले पाँच वर्षो में डी डब्लू एस एम एवं एस डब्लू एस एम द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण नीचे है:

तालिका 3: डी डब्लू एस एम एवं एस डब्लू एस एम द्वारा की जानी वाली तथा की गयी समीक्षाओं का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2007-12 के दौरान उपरोक्त निर्देशानुसार डी डब्लू एस एम द्वारा की जाने वाली समीक्षाओं का लक्ष्य	वर्ष 2007-12 के दौरान डी डब्लू एस एम द्वारा की गई समीक्षाओं की संख्या	वर्ष 2007-12 के दौरान उपरोक्त निर्देशानुसार डी डब्लू एस एम द्वारा की जाने वाली समीक्षाओं का लक्ष्य	वर्ष 2007-12 के दौरान डी डब्लू एस एम द्वारा की गई समीक्षाओं की संख्या
1	अम्बिकापुर	20	0	10	0
2	बिलासपुर	20	0	10	0
3	दंतेवाड़ा	20	0	10	0
4	धमतरी	20	0	10	0
5	जांजगीर-चांपा	20	0	10	0
6	कवर्धा	20	6	10	0
7	कोरिया	20	0	10	0
8	महासमुंद	20	0	10	0
9	रायपुर	20	0	10	0

(स्रोतःविभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नमूना जाँच जिलों में, कवर्धा जहाँ 20 समीक्षाओं के लक्ष्य के विरूद्ध छह समीक्षायें की गयी, को छोड़कर डी डब्लू एस एम द्वारा कोई समीक्षा नहीं की गयी थी । एस डब्लू एस एम द्वारा कोई समीक्षा नही की गई थी ।

यह दर्शाता है कि डब्लू क्यू एम एण्ड एस का अनुश्रवण अत्यधिक अपर्याप्त था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि डब्लू क्यू एम एण्ड एस के अनुश्रवण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

3.2.6.4 आंतरिक नियंत्रण

संगठन में नियम एवं प्रक्रिया के अनुपालन के स्तर को ज्ञात करने एवं मूल्यांकन करने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक लेखा परीक्षा, उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं। अभिलेखों की जाँच में निम्नानुसार पाया गयाः

(अ) आंतरिक लेखा परीक्षा

विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं थी।

जाँच में पाया गया है कि विभाग कि अपनी खुद की आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं थी एवं पिछले पांच वर्ष में किसी भी जांच किये गये सम्भागों में लेखा परीक्षा नहीं की गयी थी।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्यालय की लेखा परीक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की पदस्थापना कर तथा एक आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा के गठन के लिए कदम उठाए जायेंगे।

(ब) उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

हमने पाया कि पिछले पाँच वर्षों में उच्च अधिकारी जैसे प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा सम्भागों को निरीक्षण नहीं किया गया था। सम्भागों में उच्च अधिकारियों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान की गयी यात्राओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4: उच्च अधिकारियों द्वारा जिलों का निरीक्षण

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	प्रमुख अभियंता द्वारा की गई यात्रायें	मुख्य अभियंता द्वारा की गई यात्रायें	अधीक्षण अभियंता द्वारा की गई यात्रायें
1	अम्बिकापुर	0	0	0
2	बिलासपुर	0	0	0
3	दंतेवाड़ा	0	0	3
4	धमतरी	0	0	2
5	जांजगीर-चांपा	0	0	1
6	कवर्धा	0	1	1
7	कोरिया	0	0	0
8	महासमुंद	0	0	0
9	रायपुर	0	0	0

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त में, यह देखा गया कि जांच किये गये सम्भागों को प्रमुख अभियंता द्वारा निरीक्षण नही किया गया था । यद्यपि, कवर्धा सम्भाग की मुख्य अभियंता द्वारा एक बार

एवं दंतेवाड़ा सम्भाग की तीन बार, धमतरी सम्भाग की दो बार, जांजगीर चांपा, कवर्धा सम्भागों की एक बार यात्रा पिछले पांच वर्षों में की गयी थी।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया।

3.2.7 अनुपालन मुद्दे

ठोस वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए, यह आवश्यक है कि व्यय न केवल वित्तीय नियमों एवं नियमन को सदृश्य करता हो बल्कि योग्य अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के सामंजस्य में होना चाहिए। इससे वित्तीय अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकने के अलावा उत्तम वित्तीय अनुशासन कायम रखने में भी सहायता होती है। नियमों एवं नियमनों के अनुपालन नहीं होने के कुछ लेखापरीक्षा आक्षेप के बारे में आगे कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:

3.2.7.1 वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण

भारत सरकार व राज्य सरकार, विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं हेतु निधि उपलब्ध कराते है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निधि साझा किया जाता है, राज्य योजनाओं हेतु निधि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, स्वच्छता इत्यादि हेतु अनेक केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं की निधि व्यवस्था निम्न तालिका में दी गयी है:

तालिका 5: केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य योजनाओं हेतु निधि व्यवस्था

स. क्रं.	योजना का नाम	घटक	निधि व्यवस्था
केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ			
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्लू पी)	कवरेज, वाटर क्वालिटी, संचालन एवं संधारण	50:50 भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा
		सस्टेनेबिलिटी	100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा
2.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी)	बी पी एल/ विकलांग परिवार हेतु अतिरिक्त शौचालय	60:20:20 क्रमशः भारत सरकार, राज्य सरकार एवं हितग्राही द्वारा
		ए पी एल हेतु व्यक्तिगत शौचालय	100 प्रतिशत हितग्राही द्वारा
		स्कूल एवं आंगनवाड़ी स्वच्छता	70:30 भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा
राज्य प्रवर्तित योजनाएं			
3.	ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं	एन आर डी डब्लू पी के अंतर्गत सम्मिलित नही की गई नल जल योजनाएं	100 *प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा*
		एन आर डी डब्लू पी के अंतर्गत सम्मिलित नही की गई स्थल जल योजनाएं	100 *प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा*
		नलकूप खनन	100 *प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा*
		संचालन एवं संधारण	100 *प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा*
4.	शहरी जल प्रदाय योजनाएं	-	70:30 प्रतिशत राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय द्वारा ऋण

(स्रोत: भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश)

पीएचई विभाग के प्रारम्भिक प्राक्कलन एवं इसको दिये गये अनुदान या विनियोग के विरूद्ध किये गये व्यय पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है । हमें बजट आवंटन व उसकी उपयोगिता की जाँच में कमियाँ ज्ञात हुई जैसे कि निरंतर बचत, अनुपयुक्त प्रवधान तथा धनादेश एवं प्रेषणों का मिलान न किया जाना इत्यादि जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

(अ) बजटीय प्रबंधन

(i) भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभाग को पिछले पाँच वर्षों में उपलब्ध कराये गये वित्तीय प्रावधान निम्न है:

तालिका 6: वर्षवार आवंटन एवं व्यय

(₹ राशि करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार			राज्य सरकार			कुल		
	आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)	आवंटन	बचत (प्रतिशत)	आवंटन	आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2007-08	111.71	107.29	4.42 (3.95)	342.03	279.84	62.19 (18.18)	453.74	387.13	66.61 (14.68)
2008-09	148.58	123.18	25.40 (17.09)	380.58	329.76	50.82 (13.35)	529.16	452.94	76.22 (14.40)
2009-10	223.98	104.74	119.24 (53.23)	275.51	240.06	35.45 (12.87)	499.49	344.80	154.69 (30.97)
2010-11	128.70	100.45	28.25 (21.94)	284.11	238.71	45.40 (15.98)	412.81	339.16	73.65 (17.84)
2011-12	130.23	123.98	6.25 (4.80)	244.44	175.36	69.08 (28.25)	374.67	299.34	75.33 (20.11)
योग	**743.20**	**559.64**	**183.56**	**1526.67**	**1263.73**	**262.94**	**2269.87**	**1823.37**	**446.50**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2007-08 से 2011-12 अवधि के दौरान भारत एवं राज्य सरकार द्वारा पीएचई विभाग को ₹ 2269.87 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके विरूद्ध ₹ 1823.37 करोड़ का व्यय किया गया था। जैसा कि हमारे द्वारा विश्लेषण किया गया कि ₹ 446.50 करोड़ की बचत मुख्यतः शहरी/ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का अधूरा रहना, वाटर क्वालिटी व सस्टेनेबिलिटी के अर्न्तगत व्यय न होना तथा टी एस सी के अर्न्तगत लक्ष्यों का प्राप्त न होना, कारणों से हुई । योजनावार निधि आबंटन एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट 3.2.1** एवं **3.2.2** में दिया गया है।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि बचत का मुख्य कारण शासन द्वारा योजना /नवीन मदों की स्वीकृति में देरी था। आगे यह बताया गया कि आगामी वर्षों का बजट वर्तमान वर्ष के बजट में 10 से 15 प्रतिशत अधिक्य कर बनाया जाता है एवं आश्वासन दिया कि निधि का उपयोग अधिकतम सीमा तक करने हेतु कदम उठाये जाऐंगे।

(ii) अवास्तविक अनुपूरक बजट प्रावधान (अनुदान संख्या 20- पीएचई)

पीएचई विभाग से संम्बन्धित अनुदान संख्या 20 का बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार था:

तालिका 7: वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ राशि करोड़ में)

वर्ष	मूल	अनुपूरक (प्रतिशत)	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2007-08	201.38	27.14 (13.48)	228.52	208.23	20.29 (8.88)
2008-09	250.56	18.92 (7.55)	269.48	247.56	21.92 (8.13)
2009-10	242.77	25.90 (10.67)	268.67	251.85	16.82 (6.26)
2010-11	212.17	45.63 (21.51)	257.80	239.70	18.10 (7.02)
2011-12	275.42	39.02 (14.17)	314.44	301.28	13.16 (4.18)

(स्रोतः संबंधित वर्ष का विनियोग लेखा)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि-

1. मूल बजट प्राक्कलन बनाने में दूरदर्शिता की कमी के कारण 2007-08 से 2011-12 प्रत्येक वर्ष में मूल अनुदान के 7.55 से 21.51 प्रतिशत की अनुपूरक प्रावधानों के रूप में आवश्यकता पड़ी ।

2. यद्यपि ₹ 18.92 करोड़ से ₹ 45.63 करोड़ अनुपूरक प्रावधान किया गया, वर्षों के अंत में ₹ 16.82 करोड़ से ₹ 21.92 करोड़ बचत रही जो दर्शाता है कि इन वर्षों में अनुपूरक प्रावधानों द्वारा निधि की आवश्यकता का मूल्यांकन ठीक ढंग से नही किया गया । वर्ष 2008 09 के दौरान, यद्यपि ₹ 247.56 करोड़ का व्यय ₹ 250.55 के मूल प्रावधान के अर्न्तगत था, ₹ 18.92 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान बिना किसी आवश्यकता के किया गया।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि वर्ष 2008-09 में नये पदों की स्वीकृति के कारण अनुपूरक प्रावधान किए गये थे तथापि पदों को नही भरा जा सका।

(ब) 'वाटर क्वालिटी' एवं 'सस्टेनेबिलिटी' में लक्ष्य की उपलब्धि में कमी

'वाटर क्वालिटी' एवं 'सस्टेनेबिलिटी' में लक्ष्य की उपलब्धि में कमी थी।

कार्य जैसे कि वैकल्पिक जल स्रोत के विकास, डग वेल, आयरन रिमूवल प्लांट (आई आर पी) /फ्लोराईड रिमूवल प्लांट (एफ आर पी) की स्थापना इत्यादि 'वाटर क्वालिटी' में सम्मिलित हैं। टयूब वेल की हाइड्रोफ्रेक्चरिंग, पुराने हैण्डपंपों की मरम्मत, सब-सरफेस डाईक, बोल्डर चेक कम डाईकस, परकोलेशन टैंक,स्टाप डैम इत्यादि कार्य सस्टेनेबिलिटी में सम्मिलित है।

एन आर डी डब्लू पी के दिशानिर्देशानुसार कुल आबंटन का 40 प्रतिशत दो घटकों के लिए है जैसे 'वाटर क्वालिटी' (20 प्रतिशत) एवं 'सस्टेनेबिलिटी' (20 प्रतिशत) जो कि इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा है।

नौ नमूना जाँच जिलों में, हमने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2011-12 के लिए यद्यपि वाटर क्वालिटी के अन्तर्गत ₹ 51.94 करोंड़ का प्रावधान ए ए पी में किया गया था, चार[3] नमूना जाँच जिलों में ₹ 1.12 करोड़ (मार्च 2012) व्यय किया गया जबकी शेष चार[4] जिलों में वाटर क्वालिटी एवं कवेरज की संयुक्त रिपोर्टिग के कारण वास्तविक व्यय का पता नहीं लगाया जा सका। हमने आगे देखा कि सभी नमूना जाँच जिलों में सस्टेनेबिलिटी के अन्तर्गत ए ए पी में ₹ 59.34 करोड़ का प्रावधान किया गया था। परन्तु केवल ₹ 9.40 करोड़ (15.84 प्रतिशत) का व्यय (मार्च 2012) किया गया। जाँच किये गये जिलों में दोनों शीर्षो में ए ए पी प्रावधानित एवं व्यय की राशि नीचे दर्शाया गया है:

[3] अम्बिकापुर, कोरिया, कवर्धा, महासमुंद

[4] बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जॉजगीर चांपा

तालिका 8: वाटर क्वालिटी एवं सस्टेनेबिलिटी

(₹ राशि लाख में)

जिला	वाटर क्वालिटी			सस्टेनेबिलिटी		
	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
अम्बिकापुर	1515.00	26.99	1.78	1039.20	94.71	9.11
बिलासपुर	1097.50	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1434.80	135.58	9.45
दंतेवाड़ा	1401.01	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	300.75	76.62	25.48
धमतरी	142.75	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	280.65	56.56	20.15
जांजगीर-चांपा	261.50	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	440.16	61.67	14.01
कवर्धा	309.18	28.80	9.31	351.25	89.25	25.41
कोरिया	389.90	45.17	11.58	552.37	53.77	9.73
महासमुंद	77.25	10.90	14.99	397.25	54.41	13.69
रायपुर	0.00	0.00	—	1137.51	317.44	27.91
योग	**5194.09**	**111.86**	**2.15**	**5933.94**	**940.01**	**15.84**

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वाटर क्वालिटी एवं सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत दिये गये प्रावधान एवं व्यय में भारी अंतर था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि दोनों घटकों में प्रगति लायी जायेगी।

(स) धनादेश एवं प्रेषण का मिलान नही होना।

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (सी पी डब्लू ए) के कंडिका क्रमांक 23.20.05 के अनुसार धनादेश एवं नकदी प्रेषण के मिलान के सूची प्रपत्र 51 में मासिक लेखा सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजा जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच में देखा गया कि धनादेश एवं प्रेषण का मिलान नहीं किया गया था एवं धन प्रेषण में ₹ 58.94 करोड़ तथा धनादेश में ₹ 10.18 करोड़ का अन्तर था **(परिशिष्ट 3.2.3)**।

हमने यह भी देखा कि आठ[5] जिलों में कोषालय के साथ लेखाओं का मिलान नही किया गया था एवं जो अवधि मिलान के लिए लम्बित थी, वह 13 से 60 महीने तक रही जबकि सात[6] जिलों में दो से सात माह तक मिलान नही हुआ था । यद्यपि दंतेवाड़ा में नियमित रूप में मिलान किया गया था।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि मिलान का कार्य आरंभ कर दिया गया है। यद्यपि, मिलान के शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए जाऐंगे।

(द) विविध लोक निर्माण अग्रिम का बकाया रहना

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका 13.4 के अनुसार विविध लोक निर्माण अग्रिम (एम पी डब्लू ए) एक अस्थायी प्रकार का उपशीर्ष है जिसमें उधार पर बेची गयी भंडार सामग्री का मूल्य, जमा कार्यों पर प्राप्त निधि से अधिक का व्यय, नगद/भंडार सामग्रियों की हानि तथा शासकीय कर्मचारियों से प्राप्ति योग्य धन को नामे (डेबिट)

[5] अम्बिकापुर, धमतरी, कवर्धा, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, जशपुर, दुर्ग

[6] बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया, महासमुन्द, रायपुर, जगदलपुर, कोरबा

किया जाता है । यह लेने-देने नकद वसूली या समायोजन द्वारा अन्ततः निराकृत किया जाता है।

16 जिलों के मासिक लेखाओं की जाँच में पाया गया की मार्च 2012 की स्थिति में 1142 प्रकरणों में ₹ 33.93 करोंड़ की राशि बकाया थी **(परिशिष्ट 3.2.4)**। नौ नमूना जाँच जिलों में हमने देखा कि 575 प्रकरणों में ₹ 16.88 करोड़ की राशि बकाया थी तथा बकाया राशि की वसूली अथवा समायोजन हेतु विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये थे।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2010) कि अधिकतर अग्रिम जमा कार्यों में सम्बंधित विभाग द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण थे।

3.2.8 सेवा प्रदाय

कार्यक्रम प्रबंधन

पीएचई विभाग के राज्य योजनाएं जैसे शहरी जल प्रदाय योजनाएं एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं (आर डब्लू एस एस) जो कि एन आर डी डब्लू पी में सम्मलित नही हैं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं जैसे कि एन आर डी डब्लू पी एवं टी एस सी का क्रियान्वन करता है। शहरी जल प्रदाय योजनाएं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में पेयजल प्रदाय करने हेतु क्रियान्वित की जाती है। आर डब्लू एस एस में नल जल प्रदाय योजनाएं (पी डब्लू एस एस), स्थल जल प्रदाय योजनाएं[7], नलकूप खनन, संचालन एवं संधारण क्रियान्वित किये जाते हैं। एन आर डी डब्लू पी के घटक कवरेज, वाटर क्वालिटी, संचालन एवं संधारण, सस्टेनेबिलिटी एवं सपोर्ट थे। ग्रामीण क्षेत्र में, स्वच्छता बढ़ाने के लिए टी एस सी का क्रियान्वयन किया जाता है ।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देखी गयी अनियमितताओं/कमियों की चर्चा निम्न में की गयी है:

3.2.8.1 बसाहटों एवं पेयजल विस्तार की स्थिति

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (ए आर डब्लू एस पी) के मापदंडों (2008 तक) के अनुसार 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति वाली बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित (एफ सी) 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं अधिक किंतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम वाली बसाहटों को आंशिक आच्छादित (पी सी), 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम जल आपूर्ति वाली बसाहटों को आच्छादित नहीं (एन सी) की श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया था । 2008 के पश्चात् एन आर डी डब्लू पी के अन्तर्गत भारत सरकार ने लीटर आधारित पारम्परिक मापदंडों को बदलकर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के स्थान पर पेयजल सुरक्षा यथा परिवार स्तर पर पीने, खाना पकाने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए स्थायी तौर पर जल की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता को मापदण्ड बना दिया था । इन चुनौतियों का सामना शहरी जल प्रदाय योजनाओं (मध्यम

[7] स्थल जल प्रदाय योजना में क्षेत्र में जल की अनुपलब्धता अथवा पीने योग्य जल उपलब्ध न होने से जलापूर्ति दूरस्थ स्रोत से की जाती है।

एवं छोटे शहरों हेतु), पी डब्लू एस एस एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं (मध्यम एवं छोटे ग्रामों हेतु) तथा नलकूप खनन द्वारा किया जाना था ।

वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2011-12 (पंचवर्षीय योजना) में बसाहटों एवं पेयजल विस्तार की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 9: छत्तीसगढ़ में बसाहटों एवं पेयजल विस्तार की स्थिति

विवरण	2007-08	2011-12
1	2	3
ग्रामों की संख्या	19744	19744
कवर किये गये ग्रामों की संख्या	19744	19744
बसाहटों की संख्या	72775	72329
पूर्ण आच्छादित बसाहटों की संख्या	62906	72329
आंशिक आच्छादित बसाहटों की संख्या	7288	-
कवर नही किये गये बसाहटों की संख्या	2581	-
आयरन प्रभावित जल गुणवत्ता वाली बसाहटों की संख्या	4932	8747
फ्लोराइड प्रभावित जल गुणवत्ता वाली बसाहटों की संख्या	17	18
हाईनेस प्रभावित जल गुणवत्ता वाली बसाहटों की संख्या	61	65
आर्सेनिक/नाईट्रेट प्रभावित जल गुणवत्ता वाली बसाहटों की संख्या	11	8
पेयजल सुविधा विहिन स्कूलों की संख्या	2965	4612
पेयजल अनुपलब्ध आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	अनुपलब्ध	23413
कार्यरत हैण्डपंपों वाली बसाहटों की संख्या	184401	218571
1	2	3
छोटे एवं मध्यम शहरों की संख्या	110	169
छोटे एवं मध्यम शहरों में स्वीकृत ए यू डब्लू एस पी की संख्या	110	128
पूर्ण ए यू डब्लू एस पी की संख्या	43	69
प्रगतिरत ए यू डब्लू एस पी की संख्या	31	37
अप्रारम्भ ए यू डब्लू एस पी की संख्या	36	22
स्वीकृत पी डब्लू एस एस की संख्या	1539	2357
पूर्ण पी डब्लू एस एस की संख्या	1125	1736
प्रगतिरत पी डब्लू एस एस की संख्या	255	130
अप्रारम्भ पी डब्लू एस एस की संख्या	159	291
स्वीकृत स्थल जल प्रदाय योजनाओं की संख्या	1963	2467
पूर्ण स्थल जल प्रदाय योजनाओं	1228	1900
प्रगतिरत स्थल जल प्रदाय योजनाओं	486	230
प्रारम्भ स्थल जल प्रदाय योजनाओं	249	337

** आवर्धित शहरी जल प्रदाय कार्यक्रम*

(स्रोतः विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि :-

1. 59 (37 + 22) जल प्रदाय योजनाएं, 421 (130 + 221) पी डब्लू एस एस योजनाएं एवं 567 (230 + 337) स्थल जल प्रदाय योजनाएं क्रमशः मध्यम एवं छोटे शहरों तथा मध्यम एवं छोटे ग्रामों के लिए अभी भी अप्रारम्भ हैं। इस प्रकार योजनाओं के अंतर्गत जिस जनसंख्या को शामिल करने की आवश्यकता थी उन्हे अभी तक लाभान्वित नहीं किया जा सका।
2. इसके अतिरिक्त, 41 (162 - 128) जल प्रदाय योजनाएं, जो मध्यम एवं छोटे शहरों के लिए थीं, विभाग द्वारा अभी प्रारंभ होनी थीं।

3. मार्च 2012 तक, 8747 बसाहटें आयरन प्रभावित, 18 बसाहटें फ्लोराइड प्रभावित,65 बसाहटें हार्डनेस प्रभावित एवं आठ बसाहटें आर्सेनिक/नाईट्रेट प्रभावित थीं।

4. 4612 स्कूलों में तथा 23413 आगंनबाड़ी केन्द्रों (ए डब्लू सी) में पेयजल सुविधा नही थी।

निर्गम बैठक के दौरान, शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि बसाहटों के कवरेज में और वृद्धि हुई है तथा बसाहटों एवं पेयजल की कवरेज की वर्तमान स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी।

यद्यपि बसाहटों एवं पेयजल कवरेज की वर्तमान स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी (मार्च 2013)।

योजनाओं का निष्पादन

3.2.8.2 शहरी जल प्रदाय योजनाएं

राज्य शासन के 70 प्रतिशत अनुदान तथा स्थानीय निकाय द्वारा उठाये गये 30 प्रतिशत ऋण की निधि व्यवस्था से शहरी जल प्रदाय योजना राज्य में लागू की गयी। जल स्त्रोत पर इंटेक वेल, संवर्धन के लिए जल ले जाने हेतु रॉ वाटर मेन्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्लू टी पी), जल एवं भंडारण हेतु क्लोरीनीकृत जल ले जाने के लिए क्लीयर वाटर मेन्स, जल भण्डारण हेतु ओवर हेड टैंक (ओ एच टी) तथा शहर के बसाहटों तक जलापूर्ति हेतु डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क निर्माण, शहरी जल प्रदाय योजना में सम्मिलित थे।

नौ नमूना जाँच जिलों में हमने 12 शहरी जल प्रदाय योजनाओं तथा एक सलेज कन्वेन्स, ट्रीटमेंट तथा डिस्पोसल योजना की जाँच की थी। जुलाई 2012 तक कार्य की स्थिति को निम्नानुसार तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 10: शहरी जल प्रदाय योजना की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रं	जिले का नाम	परियोजना का नाम	लक्षित जनसंख्या	स्वीकृति का वर्ष	योजना की लागत	पुनरीक्षित योजना लागत	व्यय	पूर्णता की निर्धारित तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर आवर्धन डब्लू एस एस- आउटर	42103	2007-08	14.90	25.72	21.59	जुलाई 2010	अपूर्ण
2		सीतापुर आवर्धन डब्लू एस एस	8675	2007-08	4.82	5.66	4.42	सितम्बर 2010	अपूर्ण
3	बिलासपुर	मुंगेली आवर्धन डब्लू एस एस	31613	2007-08	4.44	6.52	4.20	मार्च 2010	अपूर्ण
4	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा डब्लू एस एस	8225	2006-07	2.19	4.39	4.32	अगस्त 2009	अपूर्ण
5		बड़े बछेली डब्लू एस एस	10298	2007-08	3.66	-	2.14	-	अपूर्ण
6	धमतरी	धमतरी आवर्धन डब्लू एस एस	100629	2008-09	17.24	31.36	18.44	मई 2011	अपूर्ण
7	जांजगीर चांपा	चांपा आवर्धन डब्लू एस एस		2007-08	8.51	-	4.85	मार्च 2010	अपूर्ण
8	कवर्धा	कवर्धा आवर्धन डब्लू एस एस	32415	2006-07	15.01	-	15.30	फरवरी 2009	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		सकरी नदी हेतु कवर्धा में सलेज कन्वेंस,ट्रीटमेंट एवं डिस्पोसल योजना	100000	2007-08	4.89	-	1.77	अगस्त 2010	अपूर्ण
10	कोरिया	मनेन्द्रगढ डब्लू एद एस	30755	2007-08	8.94	-	6.11	मार्च 2009	अपूर्ण
11	महासमुंद	महासमुंद डब्लू एस एस	47203	2006-07	18.00	25.24	17.67	सितम्बर 2009	अपूर्ण
12	रायपुर	बीरगांव आवर्धन डब्लू एस एस	57189	2006-07	16.74	29.31	26.93	सितम्बर 2009	अपूर्ण
13		कसडोल आवर्धन डब्लू एस एस	11403	2007-08	4.75	7.73	5.65	अप्रैल 2010	अपूर्ण
		योग	**480508**		**124.09**		**133.39**		

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से संकलित)

इन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच में निर्धारित अवधि के बाद भी कार्य पूर्ण नही किया जाना तथा देरी के लिए शास्ति आरोपित न किया जाना, अतिरिक्त लागत, टेस्टिंग के लिए राशि न रोका जाना, ठेकेदारों का अनुचित लाभ, विस्तृत प्राक्कलन बनाये बिना कार्य का निष्पादन आदि पाये गये जिनकी निम्नानुसार चर्चा की गई हैः

(अ) कार्य पूर्ण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 133.39 करोड़ का निष्फल व्यय तथा देरी के लिए ₹ 8.01 करोड़ की शास्ति आरोपित न किया जाना

कार्य पूर्ण न होने से निष्फल व्यय हुआ एवं लक्षित लाभार्थियों को विर्निदिष्ट लाभ नहीं पहुंचाया जा सका।

अनुबंध की धारा 2 (फार्म अ[8]) के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए प्रदत्त समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई पूर्वक ध्यान रखा जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में विफल रहने पर, ₹ 25 लाख एवं अधिक लागत के कार्य के लिए कार्यपालन अभियंता द्वारा क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रति सप्ताह कार्य के मूल्य के 1/16 प्रतिशत राशि के बराबर ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जानी चाहिए। आगे प्रावधानित है कि क्षतिपूर्ति की राशि कार्य के कुल मूल्य के छः प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

अनुबंध की धारा 13 (फार्म एफ[9]) के अनुसार कार्य अनुबंध में निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा चूक के मामले में अनुबंध के प्रावधानानुसार प्रतिदिन लिक्विडेटेड डेमेज जिसकी सीमा प्राक्कलित मूल्य के 10 प्रतिशत तक होगी आरोपित किया जायेगा।

चयनित जिलों की जाँच के दौरान हमने पाया कि पीएचई विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 12 नमूना जाँच की गई शहरी जल प्रदाय योजना तथा एक सलेज कन्वेन्स ट्रीटमेंट तथा डिस्पोजल योजना के लिए ₹ 124.09 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

पी एच ई डी के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान हमने पाया कि 13 योजनाओं के 112 मुख्य कार्यों में से ₹ 91.89 करोड़ के 92 कार्यों के लिए निविदायें (एन आइ टी) आमंत्रित की गई थी। शेष बचे 20 कार्यों में से 3 कार्य निविदा के विभिन्न स्तरों पर थे तथा 17 कार्यों के लिए लेखा परीक्षा की तिथि (जुलाई 2012) तक निविदायें आमंत्रित नही की गई थीं। हमने आगे पाया कि 92 कार्यों में से 49 कार्य पूर्ण हो गये थे तथा शेष 37 कार्यों के मामलों में प्रगति 51 से 99 प्रतिशत रही थी। शेष छह में से चार कार्यों में

[8] दर प्रतिशत निविदा
[9] एक मुश्त निविदा

प्रगति कम थी जो कि 33 से 48 प्रतिशत के मध्य थी जबकि दो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए थे। यद्यपि 13 योजनाओं को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2009 से मई 2011 के मध्य थी तथापि कुल ₹ 133.39 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी कोई योजना पूर्ण नही हुई थी **(परिशिष्ट 3.2.5)**।

आगे की जाँच में पाया गया कि यद्यपि योजनाएं निर्धारित अवधि से 14 से 36 माह पश्चात् भी अपूर्ण थी किन्तु सक्षम प्राधिकारियों ने अनुबंध के प्रावधानानुसार न तो कोई समयवृद्वि दी थी और न ही ठेकेदारों के विरूद्ध कोई शास्ति आरोपित की थी। दंतेवाडा में दो जल आपूर्ति योजनाओं में अनुबंध के प्रावधानों के विरूद्ध अत्यंत कम यथा 0.5 से 1.5 प्रतिशत की दरों से शास्ति आरोपित की थी। परिणामस्वरूप ठेकेदारों पर राशि ₹ 8.01 करोड़ की शास्ति आरोपित नही की जा कर अनुचित लाभ दिया गया था। **(परिशिष्ट 3.2.6)।**

उपरोक्तानसार स्पष्ट था कि कार्य की अपूर्णता के कारण न केवल राशि ₹ 133.39 करोड़ का निष्फल व्यय रहा बल्कि लक्षित लाभार्थियों को विर्निदिष्ट लाभ नही पहुंचाया जा सका था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि कुछ जल आपूर्ति योजनाएं पूर्णता के स्तर पर है तथा जनता को आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। आगे यह बताया कि सभी योजनाओं की पूर्णता पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि लेखा परीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में इससे संबंधित कोई संकेत नही थे कि कार्य में देरी के लिए विभाग द्वारा कोई समय वृद्वि दी गई थी या ठेकेदारों पर शास्ति आरोपित की गई थी।

(ब) टेस्टिंग चार्जेस न काटे जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 9.04 करोड़ का अनुचित लाभ

टेस्टींग चार्जेस न काटे जाने के कारण ठेकदार को अनुचित लाभ हुआ।

जलापूर्ति एवं सिवरेज कार्य से संबंधित (01.09.2002 से लागू) एकीकृत अनुसूची (यू एस ओ आर) के जनरल नोट्स की कंडिका 5 के अनुसार कार्य पूर्णता पर अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा जब आवश्यक समझे, ठेकेदार सभी सामग्रियों, पाईपों फिटींग, जोड़ों एवं अन्य सामग्रियों को साफ, स्वच्छ, कार्य की परिस्थितियों में सही हालत में सिद्व करेगा तथा विभिन्न मदों की विशिष्टियों की विनिर्दिष्ट जांच पर खरा सिद्व करेगा। यदि सामग्री अथवा कार्यकुशलता में कोई कमी पाई जाती है तो ठेकेदार उस कमी को दूर करेगा तथा दोषमुक्त भाग का स्वंय के व्यय पर पुनः परीक्षित करेगा। परीक्षण पूर्ण होने तक बिल की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि ठेकेदार के चलित देयकों से रोक कर रखी जानी चाहिए तथा उसे परीक्षण के पश्चात् प्रभारी अभियंता के पूर्ण संतुष्ट होने पर विमुक्त किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच में पाया गया की नमूना जांच किये गये आठ[10] जिलों में उपरोक्त कण्डिका को अनुबन्ध का भाग नही बनाया गया था। यह पाया गया कि इन जिलों के रॉ एवं क्लीयर वाटर मेन्स, डब्लू टी पी एवं डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित अनुबंधों में, उपरोक्त

[10] अम्बिकापुर, दंतेवाडा, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर

कण्डिकानुसार ठेकेदारों के चलित देयकों से परीक्षण हेतु 10 प्रतिशत की राशि की कटौती नही की गयी थी । यद्यपि बिलासपुर में उपरोक्त कण्डिका को अनुबंध के कामन सेट आफ कण्डिशन्स का भाग बनाया गया था किन्तु ठेकेदारों के देयकों से 10 प्रतिशत की राशि काटी नही गयी थी।

इस तरह से बिलासपुर के अतिरिक्त आठ नमूना जांच किये गये जिलों के युएसओआर (अनुसूची दर) के प्रावधान को अनुबंधो का भाग नही बनाया गया था तथा परीक्षण हेतु रोके जाने वाली आवश्यक,कार्य के मूल्य की 10 प्रतिशत की राशि को ठेकेदारों के देयकों से काटा नही गया था। परिणामतः ठेकेदारों को राशि ₹ 9.04 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था **(परिशिष्ट 3.2.7)**।

निर्गम बैठक में शासन ने लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर सहमति व्यक्त की तथा बताया (फरवरी 2013) कि नियमानुसार ठेकेदारों के देयकों से राशि काटे जाने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे।

(स) स्फीतित प्राक्कलन तैयार किये जाने से राशि ₹ 1.72 करोड़ की अतिरिक्त लागत

लोक निर्माण विभाग मैन्युअल के कंडिका 2.027 के अनुसार प्राक्कलन में दी गई दरों का सामान्यतः अनुसुचित दरों से मिलाना होना चाहिए। जहाँ किसी कारण से परवर्ती सार्थक या पर्याप्त नहीं समझा जाता है, परिवर्तन प्राक्कलनों में सविस्तार वर्णित होना चाहिए, तथा यदि प्राक्कलन में कार्य की एक विशेष मद हेतु अनुसूचित दर सबंधित नही है, प्रस्तावित दर एक विश्लेषण द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

तीन सम्भागों[11] के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि पाँच कार्यों[12] की प्राक्कलित लागत पीएचई विभाग को युएसओआर के अनुसार ₹ 17.10 करोड़ थी। तथापि डीपीआर तैयार करने के दौरान सम्भागों द्वारा उपरोक्त प्राक्कलित लागत में बिना किसी औचित्य के 25 से 70 प्रतिशत (राशि ₹ 1.72 करोड़) की वृद्वि की गयी थी। चूंकि प्रतियोगी दर प्राप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया उपलब्ध थी, अतः कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन न कर प्राक्कलनों में तदर्थ वृद्वि करने का कोई औचित्य नही था। प्राक्कलन में इस प्रकार तदर्थ वृद्वि से ठेकेदारों को उच्च दर अंकित करने की सुविधा दी गयी इसके परिणमस्वरूप राशि ₹ 1.72 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई थी **(परिशिष्ट 3.2.8)**।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि प्राक्कलन नई दर अनुसूची जो कि फरवरी 2013 से लागू की गयी है, पर तैयार किये जायेंगें।

11 दंतेवाड़ा, कवर्धा, महासमुंद

12 महासमुंद आवर्धन डब्लू एस एस के अन्तर्गत इंटेकवेल, जैकवेल एवं आर सी सी फुट ब्रिज का निर्माण,कवर्धा आवर्धन डब्लू एस एस के अन्तर्गत कैनाल इंटेक, रॉ वाटर ग्रेविटी मेन्स, आर सी सी सम्पवेल, क्लीयर वॉटर मेन्स एवं ओ एच एस आर (550 कि ली) एवं डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, सकरी नदी के प्रदूषण रोक्थाम हेतु सलेज कन्वेंस, ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल योजना तथा दंतेवाड़ा डब्लू एस एस के अंतर्गत इंटेकवेल,जैकवेल एवं आर सी सी ब्रिज का निर्माण

(द) अनुबंध के प्रावधानों के विरूद्ध भुगतान का ब्रेकअप शेडयूल तैयार किये जाने के कारण ठेकेदारों को राशि ₹ 3.95 करोड़ का अनुचित लाभ

अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन से ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

अनुबंध की शर्तो (फार्म एफः एकमुश्त ठेका) की कण्डिका 15 के अनुसार ठेकेदारों को किये गये कार्य के कुल मूल्य का 90 प्रतिशत भुगतान किये जाने का प्रावधान था तथा शेष बकाया राशि ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने के 12 माह के पश्चात् प्रदाय की जायेगी।

आठ[13] नमूना जांच जिलों के 39 अनुबंधों के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि अनुबंध की उपरोक्त कण्डिका का पालन नही किया जा रहा था तथा कार्य के विभिन्न स्तरों के लिए भुगतान का ब्रेकअप शेडयूल 100 प्रतिशत निविदा लागत पर तैयार किये गए थे एवं ठेकेदारों को अनुबंध को ब्रेकअप शेडयूल के अनुसार स्तर -वार भुगतान किया गया था। अतः ब्रेकअप शेडयूल तैयार किये जाने के दौरान उपरोक्त कण्डिका को विचाराधीन न रखे जाने के कारण ठेकेदार उपरोक्त कण्डिकानुसार कार्य के मूल्य के 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत भुगतान प्राप्त कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों का राशि ₹ 3.95 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया है **(परिशिष्ट 3.2.9)**।

निर्गम बैठक में शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी स्वीकार की तथा बताया (फरवरी 2013) कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ब्रेकअप शेड्यूल तैयार किया जाएगा।

शहरी जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में पाये गये अन्य रूचिकर बिन्दुः

(इ) सड़क के दोनो ओर पाईप लाइन बिछाने से परिहार्य अतिरिक्त लागत ₹ 24.13 लाख

मुंगेली आवर्धन जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईपलाईन प्रदाय करना, बिछाना, जोड़ना, (डिस्ट्रीब्यूशन मेन) आदि के कार्य एक ठेकेदार[14] को अनुबंध राशि ₹ 2.11 करोड़ में आवंटित किया गया था (अक्टुबर 2010)। कार्यपूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु सहित 11 माह थी। कार्य प्रगति पर है एवं ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ भुगतान किया गया था (नम्वबर 2011)।

कार्य को 20981 मीटर लम्बाई डी आई के-7 पाईप जिसमें 150 एम एम 3574 मीटर एवं 200 एम एम की 786 मीटर सम्मिलित थी, स्वीकृत की गयी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निष्पादन के दौरान विभाग के द्वारा कुछ हिस्सों पर सड़क के दोनो ओर पाईप बिछाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 150 एम एम के 7 एवं 200 एम एम के 7 की लम्बाई में क्रमशः 3574 मीटर से 4500 मीटर एवं 786 से 1400 की वृद्वि हुई थी। वृद्धि हुई लम्बाई मूल प्राक्कलन में प्रावधानित नही थी तथा इसका निष्पादन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किया गया था। अतः सड़क के दोनों ओर पाईपलाईन कार्य के क्रियान्वयन से परिणामस्वरूप न केवल परिहार्य अतिरिक्त लागत हुई बल्कि ₹ 24.13 लाख का अनाधिकृत व्यय किया गया था। विवरण निम्नानुसार थाः

13 अम्बिकापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर, चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुन्द, रायपुर

14 अनुबंध क्र.27 डी एल/2010-11

तालिका 11: परिहार्य अतिरिक्त लागत का विवरण

क्र सं	विवरण	मूल लम्बाई (मीटर में)	पुनरीक्षित लम्बाई (मीटर में)	लम्बाई में वृद्धि (मीटर में)	दर (₹ में)	कुल0 (₹ राशि में
1	150 एम एम के-7 डी आई पाईप	3574	4500	926	832	770432
2	200 एम एम के-7 डी आई पाईप	786	1400	614	1037	636718
						1407150
	निविदा दर 71.5 प्रतिशत जोड़े					**2413262**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से संकलित)

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि सड़क के महत्व को देखते हुए एवं रहवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए सड़क के दोनो ओर पाईप लाईन बिछाई गयी थी।

चूंकि डीपीआर स्थल के विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् तैयार किया गया था, अतः क्रियान्वन के दौरान विचलन नही होना चाहिए था। अतः उत्तर स्वीकार्य नही था।

(फ) दंतेवाड़ा जल प्रदाय योजना में कार्यक्षेत्र के परिवर्तन के कारण अधिक भुगतान ₹ 22.94 लाख

दंतेवाड़ा जल प्रदाय योजना कार्य के डीपीआर में इन्टेक वेल, अप्रोच ब्रिज एवं अप्रोच रोड कार्य की प्राक्कलित राशि ₹ 28.12 लाख सम्मिलित था। ₹ 35.15 लाख की तकनीकी स्वीकृति (प्रचलित निविदा दर पर प्राक्कलित राशि का 25 प्रतिशत अधिक) प्रदान की गई थी (सितम्बर 2007)।

प्रमुख अभियंता, पीएचई विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एवं इन्टेक वेल को 100 मीटर अपस्ट्रीम स्थानान्तरण करने हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2006) जिससे इन्टेक वेल को निर्माण स्थल नदी के भीतर से नदी के किनारे में परिवर्तित हुआ। निर्देशानुसार अप्रोच ब्रिज व अप्रोच रोड के स्थान पर एक जैकवेल का निर्माण किया जाना था।

इन्टेक वेल, ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड सर्विस रिजरवायर का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को राशि ₹ 1.75 करोड़ में एकमुश्त ठेके पर प्रदाय किया गया था। कार्यपूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु छोड़कर 12 माह थी। कार्य प्रगति पर था तथा ठेकेदार को राशि ₹ 1.67 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था (जुलाई 2012)।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निविदा आमंत्रण के समय (मार्च 2007) इन्टेक वेल जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 35.15 लाख थी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित था। यद्यपि प्रमुख अभियंता द्वारा निर्देशित जैकवेल कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नही था, तथापि कार्य का निष्पादन किया गया था। विभाग द्वारा इस कार्य के निष्पादन के लिए पृथक से कोई प्राक्कलन नही बनाया गया था। आगे यह देखा गया कि प्राक्कलन से अप्रोच ब्रिज व अप्रोच रोड को हटाया नही गया था तथा नही किये गये कार्यों को समायोजन नही करते हुए अनुबंध के ब्रेकअप शेडयूल के अनुसार भुगतान किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को ₹ 22.94[15] लाख का अधिक भुगतान हुआ।

[15] अप्रोच ब्रिज एवं रोड की लागत = ₹ 9.69 लाख + ₹ 1.50 लाख= ₹ 11.19 लाख
कुल लागत = ₹ 11.19 लाख + 25 प्रतिशत प्रचलित दर + 64 प्रतिशत निविदा प्रीमीयम =₹ 22.94 लाख

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2013) कि कार्यवाही की जायेगी एवं ठेकेदारों के अंतिम देयक से वसूली की जाएगी

3.2.8.3 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

पीएचई विभाग द्वारा राज्य योजना व केन्द्र प्रवर्तित योजना के अर्न्तगत ग्रामीण जल प्रदाय योजना (आर डब्लू एस एस) का क्रियान्वयन करता है। आर डब्लू एस एस में नलकूप खनन, पाईपलाइन का बिछाना व जोड़ना, ओवर हैड टैंक (ओएचटी) का निर्माण सम्मिलित है। आर डब्लू एस एस के अर्न्तगत दो योजनाएं यथा मध्यम एवं छोटे ग्राम जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है, हेतु पी डब्लू एस एस योजना तथा छोटे ग्राम जिनकी जनसंख्या 2000 से कम हेतु स्थल जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जाती है। आर डब्लू एस एस कार्य पूर्ण होने के पश्चात पीएचई विभाग इन परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों (जी पी) को हस्तान्तरित करता है।

अभिलेखों को जॉच में कई कमियाँ पायी गई जैसे कि ओएचटी के निर्माण में अतिरिक्त लागत संधारण के अभाव में योजनाओं का बन्द होना जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गयी है:

(अ) 2000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों की पी डब्लू एस एस में ओ एच टी के अनियमित निर्माण से ₹ 11.03 करोड़ की अतिरिक्त लागत तथा कार्यों की पूर्णता में देरी

2000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में पीडब्लूएसएस के क्रियान्वयन में अतिरिक्त लागत आई।

पीएचई विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पी डब्लू एस के डीपीआर बनाने हेतु जनसंख्या के मापदण्ड को पालन करने के लिए निर्देश जारी किये गए (अप्रैल 2007)। तदानुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों के पी डब्लू एस एस जिसमें ओएचटी का निर्माण पाईपलाईन को बिछाना व जोड़ना तथा नलकूप खनन का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 106 पीडब्लूएसएस में यद्यपि संबंधित ग्रामों में जनसंख्या 2000 से कम थी उपरोक्त शासनादेश का पालन करते हुए ओएचटी का निर्माण किया गया था। छोटे ग्रामों में ओएचटी को सम्मिलित करते हुए पीडब्लूएसएस का क्रियान्वयन के फलस्वरूप ₹ 11.03 करोड़ **(परिशिष्ट 3.2.10)** का अतिरिक्त व्यय हुआ। हमने यह भी देखा कि यद्यपि योजनाओं की पूर्णता की समयावधि 3 से 6 माह थी यह योजनाऐं 24 से 36 माह बीत जाने के बाद भी पूर्ण नही हुई थी (जुलाई 2012)।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि ग्रामों की जनसंख्या 2001 जनगणना पर आधारित थी एवं वास्तविक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। पीडब्लूएसएस का क्रियान्वयन वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया जा सक्ता है।

विभाग का मत स्वीकार्य नही था क्योंकि योजना के डीपीआर ग्रामों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर बनाये गये थे।

(ब) संधारण के अभाव में नल जल प्रदाय योजना/स्थल जल योजना का बन्द होना

संधारण के अभाव में पी डब्लू एस एस/स्थल जल योजनाएं बंद पड़ी थीं

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी (अप्रैल 2007) दिशानिर्देशों के अनुसार पीएचई विभाग द्वारा पी डब्लू एस एस को पूर्णता पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जाना था। प्रत्येक ग्राम पंचायत को पी डब्लू एस एस एवं स्थल जल योजना हेतु क्रमशः ₹ 15000 एंव ₹ 7500 प्रत्येक वर्ष दिया गया। आगे, दिशानिर्देशों में दिया गया कि योजना को सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम में पर्याप्त पानी की उपलब्धता एक मुख्य मापदण्ड होगा।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया है कि हस्तान्तरित 1792 पी डब्लू एस एस स्थल जल योजनाओं में से 229 योजनाएं **(परिशिष्ट 3.2.11)** विद्युत शुल्क का भुगतान न होने, मोटर पंप के कार्यरत न होने, विद्युत कनेक्शन न होने, संधारण न होने एवं जल स्त्रोत सूख जाने से बन्द पड़ी थीं।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा योजना का संधारण नही किये जाने से 229 ग्रामों की जनसंख्या पी डब्लू एस एस के अर्न्तगत लाभ नही ले सकीं।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2013) कि पी डब्लू एस एम ग्राम पंचायतों को संधारण हेतु हस्तान्तरित की गयी थीं, तथा ग्राम पंचायतों को पी डब्लू एस एस एवं स्थल जल योजनाओं के लिए क्रमशः ₹ 15000 एवं ₹ 7500 प्रत्येक वर्ष संधारण हेतु दिया जाता है। इस निधि से ग्राम पंचायतों द्वारा संधारण किया जाना था एवं जल उपयोगकर्ताओं से जल उपकर वसूला जाना था जो नही किया जा रहा था।

3.2.8.4 वाटर क्वालिटी मानिटरींग एण्ड सर्विलेंस

वाटर क्वालिटी मानिटरींग एण्ड सर्विलेंस कार्ययोजना (2008-09) का लक्ष्य निरंतर पेयजल गुणवत्ता का स्वीकार्य स्तर एवं जल गुणवत्ता परीक्षण का व्यवस्थित कार्यक्रम को सुनिश्चित करना है। विभिन्न स्थानों से एकत्रित जल के नमूनों की प्रयोगशाला और/ या स्थल परीक्षण अनुश्रवण में सम्मिलित है। नेशनल रूरल वाटर क्वालिटी एण्ड सर्विलेंस कार्यक्रम (2004, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय) के अनुसार पेयजल अनुश्रवण के उद्देश्य है:

- जल की गुणवत्ता एवं इसके आवश्यक उपयोगों हेतु उपयुक्तता पर मानव की गतिविधियों का प्रभाव का मूल्यांकन;
- भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध अपनी प्राकृतिक अवस्था में पानी की गुणवत्ता का निर्धारण;
- निर्दिष्ट खतरनाक या हानिकारक पदार्थों के स्त्रोतों और मार्ग की निगरानी करना।

नमूना जाँच जिलों के वाटर क्वालिटी मानीटरींग एण्ड सर्विलेंस कार्यक्रम (डब्लू क्यू एम एण्ड एस) के अभिलेखों की जाँच में पायी गयी कमियाँ जैसे कि प्रयोगशालाओं की स्थापना न होना, जल परीक्षणों में भारी कमी, रीएजेन्टस का क्रय नही किया जाना, फील्ड टेस्ट किट के वितरण में कमी एवं निरर्थक व्यय, की चर्चा निम्न में की गयी है:

(अ) राज्य स्तरीय एंव उपसम्भागीय प्रयागशलाओं की स्थापना न किया जाना

राज्य स्तरीय एवं उपसम्भागीय प्रयोगशालाओं की स्थापना नही की गयी।

डब्लू क्यू एम एण्ड एस (2008) दिशानिर्देशों के अनुसार एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण परिणामों के पुनः परीक्षण के अलावा जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किये गये नमूनों में से कम से कम 10 प्रतिशत नमूनों की जॉच जिसमें सकारात्मक परीक्षण वाले नमूने सम्मिलित हों, की जायेगी। ये दुर्लभ तत्वों की सान्द्रता के परीक्षण में तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं विपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट हेतु आवश्यक सहायता देने में भी सम्मिलित होंगी।

डब्लू क्यू एम एण्ड एस दिशानिर्देर्शों के अनुसार उपसम्भागीय स्तर पर 100 प्रतिशत जल स्त्रोतों की दोनों जैविक एवं रसायनिक तथा भौतिक पैमाने हेतु परीक्षण किया जाना है।

अभिलेखों की जॉच के दौरान हमने देखा कि राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षणों एवं सम्भागीय/जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये परीक्षणों के पुनः परीक्षणों हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना नही की गयी थी। नमूना जॉच जिलों में हमने देखा कि यद्यपि सम्भागीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी थी जबकि उपसम्भागीय स्तर पर किसी प्रयोगशाला की स्थापना नही की गयी थी एवं जल गुणवत्ता परीक्षण सम्भागीय/जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा किये जा रहे थे।

राज्य एवं उपसम्भागीय स्तर की प्रयोगशालाओं के अभाव के परिणामस्वरूप जल नमूनों का परीक्षण न हो सका। इस प्रकार आपूर्ति किये जल की गुणवत्ता सत्यापित नहीं की जा सकी।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि राज्य स्तरीय एवं 18 उप सम्भागीय प्रयोगशालायें शीघ्र ही आरम्भ की जायेंगी।

(ब) ग्राम पंचायतों एवं सम्भागीय स्तर प्रयोगशालाओं द्वारा जल स्त्रोतो के अनुश्रवण/ गुणवत्ता परीक्षणों में कमी

डब्लू क्यू एम एण्ड एस (2008-12) दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा मौजूदा फील्ड टेस्ट किटों को ग्रामों के पेयजल स्त्रोतों के रसायनिक एवं जैविक प्रदूषण के प्राथमिक स्तर पर पता लगाने हेतु उपयोग जारी रखना चाहिए। दिशानिर्देशों में आगे दिया गया है कि उपसम्भागीय प्रयोगशालाओं द्वारा जैविक तथा रसायनिक दोनों पैमानों हेतु 100 प्रतिशत स्त्रोतों की जाँच तथा जिला प्रयोगशालाओं द्वारा 10 प्रतिशत नमूनों का परीक्षण जिसमें सकारात्मक परीक्षण किये हुए नमूने सम्मिलित हों, किया जायेगा। दिशानिर्देशों में सभी पेयजल स्त्रोतों का कम से कम जैविक प्रदूषण हेतु वर्ष में दो बार एवं रसायनिक प्रदूषण हेतु वर्ष में एक बार परीक्षण किया जायेगा।

आठ नमूना जाँच जिलों में अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि ग्राम पंचायतों द्वारा सभी जल स्त्रोतों का वर्ष में एक बार भी परीक्षण नही किया गया। चूंकि ग्राम पंचायतों द्वारा जल स्त्रोतों का परीक्षण नहीं किया जा रहा था एवं उपसम्भागीय प्रयोगशालाओं की स्थापना नही की गयी थी, परीक्षण करने का दायित्व सम्भागीय प्रयोगशालाओं पर रहा। तदानुसार इन प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये परीक्षणों में भारी कमी थी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक किये गये जल स्त्रोतों के परीक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 12: 2007-08 से 2011-12 तक ग्राम पंचायतों एंव सम्भागीय प्रयोगशालाओं द्वारा अनुश्रवण का विवरण

जिला	उपलब्ध जल स्त्रोतों की संख्या	ग्राम पंचायतों द्वारा अनुश्रवण/परीक्षण			सम्भागीय प्रयोगशाला द्वारा अनुश्रवण/परीक्षण		
		अनुश्रवण/परीक्षण किये गये जल स्त्रोतों की संख्या	कमी	प्रतिशत कमी	अनुश्रवण/परीक्षण किये गये जल स्त्रोतों की संख्या	कमी	प्रतिशत कमी
अम्बिकापुर	20860 से 25391	0	20860 से 25391	100	395 से 3147	20465 से 22244	88 से 98
बिलासपुर	15225 से 16801	अनुपलब्ध	15225 से 16801	100	650 से 1881	14575 से 15581	89 अ96
दंतेवाड़ा	8201 से 12650	अनुपलब्ध	8201 से 12650	100	121 से 2026	6175 से 12437	75 से 99
धमतरी	7478 से 8080	0 से 3807	4081 से 7693	52 से 100	0 से 300	7478 से 7786	96 से 100
जांजगीर चांपा	9903 से 11171	0	9903 से 11171	100	0 से 9032	1893 से 9903	17 से 100
कवर्धा	6589 से 9315	अनुपलब्ध	6589 से 9315	100	0 से ा511	6589 से 8804	95 अ100
कोरिया	8820	51 से 432	8388 से 8769	95 से 99	51 से 432	8388 से 8769	95 से 99
महासमुंद	16748 से 19259	0 से 2157	16748 से 19259	88 से 100	0 से 4314	16748 से 18963	76 से 100

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँच नमूना जाँच जिलों में ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये अनुश्रवण/परीक्षणों में 100 प्रतिशत की कमी थी। तीन नमूना जाँच जिलों (धमतरी, कोरिया एवं महासमुन्द) में कमी का प्रतिशत 52 से 100 तक था। आगे यह देखा गया कि आठ नमूना जाँच जिलों के प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये अनुश्रवण/परीक्षणों में कमी 75 से 100 प्रतिशत तक थी। जांजगीर चाँपा में कमी का प्रतिशत 17 से 100 तक था रायपुर में यह बताया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा 100 प्रतिशत परीक्षण किये गये किन्तु सत्यापन हेतु लेखा परीक्षा को परीक्षण रिर्पोट व परीक्षण अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये (मई 2012)।

अतः ग्राम पंचायतों एवं सम्भागीय प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये परीक्षणों में कमी के कारण बसाहटों द्वारा प्रदूषित जल के इस्तेमाल की आशंका से इंकार नही किया जा सकता।

निर्गम बैठक में शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं बताया (फरवरी 2013) कि ग्राम पंचायतों द्वारा परीक्षण नही किये जा रहे थे तथा परीक्षणों की संख्या बढ़ाने के लिए मोबाईल परीक्षण वैन का क्रय किया गया है।

(स) प्रयोगशालाओं हेतु रीएजेन्टस् का क्रय न किया जाना

प्रयोगशालाओं में जल नमूनों के जैविक, भौतिक एवं रसायनिक प्रदूषण के विभिन्न पैमानों जैसे कि पी एच, टोटल हार्डनेस, आयरन, क्लोरीन नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड इत्यादि के परीक्षण हेतु रीएजेन्टस् की आवश्यकता होती है।

आठ[16] नमूना जाँच जिलों में यह देखा गया कि समीक्षा अवधि के दौरान दो से पाँच वर्ष की अवधि हेतु प्रयोगशालाओं द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षणों के लिए आवश्यक रीएजेन्टस् क्रय नही किये गये **(परिशिष्ट 3.2.12)।** यधपि धमतरी जिले में रीएजेन्टस् क्रय किये गये थे।

अतः जिला प्रयोगशालाओं के पास जल नमूनों के परीक्षण हेतु रसायन/रीएजेन्टस् उपलब्ध नही थे तथा रीएजेन्टस् क्रय नही किये जाने के परिणामस्वरूप जल स्त्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण नही हो सकेंगे।

निर्गम बैठक में शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं बताया (फरवरी 2013) की रीएजेनटस को निधि की कमी के कारण क्रय नही किया गया था जिसे एनआरडीडब्लूपी के अर्न्तगत निराकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक रीएजेन्टस् वर्तमान में क्रय किये जा रहे है।

(द) ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्ट किटों के वितरण में कमी

डब्लू क्यू एम एण्ड एस दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा फील्ड टेस्ट किटों (एफ टी के) को ग्रामों के पेयजल स्त्रोतों के रसायनिक एवं जैविक प्रदूषण के प्राथमिक स्तर पर पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायतों को एक एफटीके तथा इसके अतिरिक्त राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर क्रमशः एक, तीन एवं दो किट प्रदान की जायेगी।

छः जिलों के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि सभी ग्राम पंचायतों को एफ टी के वितरित नही किये गये थे। हमने यह भी देखा कि कुछ मामलों में एफ टी के भण्डार में उपलब्ध रहते हुए भी ग्राम पंचायतों को वितरित नही किये गये। वर्ष 2007-12 के दौरान वितरित किये गये एफ टी के का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 13: एफ टी के के क्रय एवं वितरण का विवरण

जिला	क्रय वर्ष	सम्भाग द्वारा क्रय प्राप्त किए गए एफ टी के की संख्या	जिला/सम्भाग में ग्राम पंचायतों को संख्या	ग्राम पंचायतों को वितरित एफ टी के की संख्या	जिला/सम्भाग के अनुपलब्धत एफ टी के वाले ग्राम पंचायतों की संख्या	एफ टी के का अंतशेष
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7 = (3-5)
अम्बिकापुर	2009-10	867	1090	867	223	0
बिलासपुर	2009-10 से 2010-11	1180	856	618	238	562
कवर्धा	2008-09 से 2010-11	400	368	150	218	250
महासमुंद	2009-10 से 2011-12	450	491	350	141	100
रायपुर	2009-10	1150	1204	1150	54	0

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

अतः ग्राम पंचायतों को एफ टी के वितरण नही किये जाने के परिणामस्वरूप ग्रामों के सभी जल स्त्रोतों का रसायनिक एवं जैविक प्रदूषण के प्राथमिक स्तर पर पता लगाने हेतु परीक्षण नही किये जा सके।

[16] अम्बिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि प्रकरण की जाँच की जायेगी।

(ई) अवितरित फील्ड टेस्ट किट/ रीएजेन्टस् का कालातीत होने के कारण राशि ₹ 23.21 लाख का निरर्थक व्यय

एफटीके एवं रीएजेन्टस् पर निरर्थक व्यय हुआ।

तीन सम्भागों के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा गया कि जल गुणवत्ता परीक्षण के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपसम्भागों/ग्राम पंचायतों में उपलब्ध एफ टी के और रीएजेन्टस् वितरित नही किये गये। एफ टी के की उपलब्धता एवं वितरण का विवरण नीचे दिया गया हैं:

तालिका 14: एफ टी के एवं रीएजेन्टस् के उपलब्धता एवं उपयोगिता अवधि की समाप्ति का विवरण

जिले का नाम	प्रकार	क्रय एवं प्राप्ति वर्ष	क्रय इकाईयाँ	वितरित इकाईयाँ	अवितरित इकाईयाँ	कालातीत इकाइयाँ	दर	योग
बिलासपुर	एफ टी के	2009-10 एवं 2010-11	1180	618	562	562	2614.5	1469349
कवर्धा	एफ टी के रीएजेन्टस्	2010-11	200	68	132	132	1245	164340
रायपुर	एफ टी के रीएजेन्टस्	2010-11	1000	823	177	550[17]	1250	687500
	योग		**2380**			**1244**		**2321189**

(स्त्रोत विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता हैं कि तीन जिलों में कुल उपलब्ध 2380 एफटीके जिनमें से 1244 एफटीके वितरित नही किये गये और उनकी उपयोगी जीवन (एक वर्ष) की वैधता भी समाप्त हो गयी थी।

इसके अतिरिक्त देखा गया कि रायपुर में उपलब्ध 1000 एफटीके रीएजेन्ट में से केवल 373 ही वितरित किये गये थे (मई से जून 2012) जिनकी उपयोगी जीवन (फरवरी 2012) की वैधता अवधि भी समाप्त हो गयी थी।

इस प्रकार, 1244 एफ टी के और रीएजेन्ट वितरित न करने से न केवल राशि ₹ 23.21 लाख का निरर्थक व्यय हुआ बल्कि डब्लू क्यू एम एंड एस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं प्रयोजन की पूर्ति भी नहीं की जा सकी।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि इस प्रकरण की जांच की जायेगी।

(फ) आयरन रिमूवल प्लांट की स्थापना न होना

भू-जल, आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक आदि अशुद्धियों से प्रभावित थे। विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन (2011-12) के अनुसार राज्य में आयरन प्रभावित बसाहटें 2003-04 में 4932 से 2011-12 में 8747 तक वृद्धि हुई थी। आगे ए ए पी के अनुसार जल में उपस्थित उच्च मात्रा में आयरन की शुद्धता के लिए स्टैण्ड अलोन सिस्टम आयरन रिमूवल प्लांट (आई आर पी) (नीरी मॉडल)[18] हैण्ड पंपो में स्थापित किया जाये।

[17] 373 रीएजेन्टस् कालातीत होने के पश्चात जारी किए गए

[18] आई आर पी (नीरी मॉडल) नेशनल एनवाइरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट नागपुर द्वारा विकसित एक आयरन रिमूवल प्लांट है।

आठ सम्भागों के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान एफटीके की स्थापना में कमी थी, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 15: स्टैण्ड अलोन सिस्टम आयरन रिमूवल प्लांट (नीरी माडल) का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

जिले का नाम	वर्ष 2009-10			वर्ष 2010-11			वर्ष 2011-12		
	आई आर पी लक्ष्य	आई आर पी स्थापित	कमी	आई आर पी लक्ष्य	आई आर पी स्थापित	कमी	आई आर पी लक्ष्य	आई आर पी स्थापित	कमी
अम्बिकापुर	150	0	150	300	0	300	200	0	200
बिलासपुर	195	15	180	190	20	170	197	29	168
दंतेवाड़ा	213	0	213	470	0	470	469	0	469
धमतरी	25	0	25	75	0	75	70	0	70
जांजगीर-चांपा	25	0	25	50	0	50	0	0	-
कवर्धा	50	0	50	120	0	120	70	0	70
कोरिया	25	0	25	50	0	50	107	4	103
महासमुंद	13	0	13	35	0	35	35	0	35
योग	**696**	**15**	**681**	**1290**	**20**	**1270**	**1148**	**33**	**1115**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका में देखा गया कि नमूना जांच में सम्मिलित 9 जिलों में से केवल 7 जिलों में आई आर पी की स्थापना में 100 प्रतिशत की कमी थी। बिलासपुर और कोरिया में कमी का प्रतिशत 85 से 96 प्रतिशत के बीच था, केवल रायपुर में कोई आयरन प्रभावित बसाहट नही थी।

कोरिया जिले के सीतापुर ब्लॉक के एक ग्राम में आयरन की उच्च मात्रा के कारण हैण्डपंपों में लाल प्लेटफॉर्म दिखाता फोटो





अतः आयरन प्रभावित स्त्रोतों में आई आर पी की स्थापना में कमी थी। इस प्रकार आयरन की उच्च मात्रा वाले पेयजल के उपयोग की आशंका से इंकार नही किया जा सकता है।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि आई आर पी निर्माण और स्थापना एक विशिष्ट कार्य है जिसके लिए कर्मचारियों की सीमित संख्या में व्यक्ति उपलब्ध है। यद्यपि आई आर पी शीघ्र ही स्थापित किया जायेंगें।

3.2.8.5 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) और गरीबी रेखा से उपर (ए पी एल) परिवारों के लिए, स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों (ए डब्लू सी) में स्वच्छता, खुले में शौच को समाप्त करने, पीने के पानी के स्रोतों और भोजन के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए, शुष्क शौचालयों को बहाव शौचालयों में बदलने और हस्त सफाई प्रथा को खत्म करने में स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) का आरम्भ किया। स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की लागत के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और बी पी एल लाभार्थी द्वारा 60:20:20 के अनुपात में साझा किया जायेगा। ए पी एल के मामले में 100 प्रतिशत लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी और आंगनबड़ी केन्द्रों के लिए क्रमश 60:30:10 के अनुपात में भारत सरकार, राज्य सरकार और स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थी द्वारा साझा किया जायेगा।

(अ) लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान राशि ₹ 678.78 करोड़ की स्वीकृति 34.24 लाख स्वच्छता शौचालय के लिए (बी पी एल- 15.54 लाख, ए पी एल- 18.12 लाख, स्कूल- 0.48 लाख, आंगनबाड़ी केन्द्र-0.10 लाख) दी गई थी तथा इसे मार्च 2012 तक पूरा कर लिया जाना था। तदनुसार भारत सरकार और राज्य सरकार ने क्रमशः राशि ₹ 283.49 करोड़ एवं ₹ 143.22 करोड़ जारी किये गये थे, जिसमें से केवल ₹ 375.14 करोड़ का ही व्यय किया जा सका (मार्च 2012)।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के विकास का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 16: सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलधियाँ

स.क्रं.	श्रेणी	लक्ष्य (लाखों में)	उपलब्धि (लाखों में)	उपलब्धि का प्रतिशत
1	बी पी एल	15.54	10.52	67.70
2	ए पी एल	18.12	8.30	45.81
3	स्कूल	0.48	0.49	100
4	आंगनबाड़ी	0.10	0.10	100

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त किया गया है किन्तु बी पी एल और ए पी एल के संदर्भ में उपलब्धियों का प्रतिशत क्रमशः 68 और 46 था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

(ब) लैट्रिन पैन सेट के अनावश्यक क्रय के कारण निधि का अवरूद्व रहना राशि ₹ 2.29 करोड़

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियम 118 कोड भाग 1 के अनुसार निश्चित आवश्यकताओं के आकलन के बाद ही क्रय किया जाना चाहिए।

लैट्रिन पैन सेट की अत्याधिक क्रय के कारण निधि अवरूद्ध रही।

अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के बिना विभाग द्वारा लैट्रिन पैन सेट टी एस सी हेतु खरीदे गये थे। नमूना जांच जिलों के पिछले पाँच वर्षो के दौरान लैट्रिन पैन-सेट की क्रय उपयोग एवं बचत का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 17: पैन-सेट का क्रय और उपयोग का विवरण

(₹ लाखों में)

जिलों का नाम	उपलब्ध पैन सेट की संख्या	उपयोग पैन सेट की संख्या	भण्डार में शेष पैन सेट की संख्या	औसत दर (रूपये में)	राशि
दंतेवाड़ा	15800	0	15800	244.37	38.61
धमतरी	32939	30431	2508	200.57	5.03
कोरिया	32300	13800	18500	204.38	37.81
महासमुंद	7280	0	7280	221.57	16.13
रायपुर	59923	0	59923	218.71	131.06
योग	**148242**	**44231**	**104011**		**228.64**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

पाँच जिलों की जाँच के दौरान देखा गया कि 148242 लैट्रिन पैन-सेट क्रय किये गये थे, जिसमें से 104011 लैट्रिन पैन-सेट राशि ₹ 2.29 करोड़ का पिछले एक से पाँच वर्षों तक उपयोग नही किया गया। अम्बिकापुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और कवर्धा के भण्डार पंजी लेखा परीक्षा के परीक्षण/जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः आवश्यकता का आकलन किये बिना शौचालय पैन-सेट क्रय से राशि ₹ 2.29 करोड़ अवरूद्ध रही।

निर्गम बैठक के दौरान, शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि पूरे राज्य में सत्यापन किया जा रहा है एवं तत्पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

3.2.8.6 भण्डार प्रबंधन

भण्डार प्रबंधन की सुदृढ प्रणाली हेतु मजबूत कार्य प्रणाली, कुशल नियोजन, आवश्यक क्रय, मितव्ययी क्रय, मुद्दों पर नियंत्रण, समय पर लेखांकन और भौतिक सुरक्षा सम्मिलित है। हमारी जाँच/परीक्षण पर निम्नानुसार पाया गया:

(अ) भण्डार का भौतिक सत्यापन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खण्ड-1 की नियम 126 और 133 के अन्तर्गत भण्डार का भौतिक सत्यापन किसी भी नामित अधिकारी के माध्यम से कार्यालय प्रमुख द्वारा वर्ष में एक बार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नमूना जांच में सम्मिलित जिलों के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 18: आयोजित भौतिक सत्यापन का विवरण

जिलों का नाम	पिछले भौतिक सत्यापन का वर्ष
अम्बिकापुर	2011-12
दंतेवाड़ा	2008-09 से 2011-12
धमतरी	2008-09 से 2011-12
कवर्धा	2008-09
कोरिया	2010-11 से 2011-12
रायपुर	2007-08 से 2011-12

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि भण्डार का भौतिक सत्यापन, अम्बिकापुर और कवर्धा में पिछले चार वर्षों से, कोरिया में पिछले तीन वर्षों से, दंतेवाड़ा और धमतरी में पिछले एक वर्ष से नही किये गये थे। बिलासपुर, जांजगीर-चांपा एवं महासमुंद द्वारा कोई भी जानकारी प्रस्तुत नही की गई।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अभिमत को स्वीकर करते हुए बताया (फरवरी 2013) कि कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

(ब) अत्यधिक क्रय

छत्तीसगढ़ वितीय संहिता खण्ड एक के नियम 118 के अनुसार क्रय केवल निश्चित आवश्यकताओं के मूल्यांकन के पश्चात किया जाना चाहिए।

चार सम्भागों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि भण्डार की क्रय आवश्यकता से अधिक की गयी थी एवं वर्ष 2007-08 से राशि ₹ 47.50 लाख मूल्य का भंडार जारी नही किया गया था। जारी नही किये गये भंडार का विवरण निम्न है।

तालिका 19: अप्रयुक्त मदों का विवरण

जिलों का नाम	मद का नाम	राशि (रूपये में)	क्रय वर्ष
दंतेवाड़ा	जी आई पाईप	193857	2009-10
धमतरी	जी आई पाईप	1230671	2010-11
	सी आई टाइटन पाईप	46758	2007-08
कवर्धा	जी आई पाईप	601239	2010-11
	ए सी पी पाईप	157996	2008-09
	सी आई टाइटन पाईप	1332029	2008-09
रायपुर	जी आई पाईप	40279	2007-08
	एच डी पी ई टैंक	1146915	2008-09
योग		**4749744**	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

आगे पीएचई के रायपुर सम्भाग में देखा गया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान क्रय 770 फोर्स लिफ्ट पंपों में केवल 373 पंप ही इस अवधि में वितरित किये गये। शेष राशि ₹ 23.86 मूल्य के 373 फोर्स लिफ्ट पंप भंडार में थे। पीएचई, अम्बिकापुर, जांजगीर चांपा और कोरिया द्वारा भण्डार उपलब्धता संबंधी मद-वार विस्तृत विवरण प्रस्तुत नही किये गये।

अतः आवश्यकता से अधिक क्रय से निधि राशि ₹ 71.36 लाख अवरूद्ध रही।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि जी आई पाईप का उपयोग कार्यों में किया जाएगा एवं प्रकरण की समीक्षा की जायेगी।

3.2.8.7 प्रशिक्षण

महिला प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण

एन आर डी डब्लू पी के दिशानिर्देश कंडिका 9.13 के अनुसार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम तथा अन्य प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत हैण्डपंपों के कम से कम 30 प्रतिशत

मिस्त्री स्थानीय क्षेत्र/बसाहट की महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे हैण्ड पंपों का संचालन तथा अनुरक्षण दूसरों कि तुलना में बेहतर तरीके से कर सकती हैं। यह भी प्रावधानित हैं कि बसाहटों की विशिष्ट महिलाओं को ग्राम जल स्वच्छता समिति/पानी समिति का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का संगठन बनाना चाहिए।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि स्थानीय क्षेत्र की महिलाओं को पंपों के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए इस तरह का प्रशिक्षण नही दिया गया तथा ग्रामीण जल स्वच्छता समिति/पानी समिति में बसाहटों के विशिष्ट महिला को शामिल करने हेतु कोई कदम नही उठाया गया। अतः महिलाओं को प्रशिक्षित कर सशक्तिकरण तथा बसाहटों में हैण्ड पंप के अनुरक्षण के लिए महिलाओं की सहभागिता के उदेश्यों को प्राप्त नही किया जा सका।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि ग्रामों में महिलाओं की भागीदारी के लिए जागरूकता पैदा की जा रही है।

3.2.9 निष्कर्ष

राज्य में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल आपूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2012 तक कुल स्वीकृत 128 शहरी जल आपूर्ति योजनाओं तथा 4824 नल जल आपूर्ति योजनाओं एवं स्थल जल योजनाओं में से केवल 69 शहरी जल आपूर्ति योजनाएं और 3636 नल जल आपूर्ति योजनाएं तथा स्थल जल योजनाएँ पूरी की गई थी। हमने देखा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अपूर्णता थी क्योकि वी ए पी तथा डी डब्लू एस पी तैयार नहीं किये गये थे अतः यह ए ए पी का हिस्सा नही बन सके। इसके अलावा वर्ष 2003 के बाद से विभाग द्वारा विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण नहीं किया गया। विभाग में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी के कारण योजना की गतिविधियाँ अप्रभावी रही। विभाग आवंटित निधि को वाटर क्वालिटी एवं सस्टेनेबिलिटी के अन्तर्गत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग करने में असफल रहा। योजनाओं के अपूर्णता के कारण राशि ₹133.39 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ इसके अलावा निर्धारित दर अनुसूची तथा अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में असफलता से अतिरिक्त लागत तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया। विभाग द्वारा जल स्त्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण के संचालन के लिए राज्य स्तर और उपसम्भागीय स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गयी थी। फील्ड टेस्ट किट के वितरण नही होने के कारण उनकी वैधता अवधि-समाप्त हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप निरर्थक व्यय हुआ। भण्डारों की अत्यधिक उपलब्धता थी तथा भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नही किया गया था।

3.2.10 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते है कि विभाग को:

- विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विलेज एक्शन प्लान, डिस्ट्रिक्ट वाटर सिक्योरिटी प्लान तथा वर्तमान बसाहट सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए।
- विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी रिक्त पद भरे जाने चाहिए।
- चिन्हित लाभार्थियों को लक्षित लाभ के विस्तार हेतु, निर्धारित अवधि में परियोजना पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सभी जल स्त्रोतों की नियमित अनुश्रवण के अलावा राज्य के लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य स्तर और उपसम्भागीय स्तर पर प्रयोगशालाएँ स्थापित किया जाना चाहिए।